असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

07 मार्च, 2022

सप्तदश विधान सभा — सोमवार, तिथि 07 मार्च, 2022 ई॰

पंचम सत्र — 16 फाल्गुन, 1943 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, राजापाकर में जल मीनार की...

अध्यक्ष : बैठ जाइये, समय पर । बैठ जाइये ।

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और जन-आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है । बिहार विधान सभा परिसर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील स्थल भी है । यहां आने वाले आगंतुकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उन्हें परिसर में आने पर वांछित स्थल तथा पदाधिकारियों से शीघ्रता और सुगमता से मुलाकात हो सके, इसके लिए मुख्य द्वार पर मैंने इंटरकॉम सुविधा युक्त एक सुसज्जित स्वागत कक्ष की स्थापना कराने का निर्णय लिया था । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर व्यक्तिगत रूचि ली, अपेक्षित सहयोग तथा मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं साथ ही इसमें सहयोग के लिए भवन निर्माण विभाग भी धन्यवाद का पात्र है । आज आप सबकी सुविधा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हो गया है । आप इस सुविधा का लाभ उठाकर अपना बहुमूल्य समय बचा सकते हैं ।

एक और सूचना, माननीय सदस्यगण, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच लोकतंत्र की जन्मभूमि वैशाली से युग के संवाहक हमारे कुछ बाल एवं युवा साथी आए हैं । मैं ''सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान'' के क्रम में जब वैशाली गया था, इन बच्चों ने वहां ''बाल एवं युवा संसद कार्यक्रम'' में भाग लिया था । उन्होंने सदन की गतिविधियों, वाद-विवाद का इतना शानदार प्रस्तुतीकरण किया था कि मैं और मेरे साथ वहां मौजूद सभी विधायकगण अभिभूत और गद्गद हो गए थे । हमने इनसे वादा किया था कि इन्हें बिहार विधान सभा की कार्यवाही को प्रत्यक्ष देखने के लिए आमंत्रित करूंगा । आज ये हमारे बीच इस महान सदन में उपस्थित हैं । अतः हम सबकी जिम्मेवारी है कि इनके सामने संसदीय नियमों, मूल्यों और परंपराओं का सकारात्मक पक्ष सामने रखें ।

मैं अपनी तथा आप सभी माननीय सदस्यों की तरफ से इन युवा साथियों से कहूंगा कि आप उस महान धरती से आए हैं जहां लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने का सलीका है । अतः उन मूल्यों को अपने अंदर संरक्षित रखते हुए जीवन के जिस क्षेत्र में जायें वहां देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक बेहतर माहौल बनाने का प्रयास करें । आप श्रद्धेय अटल जी की इन पंक्तियों को एक मंत्र के रूप में लोकतंत्र के लिए हमेशा याद रखिए –

''छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता ।
मन हारकर, मैदान नहीं जीते जाते,
न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं ।

क्योंकि यही लोकतंत्र का मर्म है ।

अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम सरकार की तरफ से और यदि माननीय हमारे मित्र विपक्ष के माननीय सदस्यों की इजाजत होगी तो पूरे सदन की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने लोकतंत्र की जन्मस्थली पर जो होनहार बच्चे भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हैं, उनको सदन की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित करके बुलाया है, यह गौरव की बात है और आपने उसके साथ ये भी जोड़ दिया है कि चूंकि आज भविष्य के होनहार हमारे आचरण को परखेंगे इसलिए हमारा व्यवहार मर्यादित, अनुशासित और संविधान और नियमावली के दायरे में होना चाहिए । हम समझते हैं कि हम यही अनुरोध करेंगे कि ऐसी स्थिति आप बार-बार लाइये जिससे कि सदन में अनुशासन और सब कुछ बना रहे ।

प्रश्नोत्तर काल

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-'क'-15 (श्री अखतरूल ईमान, क्षेत्र संख्या-56, अमौर)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : 1. आंशिक स्वीकारात्मक ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8,75,084 (आठ लाख पचहत्तर हजार चौरासी) नए के0सी0सी0 निर्गत करने का लक्ष्य रखा गया है । इस

लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर, 2021 की समाप्ति तक बैंकों के द्वारा 1,36,265 (एक लाख छतीस हजार दो सौ पैंसठ) नए के0सी0सी0 निर्गत किए गए हैं ।

2. अस्वीकारात्मक ।

राज्य सरकार के द्वारा बैंकों के सहयोग से किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसम्बर, 2021 तक 1,36,265 (एक लाख छतीस हजार दो सौ पैंसठ) नए के0सी0सी0 निर्गत किए गए हैं और 10,31,598 (दस लाख एकतीस हजार पांच सौ अंठानवे) रिन्यूवल के0सी0सी0 किसानों को निर्गत किए गए हैं । इस प्रकार नए और रिन्यूवल दोनों मिलाकर दिसम्बर, 2021 की समाप्ति तक 11,67,863 (ग्यारह लाख सरसठ हजार आठ सौ तिरसठ) के0सी0सी0 निर्गत किए गए हैं ।

3. नए के0सी0सी0 निर्गत करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निम्नांकित प्रयास किए गए हैं-

(i) के0सी0सी0 के लि भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र की (LPC) की आवश्यकता होती है । भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र त्वरित गति से जारी हो इसके लिए सरकार द्वारा इसे ऑलनाइन जारी करना प्रारंभ किया गया है ।

(ii) रुपये 1.60 लाख तक के के0सी0सी0 पर कोई संपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) नहीं ली जाती है, ताकि किसान बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के के0सी0सी0 ले सकें ।

(iii) रु0 5.00 लाख तक के0सी0सी0 के इच्छुक किसानों के लिए जमीन बंधक करने हेतु बंधक विलेख पर कोई निबंधन शुल्क (Mortgage Fee) नहीं लिया जाता है ताकि ऋण के इच्छुक किसानों पर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े ।

(iv) अलग-अलग फसलों के लिए वित्तमान (Scale of Finance) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित कर इसे प्रसारित किया जाता है ताकि किसान तदनुसार पारदर्शी रीति से ऋण आवेदन कर सकें ।

(v) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) एवं इसकी उप समितियों की बैठक में के0सी0सी0 लोन के प्रगति की सतत् समीक्षा की जाती है और बैंकों को आवश्यक निदेश दिये जाते हैं । जिला परामर्शदात्री समिति तथा प्रखंड स्तरीय बैंकर्स समिति स्तर पर भी बैंकों एवं संबंधित विभाग द्वारा के0सी0सी0 हेतु अनुश्रवण किया जाता है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछें ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूं । महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा जरूरी तौर पर कि अपना राज्य कृषि प्रधान है और कृषकों को महाजनों के चंगुल से निकालने के लिए के0सी0सी0 का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम सरकार ने चलाया और 2021-22 में इनका लक्ष्य था 8 लाख 75 हजार किसानों को के0सी0सी0 का ऋण देना लेकिन दिसंबर तक 1 लाख 36 हजार को दिया है यानी 15.5 फीसद लोगों को दिया है तो बाकी कृषकों को महाजनों के चंगुल से निकालने का क्या उपाय हो सकता है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री अखतरूल ईमान : और मामला, मैं पूरक ही पूछ रहा हूं महोदय । 76 प्रतिशत आबादी कृषक है और 24.84 परसेंट घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा है तो कृषि प्रधान इस राज्य में किसानों को अब तक लक्ष्य के अनुसार ऋण नहीं देने का कारण क्या है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने के0सी0सी0 के संबंध में अपनी चिन्ता जाहिर की है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं । महोदय, नाबार्ड के द्वारा के0सी0सी0 लोन के लाभार्थियों की संख्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित होती है । सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ उसका अनुसरण करता है । साथ-साथ महोदय जो विगत वित्तीय वर्षों में के0सी0सी0 के लाभुक, जो ऋण लिए थे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में तो उसमें कुल 10 लाख 31 हजार 598 लाभुकों का रिनुअल भी किया गया है लेकिन इन्होंने ठीक ही कहा है महोदय कि जो लक्ष्य है उससे काफी कम के0सी0सी0 का ऋण चालू वित्तीय वर्ष में दिया है और इसलिए मैंने इसी माह में एस0एल0बी0सी0 की बैठक की भी तिथि तय की है जिसमें विस्तार से समीक्षा करके जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के करीब कैसे पहुंचे जिससे कि और इस कृषि की व्यवस्था को इस ऋण से हम बेहतर कर सकें । इसके लिए हमारा प्रयास है और हम सब चाहते भी हैं कि जो विभिन्न बैंक हैं, इस के0सी0सी0 ऋण में अपनी भूमिका को सुनिश्चत करें और लगातार हम सबों का प्रयास है महोदय, सदस्य की जो चिन्ता है उससे हम अवगत हैं और इसको हम प्रयास करेंगे ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, के0सी0सी0 लोन किसानों को नहीं मिलने के नतीजे में महाजनों के चंगुल में फंसे हुए हैं तो किनके कारण अब तक 85 प्रतिशत लक्ष्य सरकार पूरा नहीं कर सकी चूंकि संवेदनशील सरकार है और किसानों के प्रति हमारे

माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य यह है कि देश के हर इंसान के प्लेट में एक व्यंजन कम से कम बिहारी हो तो उस लक्ष्य को कैसे हम पूरा कर पायेंगे जब 85 प्रतिशत किसान इस तरह हमारे रहेंगे...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री अखतरूल ईमान : और जिन लोगों के कारण लोन नहीं दिया गया उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, यह जो कृषि ऋण या अन्य प्रकार के जो ऋण हैं ये बैंको के अधिकार क्षेत्र में है । सरकार लगातार उसका अनुश्रवण करती है और प्रयास करती है कि बैंक, जो उसके लाभुक हैं या जो ऋण के लिए आवेदन किए हैं उसके प्रति उसकी संवेदनशीलता बने लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है महोदय कि अगर वह कोई ऋण के लिए आवेदन नहीं किए हैं तो वह कहीं न कहीं कोई साहूकार के चंगुल में है । लगातार हमने अभी आपको आंकड़ा भी दिया कि विगत वर्षों में यह सिचुएशन के काफी करीब भी था इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके चलते ये सारी परिस्थितियां हैं लेकिन बैंकों पर हम सबों का दबाव है । बैंक हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं लेकिन अनुश्रवण करके अब उनके साथ लगातार बैठक करके प्रयास करते हैं कि बिहार के लोगों को अगर ऋण के लिए कोई आवेदन करता है तो उसको मुहैया करावें ।

श्री अखतरूल ईमान : एक आखिरी सवाल है सर । एक आखिरी सवाल है सर, सवाल यह है सर कि राष्ट्रीय औसत है जमा राशि के मुताबिक 74 परसेंट लोन देने का, लेकिन हमारे यहां 43 परसेंट है, बहुत कम है और हमारे सीमांचल में तो और कम है तो सीमांचल बाढ़ प्रभावित है, गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं, कृषकों की हालत बड़ी खराब है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री अखतरूल ईमान : तो क्या सीमांचल को अलग से वहां पर कृषकों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारण करके उसको सुनिश्चित करेंगे और जिला स्तर में विधायकों को उस कमिटी का मेम्बर हैं वैसे लेकिन पावरफुल मेम्बर नहीं है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी तय कर पायेंगे ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, अभी माननीय सदस्य ने सीमांचल के संबंध में जो अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि जब अनुश्रवण करेंगे तो हम सीमांचल को विशेष तौर पर देख लेंगे लेकिन पूरे बिहार पर हम अनुश्रवण करते हैं ।

अध्यक्ष : श्री पवन कुमार जायसवाल ।

श्री शकील अहमद : पूरक है सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जुमले से काम नहीं चलेगा आप लक्ष्य बताइये कि मार्च के अंदर...

अध्यक्ष : अब वे डिटेल में बता चुके हैं ।

श्री शकील अहमद : उसको आप पूरा करने की समय सीमा बता नहीं रहे हैं । गोल-गोल मत घुमाइये । सदन को साफ-साफ बताइये कि मार्च तक और बैंक आपके अधीन में नहीं है आप ये लाचारीपूर्वक...

अध्यक्ष : आलोक मेहता जी बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कि बैंक की गतिविधि उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है । बिहार का सी0डी0 रेशियो राष्ट्रीय सी0डी0 रेशियो की अपेक्षा लगभग आधा है, 50 परसेंट है । महोदय, यह लंबे समय से चला आता रहा है, 16 वर्षों से सरकार चल रही है और ये सी0डी0 रेशियों में सुधार हो ही नहीं रहा है । बिहार के गरीब लोगों का पैसा, मेहनती लोगों का पैसा बैंक में जमा होता है उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है लेकिन...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए । कई प्रश्न हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं कह रहा हूं कि लोन देने के लिए कौन सी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित, एस0एल0बी0सी0 की बैठक होती रही है लेकिन सी0डी0 रेशियो में मुख्यमंत्री की अपील के बावजूद पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि सी0डी0 रेशियो में बहुत सुधार नहीं है...

अध्यक्ष : अलग से, अलग से प्रश्न ले आइये । श्री पवन कुमार जायसवाल ।
बैठ जाइये ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-31 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21, ढाका)</u>

(लिखित उत्तर)

मो0 जमा खान, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।
2. अस्वीकारात्मक ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला से प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के आलोक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला पूर्वी चंपारण के

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों-बंजरिया, छौड़ादानों एवं रामगढ़वा हेतु कुल रुपये 598.60 लाख (पांच करोड़ अनठानवे लाख साठ हजार) मात्र की योजना स्वीकृत की गयी ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला पूर्वी चंपारण के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों- बंजरिया, छौड़ादानों, रामगढ़वा, आदापुर एवं ढ़ाका के लिए कुल रुपये 1346.83 लाख (तेरह करोड़ छियालिस लाख तेरासी हजार) मात्र का 'विस्तृत परियोजना प्रस्ताव' पत्रांक-389 दिनांक-10.11.2018 के माध्यम से जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है । प्राप्त 'विस्तृत परियोजन प्रस्ताव' के आलोक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक- 15.02. 2019 को संपन्न 14वीं प्राधिकृत समिति के माध्यम से रुपये 1083.81 लाख (दस करोड़ तेरासी लाख इकासी हजार) मात्र की योजना स्वीकृत की गयी ।

जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण द्वारा सूचित किया गया है कि जिला के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र से 'विस्तृत परियोजना प्रस्ताव' प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

3. कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : जी, जवाब पढ़कर पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय । जो प्रश्न है उससे विपरीत उत्तर है । मेरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यह प्रधानमंत्री जी की सोच है और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में इसको चयनित करके लागू किया गया है । पूर्वी चंपारण में 5 प्रखंड चयनित हैं । मेरा प्रश्न है कि 2017-18 के बाद से ढ़ाका सहित विभिन्न प्रखंडों में ये योजना मुख्यालय को नहीं भेजा गया है । जवाब महोदय पढ़ा जाय, जवाब में सीधे लिखा गया है कि 2017-18 में प्राप्त हुआ, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 का कोई जिक्र नहीं है । 2017-18 में ढ़ाका और ढ़ाका नगर पंचायत की कोई योजना नहीं आई । 2019-20 में ढ़ाका सहित पांचों प्रखंड का नहीं है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

टर्न-2/सुरज/07.03.2022

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब गलत है तो हम किसको कहेंगे ?

अध्यक्ष : वह तो आप देख चुके हैं । प्रश्न भी देखा जवाब भी देखा, पूरक क्या पूछना है यह बताइये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अगर 2017-18 से 2021-22 तक है और जवाब में अगर जिक्र नहीं है, केवल एक साल का जिक्र है तो सबकी बात तो कहनी पड़ेगी हमको । 2017-18 में ढाका, ढाका...

अध्यक्ष : आप पूरक नहीं पूछेंगे तो हम आगे बढेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, पूरक तो यही है कि 2017-18 से चार वर्ष तक पूर्वी चम्पारण जिला के पांच अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की योजना जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी के द्वारा मुख्यालय को नहीं प्राप्त हुई, चार वर्ष से राशि से वंचित हैं । माननीय मंत्री पदाधिकारी को चिन्हित करके कार्रवाई करने और विगत चार वर्षों...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खण्ड- क- स्वीकारात्मक है ।

खण्ड- ख- अस्वीकारात्मक ।

अध्यक्ष : प्रश्न का जवाब तो आप दे ही चुके हैं । जो वह पूरक पूछे हैं उसका जवाब दीजिये न ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : महोदय, खण्ड-ख 2017-18 में रुपये 5 करोड़ 98 लाख 60 हजार की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उन्होंने जो पूरक पूछा है उसका आप जवाब दीजिये । माननीय सदस्य फिर से पूरक पूछिये । बैठ जाइये आप, बैठिये । पूरक आप ध्यान से सुनिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, कंडिका-ख को माननीय मंत्री जी देखें । कंडिका-ख में लिखा हुआ है कि वर्ष 2017-18 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ बंजरिया एवं अन्य ब्लॉक का ढाका, ढाका नगर का नहीं आया । वर्ष 2018-19 में ढाका का आया, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-20 का नहीं आया । हम मंत्री जी से यह पूछते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी और प्रखण्ड अल्पसंख्यक पदाधिकारी कार्यरत हैं तो विगत चार वर्षों में मोतिहारी जिले के इन पांच प्रखण्ड की योजना क्यों नहीं प्राप्त हुई और माननीय मंत्री जी विगत चार वर्ष की योजना, जो छूटी हुई हैं वह देने का विचार रखते हैं, पदाधिकारी पर कार्रवाई का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मो0 जमा खान, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य जो कह रहे हैं मैं इसको दिखवा लेता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, यह दिखवाने वाली बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय, यह दिखवाने वाली बात है । पूरे राज्य में प्रधानमंत्री जी की सोच सफल नहीं हो रही है, यह दिखवाने वाली बात कैसे हो गई अध्यक्ष महोदय ?

अध्यक्ष : श्री आलोक कुमार मेहता ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : कार्रवाई वाली बात होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-32 (श्री आलोक कुमार मेहता, क्षेत्र सं0-134, उजियारपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : 1. स्वीकारात्मक ।

2. राज्य सरकार को वर्तमान में कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं है ।

3. भारत सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं0-1964, दिनांक- 31.08.2005 द्वारा दिनांक- 01.09.2005 एवं उनके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन प्रणाली लागू किया गया था । उक्त कर्मी को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, सरकार का उत्तर आया है । यह प्रश्न जो है वह पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने से संबंधित है । सरकार का जवाब है कि राज्य सरकार को वर्तमान में कोई औपचारिक सूचना नहीं है, जब यह पूछा गया कि राजस्थान सरकार इसको फिर से लागू कर रही है । तीसरे खण्ड में यह कहा गया कि भारत सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभागीय...

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया है, यह रेफरेंस दिया गया है कि भारत सरकार, मैं समझता हूं कि जब राजस्थान सरकार लागू कर रही है और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बात की घोषणा की गई है कि उसको लागू...

अध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य हैं, पूरक पूछिये, लोगों को अगला मौका भी मिलेगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं । इसका मतलब है कि राज्यों को स्वेच्छता है कि वह अपने यहां पुरानी पेंशन योजना को लागू कर सकती है..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, तो सरकार से हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या इसको लागू करना चाहती है ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, भारत सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा जो वित्त विभागीय संकल्प सं0-1964 और दिनांक- 31.08.2005 का हमने जो जिक्र किया है और उसमें बहुत स्पष्ट है कि दिनांक- 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन प्रणाली को लागू किया गया था । उक्त कर्मी को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है और जहां तक हमें जानकारी है अभी तक किसी राज्य ने इसे लागू नहीं किया है ।

अध्यक्ष : श्री चन्द्रहास चौपाल ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, महोदय...

अध्यक्ष : स्पष्ट जवाब दे दिये हैं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, हमलोग केन्द्र सरकार के संकल्प के अनुरूप...

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि विचाराधीन नहीं है...

अध्यक्ष : स्पष्ट जवाब दिये हैं कि किसी राज्य में लागू नहीं है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, हमारा प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी उसको विचार में लाएं और बिहार के...

अध्यक्ष : श्री चन्द्रहास चौपाल आप प्रश्न पूछिये नहीं तो आगे बढ़ेंगे । श्री चन्द्रहास चौपाल ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह बिहार के लाखों कर्मियों के भविष्य का मामला है...

अध्यक्ष : आप पूछिये माननीय सदस्य । बैठ जाइये बिना अनुमति के नहीं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, इसको विचार में लावें यही तो प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : श्री चन्द्रहास चौपाल ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-33 (श्री चन्द्रहास चौपाल, क्षेत्र सं0-72, सिंहेश्वर (अ0जा0))</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 की कंडिका-3(8) में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की तीन अवसर की सीमा के संबंध में किये गये प्रावधान को परिपत्र सं0-524, दिनांक- 13.01.2022 द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि संकल्प ज्ञापांक-13515, दिनांक-09.10.1961 की कंडिका-4 में अधिकतम उम्र सीमा के बाद उम्र में छूट की अवधि में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की तीन अवसर की सीमा निर्धारित की गयी थी ।

3. उपर्युक्त खण्ड-(1) में वर्णित प्रावधान पर पुनर्विचार सम्प्रति विचाराधीन है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : पूरक है श्रीमान । सिर्फ बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए अवसर सीमित करने का क्या तात्पर्य है जबकि केन्द्र और अन्य राज्य के सरकारी सेवकों के लिए यह प्रावधान नहीं किया गया है । दूसरा पूरक है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भी रैंक सुधार का अवसर मिलता है, परन्तु मात्र बिहार सरकार की नौकरी हो जाने से बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में बैठने का अवसर सीमित कर अपने ही प्रदेश के नौजवानों के बेहतर अवसर को अवरूद्ध करने का क्या औचित्य है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, स्पष्ट उत्तर दिया गया है कि बिहार में यह विचाराधीन नहीं है, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामबली सिंह यादव ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष : अच्छा बोलिये एक मिनट । बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : एक पूरक है महोदय ।

अध्यक्ष : हां बोलिये ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : महोदय, खण्ड-ख के संबंध में पूछना है कि बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिये अवसर सीमित करने का आदेश निर्गत करने के उपरांत इस पर विचार करने का क्या तात्पर्य है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह फेडरल स्ट्रक्चर में सभी राज्यों को कानून बनाने का अपना-अपना अधिकार है । कोई जरूरी नहीं है कि किसी राज्य ने कोई कानून बनाया है और केन्द्र ने कोई कानून बनाया है इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी उसका अनुसरण करें । राज्य अपनी समीक्षा करता है और अपने अनुसार नियम और अधिनियमों को बनाता है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री रामबली सिंह यादव ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, मेरा एक पूरक है ।

अध्यक्ष : एक मिनट । रामबली जी बैठ जाइये ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, जब केन्द्र और दूसरे राज्य अपने यहां के छात्रों को अवसर दे रहे हैं, जो राज्य में नौकरी कर रहे हैं उनको असीमित अवसर मिल रहा है तो बिहार के छात्रों को अगर वह चपरासी की नौकरी में ज्वॉइन कर लिये तो तीन बार से ज्यादा बी0पी0एस0सी में नहीं बैठ सकते हैं । महोदय, आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि जो भी जुगाड़ की नौकरी मिले हम पकड़ लें और फिर बेहतर अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो उनको अपग्रेडेशन से क्यों रोका जा रहा है ? महोदय, इस अवसर को बढ़ाया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । सुझाव है माननीय मंत्री जी ग्रहण कर लीजिये । श्री रामबली सिंह यादव ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-34 (श्री रामबली सिंह यादव, क्षेत्र सं0-217, घोसी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : 1. आशिंक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक-869, दिनांक-11.09.2006, पत्रांक-655, दिनांक-10.05.2010 एवं पत्रांक-147, दिनांक-20.01.2011 द्वारा सभी पदाधिकारियों को माननीय सांसदों/माननीय विधायकों/माननीय विधान परिषद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति की सूचना उन्हें 15 दिनों के अंदर भेजने तथा अगले 15 दिनों के अंदर उस पर कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से संबंधित माननीय सांसदों/माननीय विधायकों/माननीय विधान परिषद् सदस्यों को अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया है । इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक-183, दिनांक-19.02.2021 द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया है ।

साथ ही, संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक-886, दिनांक-16.12.2021 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी पदाधिकारियों को माननीय विधायकगण से प्राप्त हुए पत्रों

पर कृत कार्रवाई एवं उन्हें अवगत कराने से संबंधित मासिक प्रतिवेदन बिहार विधान सभा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ट्रांसफर कर दिया गया है ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, उत्तर में...

अध्यक्ष : उत्तर आ गया है क्या ?

श्री रामबली सिंह यादव : जी ।

अध्यक्ष : लेकिन यह ट्रांसफर कर दिया गया है संसदीय कार्य विभाग में । यह अगली तिथि को आ जायेगा ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, यह संसदीय कार्य विभाग का ही उत्तर है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर दिया हुआ है ।

अध्यक्ष : आप दे दिये हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार तैयार है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि यह वर्ष 2006, 2010, 2011 और 2021 मतलब प्रतिवर्ष निर्देश दिया जा रहा है पदाधिकारियों को कि माननीय विधायकों का जो पत्र है उनको 15 दिनों के अंदर सूचना दे दी जाय और 15 दिनों के अंदर कृत कार्रवाईयों से अवगत करा दिया जाय । तो यह उत्तर ही साबित कर रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है । तो पहला मेरा सवाल है कि क्या इसको अनिवार्य नियमन के रूप में सूचीबद्ध किया जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि अनिवार्य नियमन इस बात का अर्थ क्या होता है एक तो यह अलग बात है । दूसरी बात है कि सरकार के अधिकारियों के लिए सरकार की तरफ से समय-समय पर परिपत्र या अधिसूचनाएं जो निकलती हैं वे स्वयं में उनको मानने की बाध्यता होती है और जैसा कि माननीय सदस्य के प्रश्न में तो यह था कि पदाधिकारियों को माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर या उसके प्राप्ति के संबंध में सूचना देने के लिये कोई समय-सीमा नहीं निर्धारित की गई है, प्रश्न में मुख्य रूप से यह बात पूछी गई है, तो हमने बताया है कि समय-सीमा निर्धारित की गई है और अगर कोई माननीय सदस्य इसमें विचलन का या इसके नहीं

मानने का किसी पदाधिकारी विशेष के बारे में जानकारी देंगे तो सरकार अवश्य उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करके उचित कार्रवाई करेगी ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, हमारे पास यह सूची है मैं प्रत्यायुक्त विधान समिति का सदस्य हूं और सभी विभाग के विभागीय बैठक में यह बार-बार पूछा जाता है कि कितने विधायकों का पत्र आपको प्राप्त हुआ और कितने पर कार्रवाई हुई । मेरे पास सामान्य प्रशासन के हाल ही की यह सूची है 24 विधायकों ने विभाग में प्रश्न किया है मतलब विभाग में चिट्ठी लिखी है और सब चिट्ठी का उत्तर विभाग ने हमलोगों को दिया कि माननीय विधायकों को अवगत करा दिया गया है, कार्रवाई से संबंधित...

टर्न-3/राहुल/07.03.2022

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, पूरक क्या है ?

श्री रामबली सिंह यादव : पूरक यह है कि जब माननीय मंत्री जी ने कहा कि समय-सीमा निर्धारित की गई है...

अध्यक्ष : आप प्रश्न किए हैं कि यथोचित कार्रवाई, कार्रवाई जानना चाहते हैं । माननीय मंत्री जी क्या कार्रवाई हुई ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यथोचित कार्रवाई माननीय सदस्य ने भी पूछा है तो यथोचित शब्द का तो अर्थ ही होता है यथा उचित मतलब जो भी जिनकी गलती होगी वह तो जैसी गलती होगी वैसी ही सजा मिलेगी और एक चीज और हम सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहते हैं कि आये दिन इस तरह की बातें आती रहती हैं पदाधिकारियों द्वारा माननीय विधायकों के प्रति उचित सम्मान नहीं प्रकट करने की बातें माननीय विधायकों द्वारा उठायी जाती रही हैं, तो इस संबंध में हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि इसमें सरकार की नीति और सरकार की योजना या सरकार का निदेश स्पष्ट है और कई पत्रों का जो माननीय सदस्य भी अभी पढ़ रहे थे और उसमें मुख्य सचिव के स्तर से भी जो सबसे प्रभावी पत्र निर्गत है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुन लीजिये, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अगर सदस्य उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो प्रश्न का औचित्य क्या है ? महोदय, उसमें यह जो पत्राचार की बात है कभी-कभी माननीय सदस्यों का यह भी प्रश्न आता है कि दूरभाष से वार्ता के क्रम में भी उचित सम्मान

नहीं प्रकट किया जाता है उसके संबंध में भी हम सदन को स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सरकार की तरफ से अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत है और मुख्य सचिव के स्तर से पत्र निर्गत है कि संबंधित जन प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात हेतु समय देने पत्रों के.

अध्यक्ष : वह तो आपका पत्र गया है ।

श्री ललित कुमार यादव : उसका अनुपालन कितना करते हैं ?

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं मैं अपना अनुभव आपकी अनुमति से सदन के सामने रखता हूं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ?

श्री नीतीश मिश्रा : मुख्य सचिव के स्तर से भी पत्र निर्गत है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, अपर मुख्य सचिव, जी0ए0डी0 की तरफ से भी निर्गत है, मुझको भी सूचना दी गई मैंने अपने 106 पत्रों की सूची अपर मुख्य सचिव, जी0ए0डी0 को दी जिसका उत्तर मुझको प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ सर्कुलर जारी कर देना या निर्देश भेज देना काफी नहीं है उसका अनुपालन सुनिश्चित कौन करायेगा । महोदय, मेरे 106 पत्रों का जवाब मुझको विभाग से या सरकार की ओर से या जिलों से आज तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने नियम बना दिया कि 15 दिनों के अंदर उनको जवाब दिया जायेगा लेकिन क्या यह भी नियम वह बनाना चाहते हैं कि यदि 15 दिनों के अंदर कोई भी पदाधिकारी, सिर्फ बड़े पदाधिकारी नहीं बल्कि जो प्रखंड में बैठे हुए हैं उनसे भी माननीय विधायक पत्राचार के माध्यम से किसी योजना की सूचना लेना चाहते हैं कि आपके यहां जो सरकारी योजना चल रही है वह सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं उसका भी जवाब नहीं मिलता है तो अगर 15 दिनों के अंदर वह जवाब नहीं देंगे तो यथोचित नहीं यह तो भेग शब्द है, भेग शब्द से सदन को गुमराह नहीं किया जाय । यह बताइये कि जो अधिकारी 15 दिनों में लिखित जवाब हमारे लिखित सवालों का नहीं देंगे उन पर आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, सरकार लगातार निर्देश जारी कर रही है और निर्देश जा भी रहा है । हम लोग जो पत्र लिखते हैं उसमें केवल दो लाईन का यही जवाब आता है कि आपके पत्र को नीचे भेज दिया गया है कार्रवाई के लिए । कार्रवाई का फलाफल क्या निकला, आज तक मैंने भी लगभग सौ से ऊपर पत्र लिखे होंगे, कार्रवाई का फलाफल, चाहे विभाग को लिखा हो, चाहे माननीय मंत्री जी को लिखा हो कार्रवाई के फलाफल का एक भी पत्र का जवाब हम लोगों को नहीं आता है कि कार्रवाई क्या

हुई, क्या फलाफल उसका निकला, रिजल्ट क्या आया, उस पत्र का परिणाम तो निकलना चाहिए न तो अगर सरकार...

(व्यवधान)

शेम-शेम की क्या बात है सो बताइये । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 15 दिन में फलाफल का जवाब दिया जाय तो रिजल्ट क्या आया यह आज तक हमको नहीं लगता है कि आया । क्या इसका निर्देश माननीय मंत्री जी देना चाहते हैं कि इसका फलाफल जो है इसका रिजल्ट क्या हुआ यह माननीय सदस्य को पत्र लिखा जाय समय-सीमा के अंतर्गत यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, माननीय विधायकों के द्वारा जो पत्र लिखे जाते हैं उस पत्र का जो जवाब आया, नहीं आया, गलत आया इन तमाम चीजों पर निगरानी के लिए क्यों नहीं सदन की तरफ से एक कमेटी बना दी जाय जो कमेटी अन्य कमेटियों की तरह काम करे और इन चीजों पर पूरी निगरानी रखे । सरकार जब जवाब देती है तो फिर जो गलत जवाब आ रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तब इन सभी चीजों के लिए एक निष्पक्ष कमेटी, सदन की तरफ से परमानेंट कमेटी बनाई जाय जो इसकी देखभाल करे ।

श्री महा नंद सिंह : महोदय, हमने पत्र तथ्य के साथ लिखा है लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया । आपके पास भी मैंने पत्र दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी पत्र दिया, मैंने कई पदाधिकारियों को पत्र दिया है, पूरे तथ्य के साथ पत्र दिया गया है महोदय, फिर भी किसी तरह का कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया है...

अध्यक्ष : विषय आ गया ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, आसन की सख्ती के बात प्रश्नों के उत्तर तो आने लगे, एक परंपरा कायम हुई । मैं लंबे समय से सदन का सदस्य हूं, यह कहने में हमको कोई संकोच नहीं है कि पहले रिजिम राज किसी का हो प्रश्नों का उत्तर सौ परसेंट नहीं आता था । महोदय, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर ग्राउंड लेवल के अधिकारी एक चिट्ठी देकर कि माननीय सदस्य का इस दिन प्राप्त हुआ अपने दायित्व का निर्वहन कर ले रहे हैं । कोई फलाफल का आखिर स्थानीय विधायक की, आप महोदय अवगत हैं सारी चीजों को जानते हैं, स्थानीय विधायक की रिस्पोंसिब्लिटी है दो लाख जनता की, लोग आकर सीधे सवाल पूछते हैं

कि आपको हमने दरख्वास्त दी उस पर क्या कार्रवाई हुई । इसीलिए सरकार को सख्ती करने की जरूरत है और सरकार इम्पलीमेंट कराने की दिशा में कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री मो0 आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, जहां भी लिखा गया हो चाहे मंत्री जी के यहां हो या किसी पदाधिकारी के यहां हो हम लगातार बीमार रहे और हमने शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव और सचिव को लेटर भिजवाया, एक शिक्षक का मामला है बार-बार दूरभाष पर फोन करते रहे और...

अध्यक्ष : चलिये आ गया, सबका विषय आ गया है ।

श्री मो0 आफाक आलम : फोन नहीं उठाया तो यह जो सरकारी फोन दिया गया है आखिर किस काम के लिए दिया गया है ।

अध्यक्ष : आपकी भावना से हम अवगत हैं, बोलिये ललित जी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मेरा प्रश्न तो आप इसी में दे दिये तो मेरा पूरक भी तो एक-दूसरा है । महोदय, आसन सर्वोपरि है और आसन के सामने सभी माननीय विधायकों ने अपनी राय रखी है और यह हकीकत है माननीय अध्यक्ष महोदय इससे अवगत हैं इस पर महोदय आपका नियमन होना चाहिए और सदन की एक कमेटी बन जानी चाहिए । एक विधायक 2 से 3 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है और हर सवाल का जवाब विधायक से ही पूछा जाता है और ऐसी स्थिति में हमारे पत्र का जवाब पदाधिकारी नहीं देता है तो यह गंभीर चिंता का विषय है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर नियमन देकर एक सदन की कमेटी बने । किस पदाधिकारी के पास कितने पत्र गए और क्या उसका फलाफल हुआ ? यदि फलाफल का परिणाम नहीं आता है तो यह गंभीर मामला है ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, विधायकों से...

अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, भोजपुर जिला के डी0एम0 को मैंने कई बार पत्र लिखा, मंत्री महोदय के यहां भी पत्र भेजते हैं महोदय...

अध्यक्ष : सबका विषय आ गया है, सबका दर्द हम लोग समझ लिए हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन बातों का जिक्र किया है उसकी संभावना हो सकती है या वैसा नहीं ही हुआ है या हम कहने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य जो सरकार के निदेश की चर्चा हमने की है...

क्रमशः

टर्न–4/मुकुल/07.03.2022

...क्रमशः...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अगर किसी अधिकारी द्वारा उसका उल्लंघन किया जाता है इसको विशिष्टता के साथ सरकार के संज्ञान में लायेंगे तो सरकार जरूर यथोचित करवाई करेगी, पहली बात । दूसरी बात जो सरावगी जी ने पूछा कि वह पत्र में भी स्पष्ट है कि 15 दिनों के अंदर पावती की सूचना है, अगले 15 दिनों के अंदर जो कार्रवाई जिस पदाधिकारी को निदेशित किया है उसके बारे में सूचना देने की बात है, इसलिए महोदय उसमें सरकार कोई अपने स्तर से कोताही न चाहती है, न माननीय सदस्यों के प्रति असम्मान है, हम तो सरकार की तरफ से बराबर कहते हैं कि ललित बाबू जैसे सदस्य या हमारे मित्र सदस्यों से अगर कोई सूचना प्रश्न नहीं आये तो बहुत सारी चीजें सतह के ऊपर तक दिखेंगी ही नहीं । यह तो हम सरकार का सहयोग मानते हैं अगर माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछते हैं और जहां तक दूबे जी ने कहा कि पहले जवाब नहीं आता था, अब आता है तो इसके लिए सच्चाई स्वीकारने के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि जिस सरकार में वह मंत्री थे वह सरकार जवाब नहीं देती थी और जिस सरकार में हमलोग मंत्री हैं वह सरकार जवाब देती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण...

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा आसन से आग्रह होगा कि सदन चाहता है कि आप इसपर नियमन दें ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । विधायिका जब–जब मजबूत हुई है तब–तब प्रशासनिक दक्षता और सुशासन स्थापित हुआ है । इससे जब–जब हमलोग हटे हैं, तब–तब पदाधिकारियों के बीच अराजकता फैली है और आप सभी सदस्यों के मनोभाव को और आपकी भावना को हम समझते हैं क्योंकि आप सभी हमारे निकट आते हैं, अपनी बात को रखते हैं इसलिए आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए विधान सभा प्रोटोकॉल कमिटी का गठन करेगी और उसका प्रतिवेदन उपस्थापित किया जायेगा । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा अल्पसूचित प्रश्न है, यह राज्य स्तर का मामला है ।

अध्यक्ष : श्री राजीव कुमार सिंह ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा अल्पसूचित प्रश्न है ।

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न का समय समाप्त हो चुका है ।

तारांकित प्रश्न-632 (श्री राजीव कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-164, तारापुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मुंगेर जिलान्तर्गत हरपुर थाना वर्तमान में स्वास्थ्य उपकेन्द्र गनौली में संचालित है । थाना भवन निर्माण हेतु सतत् लीज के तहत मौजा कझिया, तौजी संख्या-445, खाता संख्या-05 एवं 02, खेसरा संख्या-131 व 128, कुल रकवा-113 डी0 भूमि उपलब्ध है । इस भूमि का निबंधन गृह विभाग को निःशुल्क हो गया है । भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करने का निदेश बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को दिया गया है । प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात् भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री राजीव कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर अनुमंडल के गनैली उप स्वास्थ्य केन्द्र में थाना का भवन चल रहा है तो उसको कब तक भवन मिलेगा, कृपया यह मंत्री जी बताने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जवाब में लिखा हुआ है कि जमीन मिल गई है, कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जमीन मिल गई है और कार्रवाई की जा रही है । बैठिए ।

श्री राजीव कुमार सिंह : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न-633 (श्री अरूण सिंह, क्षेत्र सं0-213, काराकाट)

(लिखित उत्तर)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

3- अस्वीकारात्मक है । विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1836, दिनांक-11.08.2021 की कंडिका-3 में आवेदक से ऑनलाईन आवेदन करते समय जी0एस0टी0 लिये जाने का प्रावधान नहीं है । वैसे आवेदक जो प्रासंगिक योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं हुए हैं वे जी0एस0टी0 बंद करने हेतु स्वतंत्र हैं । उद्योग विभाग की इनमें कोई भूमिका नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब आवेदक से आवेदन लेते समय ही जी0एस0टी0 ली गई थी और जिन अभ्यर्थियों का आवेदन चयनित नहीं हुआ और आवेदन की स्वीकृति होने में करीब 1 साल, 2 साल लगा तो आवेदकों पर जो जी0एस0टी0 का बोझ पड़ा तो क्या सरकार उसको वापस करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हमलोगों ने पहले जो प्रावधान किया था कि आवेदक से ऑनलाइन आवेदन करते समय जी0एस0टी0 का प्रावधान हमने उसमें से हटा दिया और जो आवेदक हैं वे जी0एस0टी0 बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं और इसका पूरा उनलोगों को हमलोगों ने ऑनलाइन खबर भी की और जब यह कठिनाई आ रही थी कि उनको चालू खाता पर भी आवेदन किया जा सकता है और जी0एस0टी0 की दिक्कत आ रही है तो इन दोनों प्रावधानों को खत्म करके उसके बाद चयन किया गया, अभी जो चयन किया गया है उसमें जिनलोगों के पास, जिनका चयन हो गया है वह तो जी0एस0टी0 चलायेंगे जिनका नहीं हुआ है वह बंद करेंगे ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से पूछे हैं कि आवेदन लेते समय ही जी0एस0टी0 का पेपर लिया गया था, आवेदन की स्वीकृति होने में 2 साल लगा और 2 साल का जो जी0एस0टी0 है तो उसको क्या सरकार वापस करना चाहती है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 2 साल नहीं लगा, माननीय सदस्य सही तथ्य नहीं रख रहे हैं । जिस दिन हमलोगों ने इस स्कीम की घोषणा की थी उसमें से तुरन्त जी0एस0टी0 का प्रावधान हटा दिया था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री...

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, 2 दो बार आवेदन लिया गया था, एक बार पहले लिया गया था । उस समय आवेदन में ही जी0एस0टी0 का प्रावधान था और दूसरे बार आवेदन में जी0एस0टी0 का प्रावधान नहीं था तो पहले वाले आवेदन में जो जी0एस0टी0 का प्रावधान था उसको सरकार वापस लेने का विचार रखती है कि नहीं रखती है । चूंकि, ये सारे लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं और अतिपिछड़े हैं और सरकार ने इनको लोन देने की बात कही थी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इसे देख लें ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति-जनजाति और अतिपिछड़ा वर्ग के लिए थी । उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यकाल में इसको सबके लिए कर दिया है । हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को भी इसमें जोड़ा है जो सामान्य वर्ग के लोग और जो अतिपिछड़ा के बाद जो जाति इसमें छूट गई है उन सबके लिए किया गया है और इसमें जो चयन है 8 हजार होना था उसको मुख्यमंत्री जी के निदेश पर उसको ज्यादा किया गया, क्योंकि उसको हमने 16 हजार दिया, ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको बांट दिया गया है कहीं कोई शिकायत नहीं आई है, जिन लोगों ने चालू खाता किया था उनको भी बता दिया और जिन लोगों ने शुरू में ही यह बात थी कि जी0एस0टी0 लेना पड़ेगा तो उनको उसी वक्त सूचना दे दी गई, उन्होंने जी0एस0टी0 बंद कर दिया, इसलिए इसमें अभी कोई जी0एस0टी0 लेकर जब उनको मिल गया तब उनको लेना पड़ेगा, अभी लेने का कोई प्रावधान नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, जी0एस0टी0 आवेदन हम कर रहे हैं और हमारा आवेदन चयन नहीं हुआ और हमारी जी0एस0टी0 ले ली गई और मंत्री जी कहां गोल-गोल घुमा रहे हैं कि ऐसा हुआ-वैसा हुआ । हमारा आवेदन चयन नहीं हुआ और हमें जी0एस0टी0 वापस मिलेगी कि नहीं । हमारा सिम्पल सवाल है ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सही से जानकारी पढ़ी नहीं हैं, इसलिए हवा में ही कह रहे हैं कि ऐसा कह दिया गया । जिस वक्त आवेदन लिया गया उसी वक्त हमने कह दिया कि जी0एस0टी0 की जरूरत नहीं है, यहां तक कि चालू खाता की भी जरूरत नहीं है । जो उनका सेविंग अकाउंट है उसपर ही हमलोगों ने उनका एप्लीकेशन मंजूर किया है ।

<u>तारांकित प्रश्न-634 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, क्षेत्र सं0-216, जहानाबाद)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) कड़ौना कब्रिस्तान की घेराबंदी वित्तीय वर्ष 2008-09 में की गई थी । उक्त कब्रिस्तान के पूर्व और उत्तर भाग की घेराबंदी गिर गई है । धनगांवा कब्रिस्तान की घेराबंदी वर्ष 2007-08 में की गई थी, जिसकी चहारदीवारी पूर्व एवं पश्चिम भाग में क्षतिग्रस्त है । योजना में मरम्मति का प्रावधान नहीं है ।

(3) विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में जिले की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित सरकारी भूमि पर अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराये जाने का प्रावधान है ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया हुआ है, उसमें दो तरह का उत्तर आया हुआ है । एक में तो सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रावधान है लेकिन दूसरे में है कि नहीं बनाना है तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जब वह सरकार के पैसों से बना हुआ है और कब्रिस्तान की घेराबंदी गिर गई है तो उसको माननीय मंत्री जी कब तक बनवायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दो तरह का उत्तर नहीं आया है । एक प्रश्न में इन्होंने पूछा है कि कब्रिस्तान के आगे घेराबंदी की जायेगी कि नहीं और मैंने जवाब दिया है कि जिला स्तर पर कमेटी बनी हुई है वह प्राथमिकता के आधार पर उसको करती है और एक चहारदीवारी टूट गई है तो उसकी रिपेयरिंग का कोई प्रावधान नहीं है, यह हमने अपने जवाब दिया है । इसकी रिपेयरिंग का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है उसको हमलोग दिखवा लेते हैं ।

टर्न-5/यानपति/07.03.2022

तारांकित प्रश्न संख्या-635 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र संख्या-225, गुरूआ)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत गुरूआ प्रखंड के ग्राम भरौंधा की गुरूआ थाना से दूरी लगभग 12 कि0मी0 एवं आमस थाना से लगभग 08 कि0मी0 है । यह एन0एच0-2 के नजदीक अवस्थित है एवं आवागमन हेतु पक्की सड़क उपलब्ध है तथा थाना तक पहुंचने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है । विगत पांच वर्षों में इस क्षेत्र में चोरी की 02 घटना घटित हुई है तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है । इस क्षेत्र में अपराध की स्थिति नियंत्रण में है । लगातार आसूचना का संकलन एवं गश्ती किया जाता है । इस क्षेत्र में विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है ।

वर्तमान में ग्राम भरौंधा में ओ0पी0/थाना के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री विनय कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, भरौंधा में ओ0पी0 का निर्माण कराया जाएगा या नहीं तो इन्होंने बताया कि वहां पर आमस थाना 08 कि0मी0 है और गुरूआ 10 कि0मी0 है

तो माननीय मंत्री जी से पूरक मेरा यह है कि वहां लगभग 50 वर्ष पहले से ओ0पी0 चलता था, वहां ओ0पी0 का निर्माण भी था लेकिन यह 2005 के बाद उस ओ0पी0 को बंद किया गया है महोदय । वहां पर 5 पंचायत के लोग, मान लीजिए भरौंधा 10 कि0मी0 है लेकिन मेरे चालो पहाड़ के 20 कि0मी0 से लोग गुरूआ जाते हैं केस दर्ज करने के लिए और 2005 के पहले वहां पर 5 पंचायतों का केस भी दर्ज होता था लेकिन सिर्फ माननीय मंत्री जी का एक ही है कि अब आमस 08 कि0मी0 है...

अध्यक्ष: पूरक पूछिए । समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री विनय कुमार: महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं वह 05 पंचायत का जो केस दर्ज होता था 2005 के पहले और वहां पर ओ0पी0 का, थाना का भी निर्माण था वह बंद हो गया तो उसको चालू करेंगे या नहीं...

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री विनय कुमार: कब करेंगे, पंचायत के लोगों को जो कठिनाई होती है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: कभी-कभी कोई विशेष परिस्थिति होती है, कोई घटना होती है तो ओ0पी0 टेंपरेरी बनाए जाते हैं, अभी वहां ओ0पी0 बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष: आप बैठ जाइये । श्री विजय कुमार खेमका ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-636 (श्री विजय कुमार खेमका, क्षेत्र संख्या-62, पूर्णियाँ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: (1) महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत मधुबनी के टी0ओ0पी0 के भवन की मरम्मती कराकर वर्तमान में व्यवहार किया जा रहा है । टी0ओ0पी0 परिसर में महिला आरक्षियों हेतु पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है । वर्तमान में उक्त टी0ओ0पी0 में महिला आरक्षी प्रतिनियुक्त नहीं है । उक्त टी0ओ0पी0 में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका-(1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है लेकिन यह पूरा जवाब जो है सत्य से परे है और विभाग ने सदन में इस प्रश्न के उत्तर से सदन को गुमराह करने का काम किया है । माननीय मंत्री जी वरिष्ठ हैं और बहुत ही यह जो गृह विभाग है...

अध्यक्षः आप पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार खेमकाः अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूं, आपका संरक्षण चाहिए, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है कि यह टी0ओ0पी0 थाना जो पूर्णियाँ शहर के अंतर्गत है, महत्वपूर्ण थाना है, इसमें इनका उत्तर आया है विभाग की ओर से कि महिला आरक्षी प्रतिनियुक्त नहीं है जबकि वहां पर 4 महिला आरक्षी प्रतिनियुक्त हैं, अभी उसमें से एक का ट्रांसफर हुआ है, 3 वहां प्रतिनियुक्त हैं । दूसरा, शौचालय की स्थिति बद से बदतर है और भवन पूर्णतः जर्जर है और असुरक्षा का भाव हर समय बना रहता है । अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी का जवाब आ गया है कि अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । श्री शमीम अहमद...

श्री विजय कुमार खेमकाः अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्षः आप पूरक पूछ नहीं रहे हैं ।

श्री विजय कुमार खेमकाः अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूं । इस प्रश्न का उत्तर ही गलत है, मैं जवाबदेही के साथ...

अध्यक्षः बैठ जाइये । मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ।

श्री विजय कुमार खेमकाः एक सेकंड सुन लिया जाय ।

अध्यक्षः मंत्री जी उठे हैं, आप बैठ जाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, माननीय सदस्य चुनौती दे रहे हैं कि भवन रिपेयर नहीं हुआ है, महिला आरक्षी भी प्रतिनियुक्त हैं तो हम इसकी जांच करवा लेंगे डिटेल रिपोर्ट लेकर ।

अध्यक्षः ठीक है । श्री शमीम अहमद । अब कह दिए कि जांच करवा लेते हैं । समय-सीमा तो बता ही दिए, जांच करवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-637 (श्री शमीम अहमद, क्षेत्र संख्या-12, नरकटिया)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखण्ड के जीतपुर पंचायत के ग्राम नरउल स्थित कब्रिस्तान खाता नं0-391, खेसरा-4 गैर मजरूआ मालिक भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग की नहीं थी । उक्त कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

नरउल स्थित अन्य कब्रिस्तान खाता नं0-136, खेसरा-21 रैयती भूमि है ।

राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवस्थित संवेदनशीलता के आधार पर चयनित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराये जाने की नीति है ।

श्री शमीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, इसमें 2019 के बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि चयनित सूची के अलावा भी जितने कब्रिस्तान हैं उसको विधायक अपने निजी फंड से घेरवा सकते हैं । अभीतक उसके साथ-साथ मंदिर की भी घेराबंदी के लिए मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था लेकिन अभीतक विभाग को यह निर्देशित नहीं किया गया है । चयनित सूची से जोड़ दिया गया है विधायकों को, तो इससे कब अलग कर देंगे ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, यह एक अवधारणा जो है, क्यों कब्रिस्तान की घेराबंदी की जाती है चूंकि कब्रिस्तान के कारणों से कहीं-कहीं दंगे-फसाद भी होते थे, हिंदू-मुसलमान के दंगा का भी मामला बनता था अधिग्रहण का मामला, ऐसी सूचियों को प्राथमिकता दी जाती है जो बहुत सेंसिटिव है और बारी-बारी से उसको किया जाता है लेकिन पहले सेंसिटिव को सूची में शामिल करके उसको प्राथमिकता दी जाती है, यही तो उत्तर में है । माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो सेंसिटिव है उसको प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय, बाकी बाद में देखा जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अभी उन्हीं का प्रश्न है, आप बैठ जाइये न ।

श्री शमीम अहमद: 2019 के बजट सत्र में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि घेराबंदी चयनित सूची के अलावा भी विधायक फंड से की जा सकती है, उसके साथ-साथ मंदिर की भी घेराबंदी कर सकते हैं, सारे विधायक फील्ड में रहते हैं, चयनित सूची से जोड़ा जाता है तो जब विधायक फील्ड में रहते हैं, उनको मालूम रहता है कहां पर दिक्कत हो सकती है तो उसको सूची से अलग किया जाय ताकि वह घेरवा सकें, कहीं विवाद न हो सके ।

अध्यक्ष: आपका सुझाव ग्रहण किए ।

श्री शमीम अहमद: महोदय, निर्देश है, निर्देश है ।

श्री मो0 नेहालउद्दीन: हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जो सूची बनी है, प्राथमिकता की सूची बनी है यह 10 साल पहले की बनी हुई है यह अभी नयी सूची बनाने का विचार रखते हैं ?

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: मैंने कहा क्या कंफ्यूजन है । मैंने कहा कि कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी है । कलक्टर, एस0पी0 सारे लोगों से रिपोर्ट लेते हैं कि सेंसिटिव है या नहीं, जो विवादास्पद नहीं है उसको बाद में रखा जाता है । जहां विवादास्पद का मामला है उसको प्राथमिकता सूची में डालकर उसको और विधायक भी वहीं अपना फंड दे सकते हैं, यही नियम है ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जबसे जवाब आ रहा है, कब्रिस्तान पर यही जवाब आ रहा है । हम कह रहे हैं कि कब्रिस्तान की...

अध्यक्ष: पूरक क्या है वह कहिये ।

श्री ललित कुमार यादव: यही तो पूछ रहे हैं महोदय कि कब्रिस्तान की घेराबंदी यदि आप नहीं करा सकते हैं तो जिस कब्रिस्तान का आप कह रहे हैं कि संवेदनशील नहीं है, 20 साल पहले वह लिस्ट बनी, माननीय विधायक अपने क्षेत्र में रहते हैं कौन कब्रिस्तान सेंसिटिव है, कौन नहीं है । हम दर्जनों कब्रिस्तान का उदाहरण देना चाहते हैं 10 दिन पहले हिंदू-मुस्लिम का दंगा होते-होते बच गया वह सूची में नहीं है मनीगाछी जोत का, अनेक कब्रिस्तान का हम उदाहरण दिए, डी0एम0/एस0पी0 बैठकर माननीय विधायक कहां सेंसिटिव है, नहीं है । अपने क्षेत्र में 365 दिन रहते हैं तो महोदय क्या माननीय मंत्री जी जो ये सरकार से, गृह विभाग से घेराबंदी कराना चाहते हैं तो माननीय विधायक, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास ऐच्छिक कोष जो है उससे मंदिर और कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने में सरकार को क्या परहेज है ? अपनी मार्गदर्शिका में सुधार करने का विचार रखते हैं या नहीं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल': उसमें श्मशान भी जुड़वाइये ।

अध्यक्ष: बैठिए ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जायं सभी । यह प्रश्न कब्रिस्तान से है । बैठ जाइये । आप बैठ जाइये । ये तरीका ठीक नहीं है, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरन्द्रः ऐच्छिक फंड से माननीय विधायक अपने क्षेत्र में करा सकते हैं यह सरकार को आदेश दीजिए, नियमन दीजिए ।

अध्यक्षः ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

शांति से सुनिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, यह धारणा सही नहीं है कि 20 साल पहले सूची बनी अगर माननीय सदस्य कहते हैं, अमुक जगह खतरा है तो कलक्टर को लिखकर दें, हमारे पास चिट्ठी दें हम जांच करवा लेंगे अगर वह सेंसिटिव होगा तो निश्चित रूप से सूची में शामिल कर दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों की भावना है कि कब्रिस्तान, श्मशान और मंदिर की घेराबंदी माननीय विधायक के फंड से संभव है या नहीं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः अभी इसपर कोई विचार नहीं हुआ है ।

अध्यक्षः अभी कोई विचार नहीं हुआ है ।

(इस अवसर पर पक्ष-विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

अब शांति बनाए रखिए, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अब सभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि बैठ जायं पहले । सभी बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर पक्ष-विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर बैठ गए)

सरकार को इसपर विचार करने के लिए समय चाहिए न ।

(व्यवधान)

टर्न–6/अंजली/07.03.2022

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अभी विचाराधीन नहीं है, तो बैठ जाइये, विचार करेंगे ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी उठे हुये हैं, आप लोग बैठ जाइए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अब सुनते ही नहीं हैं तो क्या किया जाय । महोदय, कब्रिस्तान तो स्पेसिफिक जगह पर है, कब्रिस्तान तो इंगित है लेकिन श्मशान तो अधिकांश लोग अपने जमीन में भी अपने परिवार के लोगों को जलाते हैं । जहां घाट है वहां तो श्मशान का निर्माण किया ही जाता है लेकिन जहां घाट नहीं है वहां लोग अपने दरवाजे पर ही जलाते हैं तो वहां क्या किया जाय । अब जैसे मान लीजिये (व्यवधान) सुन तो लीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग बैठिये, यह उचित नहीं है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मेरे ही परिवार के जितने लोग मरते हैं, हमारा पोखर है उसी के घाट पर जलाया जाता है तो वह तो श्मशान नहीं हुआ फिर जहां नदी के किनारे जलाते हैं वहां तो श्मशान का निर्माण किया ही जाता है । अब कब्रिस्तान के लिए तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया बनी हुई है उसी के तहत उसको किया जाता है, अब कह रहे हैं कि सभी जगह किया जाय..

(व्यवधान)

सुन तो लीजिये । माननीय सदस्य लोग लिख कर दें उस पर विचार किया जायेगा कि सब जगह श्मशान का भी बनाया जाय, तो देखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय, दूसरे दिन इस प्रश्न को लिया जाय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइये, इस पर सरकार विचार करके चलते सदन में मंदिर का, श्मशान का, कब्रिस्तान का विधायक के फंड से कार्य कराने के लिए अपना जवाब देगी । श्री जितेन्द्र कुमार राय । उत्तर मुद्रित है ।

तारांकित प्रश्न सं0-638 (श्री जितेन्द्र कुमार राय, क्षेत्र सं0-117, मढ़ौरा)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत कानपुर सुगर वर्क्स, मढ़ौरा भारत सरकार, कपड़ा मंत्रालय का एक उपक्रम है, जो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन (बी0आई0सी0) ग्रुप की एक इकाई थी, 1996-97 से यह इकाई रूग्ण होकर बंद है। मढ़ौरा चीनी मिल पर गन्ना किसानों का लगभग बकाया 4.64 करोड़ (चार करोड़ चौसठ लाख) रुपया बकाया है ।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3. मढ़ौरा चीनी मिल का मामला National Company Law Tribunal (NCLT) कोलकाता बेन्च, कोलकाता में लंबित है ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एन0सी0एल0टी0 कोलकाता में यह मामला कितने वर्षों से लंबित है तथा राज्य के किसानों के हित में इसके निष्पादन के लिए अपने स्तर से क्या सरकार प्रयास करना चाहती है या नहीं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एन0सी0एल0टी0 में यह...

अध्यक्ष : एक मिनट, माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : नहीं सुन पाये, फिर से माननीय सदस्य एक बार अपना सप्लीमेंट्री करें ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...

अध्यक्ष : गन्ना उद्योग विभाग का है न, तो वे जवाब देंगे न ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, एन0सी0एल0टी0 में 05.02.2019 को यह मामला गया और महोदय अभी हाल में 14.03.2019 को इसका डेट पड़ा है और यह न्यायालय में प्रक्रियाधीन है और फिर इसमें बिहार सरकार की तरफ से, गन्ना विभाग से एक अधिवक्ता को भी अधिकृत करके और हमलोगों ने इसको एंटरटेन करने के लिए, इसकी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यह एन0सी0एल0टी0 में भेजा गया है । अब न्यायालय में यह प्रक्रियाधीन है, मढ़ौरा है, चकिया है और चनपटिया है और उत्तर

प्रदेश का एक चीनी मिल पडरौना है, तो यह सभी चीनी मिल जो ब्रिटिश कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की थी जो प्रक्रियाधीन है अब वहां से जो जजमेंट होगा उसके बाद कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विश्वनाथ राम ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय : महोदय..

अध्यक्ष : हो गया, न्यायालय में मामला है ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय : महोदय, कब राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया गया ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, अभी हाल में भेजा गया है ।

तारांकित प्रश्न सं0-639 (श्री विश्व नाथ राम, क्षेत्र सं0-202, राजपुर, अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बक्सर जिलान्तर्गत ईटाढ़ी प्रखंड, धनसोई बाजार एवं राजपुर बाजार का रास्ता काफी संकीर्ण है, जिसके कारण दिन में छोटी एवं बड़ी गाड़ियों के परिचालन बढ़ने से कभी-कभी जाम लगता है । जाम के निवारण हेतु स्थानीय थाना स्तर से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है तथा थाना स्तर से गश्ती कर निगरानी रखी जाती है ।

श्री विश्वनाथ राम : महोदय, जवाब आया है जो बिल्कुल असत्य है । हमारे क्षेत्र में पड़ने वाले ईटाढ़ी और धनसोई बाजार हमेशा अतिक्रमण से जाम रहता है, उसके दो निदान हैं महोदय या तो अतिक्रमण मुक्त कराया जाय और साथ ही साथ पुलिस की व्यवस्था की जाय लेकिन न ही वहां पुलिस की व्यवस्था रहती है और न ही अतिक्रमण से मुक्त हुआ ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद, मंत्री : महोदय, चूंकि रास्ता संकीर्ण है कभी-कभी जाम लगता है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, फिर से बता दीजिये, आवाज नहीं जा रही है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, संकीर्ण रास्ता है कभी-कभी जाम हो जाता है, पुलिस वहां प्रतिनियुक्त रहती है और उसकी कार्रवाई करती है ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्रीमती मीना कुमारी ।

(व्यवधान)

वे बता दिये हैं । ठीक है, सरकार के ध्यान में आ गया है । हो गया, बैठ जाइये, संतोष जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-640 (श्रीमती मीना कुमारी, क्षेत्र सं0-34, बाबूबरही)

(लिखित उत्तर)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : महोदय, यह प्रश्न कृषि विभाग, बिहार से संबंधित है ।

जहां तक मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियां प्रखंड में राईस मिल स्थापना का प्रश्न है तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत इस प्रखंड में राईस मिल का कोई निवेश प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । विदित हो कि राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है । निजी क्षेत्र के निवेशकों के द्वारा यदि इकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी औद्योगिक नीति के प्रावधान के तहत आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है । बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था भी की गई है । साथ ही समय-समय पर विभिन्न औद्योगिक संगठनो के साथ वार्ता कर नए उद्योगों को लगाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत मधुबनी जिला अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में अब तक कुल 21 प्रस्तावों को स्टेज-1 क्लियरेंस (सैद्धांतिक सहमति), दिया गया है जिनमें एक राईस मिल कार्यरत हो चुकी
है ।

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सूचित करना चाहती हूं कि उद्योगपति हमारे क्षेत्र में राईस मिल शुरू करने के इच्छुक हैं और प्रक्रिया जारी है, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि एक कैंप लगवाकर उद्योगपतियों को राईस मिल चलाने से क्या-क्या लाभ सरकार द्वारा मिलेगा इसकी जानकारी की व्यवस्था करें ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्योग खुल सकें और हमारे यहां किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके चूंकि हमारे बिहार...

अध्यक्ष : पूरक क्या है ।

श्रीमती मीना कुमारी : चूंकि हमारे बिहार में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं इसलिए आग्रह करना चाहती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुये खुशी हो रही है कि मधुबनी जिले के अंदर बड़ी तादाद में उद्योग लग रहे हैं अभी जो हमारे पास प्रस्ताव है पिछले खासकर फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में जिसमें राईस भी आता है और इथेनॉल की भी फैक्टरी लगती है तो पिछले एक साल में सिर्फ मधुबनी जिले में 1358.61 करोड़ का प्रस्ताव है और यह सब प्रस्ताव जमीन पर उतर रहा है । उसका एस0आई0पी0बी से, जहां तक राईस मिल का सवाल है तो तीन राईस मिल का प्रस्ताव एस0आई0पी0बी0 से सेकेंड फेज में अप्रूव भी हो गया है और मधुबनी जिले में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं । हमारा विभाग कैंप की तरह ही काम कर रहा है कैसे उद्योगपति ज्यादा बिहार आएं, कैसे उद्योग लगे इस पर काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री जनक सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-641 (श्री जनक सिंह (क्षेत्र सं0-116, तरैया)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, गृह विभाग (विशेष शाखा) के संकल्प ज्ञापांक-8778, दिनांक-19.09.2016 के तहत राज्य अंतर्गत उन्हीं मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण किया जाता है, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित हो । प्रश्नगत ईशुआपुर प्रखंड के ग्राम गोहा में बलिराम बाबा अघौरी मठ बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित नहीं है ।

तरैया प्रखंड के ग्राम भटौरा स्थित श्रीरामजानकी ठाकुरबाड़ी बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित है, जिसका निबंधन सं0-1698 है एवं जिला के प्राथमिकता सूची क्रमांक 86 पर है ।

मंदिर चहारदीवारी निर्माण हेतु धार्मिक न्यास पर्षद से प्राप्त पंजीकृत मंदिरों की जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित दो सदस्यीय समिति, जिसके एक अन्य सदस्य पुलिस अधीक्षक होते हैं, द्वारा प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है । जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थल चयन किये जाने के उपरांत योजना की स्वीकृति दी जाती है तथा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा मंदिर चहारदीवारी का निर्माण का कार्य कराया जाता है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे ईशुआपुर प्रखंड के अंतर्गत गोहा में बलिराम बाबा अघौरी मठ जिसका निबंधन नहीं है सरकार की तरफ से यह उत्तर आया है और हम सब जानते हैं कि हमारे विधि मंत्री पूरे राज्य में...

अध्यक्ष : भूमिका मत बनाइए, पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : वही तो कह रहे हैं कि पूरे राज्य में विधि मंत्री घूम रहे हैं और राजस्व विभाग का सहयोग उनको नहीं मिल रहा है । अब बताइए कि अघौरी मठ जो गोहा में है वह करोड़ों रूपया इकट्ठा है, 10 कट्ठे से अधिक है, रेलवे स्टेशन पर है बैंक और उसके संबंध में सैकड़ों वर्ष पूर्व का यह अघौरी मठ है और करोड़ों रूपया कट्ठा से अधिक है और उसकी सुरक्षा कौन करेगा, कब तक निबंधन होगा, राजस्व विभाग का सहयोग नहीं मिल रहा है, कर्मचारी/पदाधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं । हमारे विधि मंत्री पूरे राज्य में भ्रमण कर रहे हैं यह जो स्थिति है और यह कह रहे हैं कि भटौरा जो है वहां पर तरैया का वह निबंधित है तो इस...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, मंत्री जी जवाब देंगे । आप पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : वही तो हम चाहते हैं कि कब तक निबंधन होगा ?

अध्यक्ष : आप जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं ।

श्री जनक सिंह : नहीं-नहीं, एक में उन्होंने कहा है कि निबंधन नहीं हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि निबंधन कब तक हो जायेगा । दूसरा, जो भटौरा का है...

अध्यक्ष : आपका प्रश्न है जीर्णोद्धार का कि कब तक कराने का विचार रखती है ।

टर्न-7/सत्येन्द्र/07-03-22

श्री जनक सिंह: वही तो हम बात कर रहे हैं कि कबतक लेकिन अध्यक्ष जी, इसमें कुछ विषय है । विषय यह है कि अगर राजस्व विभाग पैमाईस कर के देगा, तब न वे निबंधित करेंगे ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: एक है कि धार्मिक न्यास परिषद की जो सूची है उसमें सूचीबद्ध नहीं है, ऐसा उत्तर है और दूसरा सूचीबद्ध है । डी0एम0 एस0पी0 की अध्यक्षता में जो कमिटी है, उस कमिटी को निर्देशित किया जायेगा कि उसको प्राथमिकता के आधार पर करवाने की कार्रवाई करें ।

अध्यक्ष: चलिये, अब दे दिये सकारात्मक जवाब, मंदिर पर तो इतनी चर्चा आपने की ..

श्री जनक सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राज्य का विषय है और दूसरा जो निबंधित है उसको कबतक बनाया जायेगा ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी तो बतला ही दिये हैं । माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

जवाब स्पष्ट दे दिये हैं मंत्री जी । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आपको जानकर खुशी होगी कि आज भी अल्पसूचित में शत प्रतिशत प्रश्नों का जवाब आया और सरकार की सजगता से तारांकित प्रश्न के उत्तर भी शत प्रतिशत आये । मैं अपनी तरफ से सरकार को, सभी विभागों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और माननीय सदस्य, आप भी पूरी सजगता से कम शब्दों में पूछें ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की भागीदारी हो सके । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उसे सदन पटल पर रख दिये जायें ।

अध्यक्षः अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 07 मार्च 22 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री भूदेव चौधरी, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री सत्यदेव राम, श्री विजय कुमार सिंह, श्री राकेश कुमार रौशन, श्रीमती वीणा सिंह, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री विनय कुमार, श्री मुकेश कुमार रौशन एवं श्री सतीश कुमार । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद विवाद तथा मतदान एवं बिहार विनियोग विधेयक के उपस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन निमयावली के नियम 176(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री भूदेव चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है, बेलागंज की घटना है..

अध्यक्षः यह तो आ चुका है । श्री मुरारी मोहन झा ।

(व्यवधान)

शून्यकाल की सूचना पढ़ें ।

(व्यवधान)

<u>शून्यकाल</u>

श्री मुरारी मोहन झाः अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात शुरू होने के पहले पक्की नाला का निर्माण कार्य करना आवश्यक है जिससे कि आम जनमानस को जल जमाव की समस्या नहीं झेलना पड़े । जल्द से जल्द नाला निर्माण का कार्य प्रारंभ हो, हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, बैठ जायें, सभी लोग बैठ जायें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, बैठ जाईए ।

श्री भाई वीरेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, यूक्रेन में हमारे क्षेत्र का शुभम मिश्रा फंसा हुआ है उसको लाने की व्यवस्था राज्य सरकार करे..

अध्यक्षः बैठ जाईए, बैठ जाईए हो गया ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, रामानंद जी ।

श्री रामानंद यादवः मेरा आवास संख्या वीरचंद पटेल–7 में 12 लाख की चोरी हो गयी ।

अध्यक्षः क्या हुआ ?

श्री रामानंद यादवः 12 लाख का शयन कक्ष में, बेड के नीचे बक्सा में रखा हुआ था, चोरी हो गयी । मैं बाहर जा रहा था तो हमने देखा कि बैग में पैसा है तो देखा कि सब चेन खुला हुआ है और पैसा गायब है । हमने एफ0आई0आर0 किया कोतबाली में जिसका कांड संख्या 104/22 है..

अध्यक्षः चलिये, सरकार के संज्ञान में आया है ।

श्री रामानंद यादवः अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है, वह जो पोछा लगाती थी घर में और जो कपड़ा साफ सफाई करता था, उसके सिवा उसमें कोई नहीं जाता था, जब हमने केस किया तो उसका लड़का जो माननीय शिक्षा मंत्री के यहां कंट्रेक्ट बेसिस पर ड्राईवर का काम कर रहा है उसने फोन से मोबाईल पर कहा साउंड पर कि तुम डरना नहीं पुलिस से, हम हैं, मदद करेंगे । मैं चाहता हूँ कि एस0आई0टी0 गठित कर इसकी जांच करायी जाय, इसी तरह अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्षः चलिये, आपने सूचना दे दी, सरकार ग्रहण कर ली । श्री मुकेश कुमार यादव ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, चूंकि माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर कहा है । हम माननीय सदस्य की बात को चुनौती देते हैं कि जरा सुना दें कि कहां हमने कहा कि पुलिस से डरना नहीं है । महोदय, इनके घर में चोरी हुई है, इसकी जांच जितनी गहराई से हो उतनी करवा लीजिये, हम क्यों कहने जायेंगे ।

अध्यक्षः आपका नाम नहीं लिये हैं, कोई आपके यहां ड्राईवर है ।

(व्यवधान)

ठीक है । सरकार संज्ञान में ली है, इसकी जांच करवा लेगी । श्री मुकेश कुमार यादव।

(व्यवधान)

श्री मुकेश कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य अन्तर्गत पंचायत प्रतिनिधियों वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद सदस्य एवं जिला परिषद अध्यक्ष को मानदेय भत्ता दुगुना करने तथा पेंशन सुविधा देने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

श्री अवध विहारी चौधरीः अध्यक्ष महोदय, बेलागंज की घटना बहुत गंभीर घटना है मैं आपसे..

अध्यक्षः देखिये, बेलागंज और भागलपुर दोनों घटना पर चर्चा हो गयी है ।

(व्यवधान)

श्री अवध विहारी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इसको ध्यानाकर्षण में परिवर्तित कर दीजिये । यही आपसे मेरा आग्रह है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: ठीक है।

(व्यवधान)

सरकार के संज्ञान में आ गया है । श्री अवध विहारी चौधरी शून्यकाल पढ़ें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: श्री अवध विहारी चौधरी। शून्यकाल पढ़ें ।

श्री राज कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा शून्यकाल नहीं पढ़ा गया है अभी । अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय के पूर्व सैनिकों को अपने नियमित विभागीय कार्य हेतु मुंगेर जाना पड़ता है जिससे उनकी ऊर्जा एवं समय नष्ट होता है, पूर्व सैनिकों के लिए यह असुविधाजनक है । अत: बेगूसराय मुख्यालय में सैनिक कल्याण केन्द्र की एक इकाई खोलने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री अवध विहारी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार राज्य में विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों, पदाधिकारियों, सांसदों एवं विधायकों हेतु तैनात अंगरक्षकों को यात्रा भत्ता एवं ठहराब भत्ता देना उचित होगा । अत: मैं शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि सभी अंगरक्षकों को यात्रा भत्ता एवं ठहराव भत्ता दी जाय ।

श्री कुंदन कुमार: अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय प्रखंड के कुसमहौत पंचायत में मक्का अनुसंधान केन्द्र स्थापित है । अत: सरकार से कुसमहौत मक्का अनुसंधान केन्द्र में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की मांग करता हूँ।

श्रीमती नीतु कुमारी: अध्यक्ष महोदय, पथ प्रमंडल, नवादा के अधीन पड़ने वाले हिसुआ भाया सिरदला पथ की चौड़ाई कम रहने से बड़े वाहनों का परिचालन एवं जाम की समस्या बनी रहती है तथा झारखंड राज्य से आने वाले वाहनों को सिरदला के रास्ते पर्यटक स्थल राजगीर जाने में कठिनाई होती है । अत: उक्त पथ का चौड़ीकरण करवाने की मांग करती हूँ ।

श्री सूर्यकांत पासवान: अध्यक्ष महोदय, गढ़पुरा प्रखंड की लगभग दो लाख आबादी में भूमि उपलब्ध रहने के बाद भी खेल का मैदान या स्टेडियम नहीं रहने से खिलाड़ियों और

खेल प्रेमियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । अतः सरकार से गढ़पुरा प्रखंड में स्टेडियम बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री मिथिलेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी और सिविल सर्जन, सीतामढ़ी सदर अस्पताल के मुख्य द्वार को रोगियों एवं आमजनों के हित में बिना समय गंवाय खोलवायें ।

श्रीमती शालिनी मिश्राः अध्यक्ष महोदय, पूवी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड के तिवारी टोला घुसियार निवासी श्री आदित्य कुमार की निर्मम हत्या दिनांक 07-01-2022 को शराब माफियाओं द्वारा कर दी गयी । अतः शराबबंदी को सफल करने में शहीद हुए श्री आदित्य कुमार की बेसहारा पत्नी को सरकारी नौकरी एवं मुआवजा की मांग करती हूँ।

टर्न-8/मधुप/07.03.2022

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, बिहार प्रदेश के सीमांचल क्षेत्र अन्तर्गत किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जिलों में अधिकांश सुरजापुरी मुस्लिम जाति की आबादी है, जो शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा है ।

अतः मैं सुरजापुरी मुस्लिम समाज को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने की सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, पटना सिटी के नूरानी बाग 5-ए कॉलोनी के मुख्य मार्ग जिसकी चौड़ाई 40 फीट है, इसमें कई मैरेज हॉल और कम्युनिटी हॉल स्थित हैं, के शेरशाह रोड स्थित मुहाने पर सरकारी भूमि के अवैध अतिक्रमण के कारण भयंकर जाम लगता है और लोगों को बहुत असुविधा होती है ।

मैं माँग करता हूँ कि विधिवत मापी कराकर उक्त सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करायी जाय ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा विधान सभा अन्तर्गत शिवाजी नगर के रजौर रामभद्रपुर, डुमरा मोहन एवं बल्लीपुर भटौरा में भारी जल-जमाव के कारण किसानों की फसल नहीं हो पाती है । इसलिए शिवाजी नगर और मेघौलिया के बीच जमीन अधिग्रहण कर नहर निर्माण कराने की माँग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में सुदूरवर्त्ती ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में 'आशा' की बड़ी भूमिका है । 'आशा' को मात्र मासिक 1000 रूपया प्रोत्साहन राशि दिया जाता है ।

मैं राज्य सरकार से राज्य में कार्यरत 'आशा' को प्रोत्साहन राशि 1000 की जगह मासिक मानदेय 3000 रूपया देने हेतु माँग करता हूँ ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अन्तर्गत पीरपैंती एवं कहलगॉव प्रखंड के रानी दियरा, टपुआ, तोफिल, अनठावन, एकचारी, खवासपुर आदि स्थानों पर भीषण गंगा कटाव हो रहा है ।

मैं सरकार से उक्त स्थानों पर कटावरोधी कार्य तेज गति से प्रारम्भ करने की मॉग करता हूँ ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा सदर प्रखंड के लोक सेवा अधिकार काउन्टर पर 04.02.2022 तक 29105 मामले लंबित हैं जिसमें समय सीमा बीत जाने के बाद के मामले 14951 हैं, जिसमें अधिकांश आय, आवासी, जातीय प्रमाण पत्र के मामले हैं ।

सरकार लंबित मामलों का निष्पादन कर आम लोगों को राहत प्रदान करे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं खुद ब्लॉक पर गया था, आय, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र देने में विलम्ब हो रहा है....

अध्यक्ष : श्री महा नंद सिंह ।

(व्यवधान)

सरकार सुन रही है ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आजादी के 75वें वर्ष पर देश भर में शदीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने व लिपिबद्ध करने का अभियान चलाया जा रहा है । इसी कड़ी में बिहार के सभी पंचायत भवनों पर संबंधित पंचायत के शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक बनाने की मॉग करता हूँ ।

श्रीमती संगीता कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवकों के लिए विभाग में कार्यानुसार पदों का सृजन कर बहाली करने की मॉग करती हूँ ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला स्थित केन्द्रीय विद्यालय का अपना भूमि नहीं है, भवन नहीं है । सरकार से जीरादेई प्रखंड के भैंसाखाल में सरकारी भूमि पर केन्द्रीय विद्यालय निर्माण कराने की जनहित में मॉग करता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी के लहरपट्टी प्रधानमंत्री सड़क से घोड़बंकी महादलित टोला एवं परसा पी0डब्लू0डी0 सड़क से इजोत उत्तरबारी टोल तक की सड़क अधूरी है । यातायात बाधित है । विलम्ब के लिए दोषी संवेदक एवं अधिकारियों पर कार्रवाई एवं निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मॉग सरकार से करता हूँ।

श्री संदीप सौरभ : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में उच्च शिक्षा में कार्यरत महिला प्राध्यापकों के लिए अभी तक मातृत्व एवं शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान नहीं है जबकि केन्द्र सरकार, यू0जी0सी0 व अन्य राज्यों में इसका प्रावधान है ।

महिला प्राध्यापकों के लिए तत्काल मातृत्व अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान की माँग करता हूँ ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के कोचस प्रखण्ड अंतर्गत सासाराम-चौसा आर0सी0डी0 पथ से लिंक्ड ग्राम-बलथरी से ग्राम-कपसियाँ को जोड़ने वाला एम0एम0जी0एस0वाइ0 पथ, निर्माण के मात्र 15 महीनों में ही जर्जर हो गया है, उक्त एम0एम0जी0एस0वाइ0 पथ के निर्माण में हुई अनियमितता की जाँच कर तात्कालिक मरम्मति की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया प्रखण्ड स्थित स्कूल चौक राम एकबाल सिंह के घर से राजाराम उच्च विद्यालय के पीछे होते हुए मोगलाहाँ चवर तक ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित नाला मिट्टी भरने, जीर्ण-शीर्ण, बजबजाती नाली से पूरा बाजार तबाह है ।

मैं सरकार से माँग करता हूँ कि नाला का जीर्णोद्धार करावें ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : अध्यक्ष महोदय, मेरा शून्यकाल नहीं पढ़ा गया ।

अध्यक्ष : आपका समरूप रहने के कारण आमान्य किया गया ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत पहाड़पुर प्रखंड के मझरिया पंचायत में चन्द्रावत नदी बहती है, नदी के उस पार हजारों एकड़ में किसान खेती करते हैं । खेती करने किसानों को काफी दूरी तय करके जाना पड़ता है ।

अत: मैं सदन से माँग करता हूँ कि उक्त नदी पर पुल बनवाने की कृपा की जाए ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विगत 12 वर्षों से बहाली नहीं की है । तकनीकी अनुदेशकों के 96% पद रिक्त हैं, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । अविलम्ब रिक्त पदों पर बहाली की माँग करता हूँ ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को मजबूती एवं आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली एवं पंजाब की तरह बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करना आवश्यक है ।

अत: मैं सरकार से माँग करता हूँ कि बिहार में महिलाओं की यात्रा को सरकारी एवं गैर सरकारी बसों में मुफ्त सुविधा प्रदान की जाए ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिले के योगिया मठ, सरैयागंज, वार्ड नं0-11 में 1922 में मखदूमियां उर्दू मिडिल स्कूल स्थापित हुआ । आज जूड़न छपड़ा वार्ड-4 के राजकीयकृत मध्य विद्यालय में चल रहा है । सौ वर्ष बाद भी भूमिहीन, भवनहीन मखदूमिया उर्दू मिडिल स्कूल के भवन के निर्माण की माँग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला अन्तर्गत प्रखण्ड- घोसी, मोदनगंज, हुलासगंज, काको एवं नगर पंचायत घोसी तथा काको को मिलाकर नया अनुमंडल घोसी बनाने की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी अतिथि शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति करने की माँग करता हूँ ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत रजौन प्रखंड के चिलकावर गांव में आग लगने से 24 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गये हैं । रहने एवं खाने के लिए सभी मोहताज हो गये हैं ।

अतएव सभी अग्नि पीड़ितों को उचित सहायता उपलब्ध कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर इन्दिरा आवास बनाने की माँग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण सूचना के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति होगी तो शेष शून्यकाल की सूचनाएँ ली जायेंगी।

श्री भाई वीरेन्द्र : यह बहुत दुखद बात है कि ट्रेजरी बेंच पर सिर्फ माननीय उप मुख्यमंत्री जी केवल बैठे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, अपनी सूचना को पढ़ें ।

टर्न-9/आजाद/07.03.2022

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री अरूण शंकर प्रसाद, अनिरूद्ध प्रसाद यादव एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ''राज्य सरकार ने खाद्य सामग्रियों में मिलावट की जाँच हेतु 10 करोड़ की लागत से अगमकुआँ स्थित संयुक्त औषधि एवं खाद्य प्रयोगशाला में

तीन आधुनिक मशीनें 6 माह पूर्व लगायी थी । छोटे सहायक उपकरणों की खरीद नहीं होने से तीनों मशीन बेकार पड़ी हुई हैं । उक्त मशीनों के द्वारा खाद्य सामग्रियों में कीटनाशक-रसायन, लौह व भारी धातु एवं पशु उत्पाद संबंधी मिलावट की जॉच मिनटों में हो जाती है । तीनों स्वचालित मशीनों से मिलावट की कम्प्यूटराइज्ड रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाती है । मशीन में एक साल तक रिपोर्ट सुरक्षित रहता है । सहायक उपकरणें के अभाव से मिलावट की जॉच के लिए एकत्र सैंपल को कोलकाता भेजा जाता है । रिपोर्ट आते-आते एक से दो माह का समय लग जाता है जिस कारण कार्रवाई का औचित्य समाप्त हो जाता है एवं मिलावटी खाद्य पदार्थ का बाजार में प्रचलन बढ़ जाता है ।

अतः उक्त बेकार पड़े मशीनों को चालू करवाने तथा खाद्य सामग्रियों की जॉच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । ''

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : महोदय, स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : समय चाहिए महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, चलते सत्र में इसका जवाब आना चाहिए ।

अध्यक्ष : हां-हां, चलते सत्र में आयेगा ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री संजय सरावगी, रामप्रवेश राय एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त
ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (विधि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, ''भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का आदेश देश के सभी भूभाग में मान्य है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल वाद संख्या-4850/2021 के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया है कि देश के मठ-मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है । वह राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अन्तर्गत पूरे राज्य में मठ-मंदिरों के नाम पर निबंधित एवं अनिबंधित 30,000(तीस हजार) एकड़ भूमि है, जिसमें दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि है, जिसमें अधिकांश भूमि स्थानीय लोगों के अवैध कब्जा में है ।

अतः उक्त भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराकर उसकी बिक्री पर रोक लगाने एवं मठ-मंदिरों के नाम पर अनिबंधित भूमि को समयबद्ध अभियान चलाकर निबंधन कराने तथा भूमि को पैमाईश कराकर पिलरिंग कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं । ''

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, श्री रामप्रवेश राय जी, श्री जनक सिंह जी, श्री कृष्णनंदन पासवान जी, श्री अनिल कुमार जी और श्री विनय कुमार चौधरी को धन्यवाद दूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो भूमि सर्वेक्षण 2023 तक पूरा करने की बात कही थी और अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय भूस्वामी प्रमाण पत्र देने की बात जो कह रहे हैं, उसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेश सम्पूर्ण देश पर कानून के रूप में लागू रहेगा । अनुच्छेद-141, 32 एवं 142 अनुसार संवैधानिक आदेश आबद्धकारी प्रकृति रखता है । सिविल अपील नं0- 4850/2021 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 में निदेश है कि ''राजस्व अभिलेखों में रैयत के कॉलम में केवल भगवान का नाम दर्ज रहेगा । उसके व्यवस्थापक/पूजारी/सेवायत/महंत इत्यादि का नाम कॉलम-12 में अभियुक्ति/रिमार्क में ही रखा जायेगा ।'' जिस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 23.11.2021 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंधित अपर मुख्य सचिव, निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप सहित सभी प्रमुख अधिकारी सहित बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के माननीय अध्यक्ष, विधि सचिव, विशेष सचिव, विधि विभाग, न्यास बोर्ड के सदस्यगण, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी सहित माननीय मंत्री जी के उपस्थित बैठक में उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू कराने हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अंचल अधिकारी को निदेशित करने का निर्णय हुआ जो लागू होने की प्रक्रियाधीन है । इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद का पत्रांक- 5436, दिनांक 05.03.2022 द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखा गया है ।

उक्त संबंध में विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न तिथियों में बैठक कर धार्मिक न्यास के संबंधित भूमि को चिन्हित एवं संरक्षित करने की दिशा में निर्देश दिये गये हैं । जिसे जिला स्तर पर वेबसाईट/पोर्टल एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के पोर्टल पर डाले जायेंगे । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 06.09.2021 के अनुपालन एवं

मठ–मंदिरों से संबंधित भूमि की पैमाईश कराकर इसे अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देशित किया गया है ।

महोदय, इस संबंध में प्रथम चरण में कोशी प्रमंडल में दिनांक 03.09.2021, ज्ञापांक–19–02(मु0), दिनांक 07.03.2021, पूर्णिया प्रमंडल में दिनाक 07.08.2021, ज्ञापांक–2085, दिनांक 01.09.2021, मुंगेर प्रमंडल में दिनांक 22.08.2021, ज्ञापांक–3693/09.10.2021, भागलपुर प्रमंडल में दिनांक 27.08.2021, ज्ञापांक–2894, दिनांक 08.10.2021, सारण प्रमंडल में दिनांक 25.08.2021, ज्ञापांक–1931, दिनांक 09.09.2021 एवं मगध प्रमंडल में दिनांक 21.08.2021, ज्ञापांक–3041, दिनांक 18.09. 2021 को, इस प्रकार कुल 6 बैठकें प्रमंडल स्तर पर आयोजित की गयी है ।

द्वितीय चरण में भागलपुर प्रमंडल में दिनांक 15.02.2022, ज्ञापांक–123, दिनांक 24.02.2022, मगध प्रमंडल में दिनांक 31.01.2022, ज्ञापांक–555, दिनांक 15. 02.2022, पूर्णिया प्रमंडल में दिनांक 18.01.2022, ज्ञापांक–210, दिनांक 27.01.2022, सारण प्रमंडल में दिनांक 28.01.2022, ज्ञापांक–292, दिनांक 18.02.2022, मुंगेर प्रमंडल में दिनांक 14.0 2.2022, ज्ञापांक–735, दिनांक 23.02.2022, कोशी प्रमंडल में दिनांक 29.01.2022, ज्ञापांक–286, दिनांक 17.02.2022 एवं दरभंगा प्रमंडल में दिनांक 11.02.2022 को कुल 7 प्लस 6 यानी कुल 13 प्रमंडलीय स्तर पर बैठक आयोजित की गयी है ।

महोदय, इस प्रकार जिला स्तर पर आरा एवं बक्सर जिला में दिनांक 11.09. 2021 ज्ञापांक–2894, दिनांक 08.10.2021, पटना जिला में दिनांक 06.08.2021, ज्ञापांक–2566, दिनांक 12.08.2021, रोहतास एवं कैमूर में दिनांक 10.09.2021, ज्ञापांक–1165, दिनांक 25.09.2021, नालन्दा जिला में दिनांक 21.09.2021, ज्ञापांक–3462, दिनांक 30.10.2021, वैशाली जिला में दिनांक 03.08.2021, ज्ञापांक–07, दिनांक 13.08.2021, मोतिहारी जिला में दिनांक 11.08.2021, ज्ञापांक–326, दिनांक 19.11.2021, दरभंगा जिला में दिनांक 09.08.2021, ज्ञापांक–1628, दिनांक 16.09.2021, मधुबनी जिला में दिनांक 03.09.2021, ज्ञापांक–06, दिनांक 10.09.2021, समस्तीपुर जिला में दिनांक 18.08.2021, ज्ञापांक–2522, दिनांक 23.08.2021, मुजफ्फरपुर जिला में दिनांक 09.08.2021, ज्ञापांक–3327, दिनांक 15.12.2021 को कुल 10 बैठक आयोजित की गयी है ।

अभी तक धार्मिक न्यास के संबंधित सभी भूमि की पैमाईश अंतिम रूप से नहीं हो पायी है, इस संबंध में अपेक्षित दिशा-निर्देश जारी किया गया है एवं यह कार्य प्रक्रियाधीन है । इसी क्रम में सभी जिलाधिकारियों एवं प्रमंडलीय आयुक्त को पर्षदीय पत्रांक-5288, दिनांक 24.02.2022 एवं विभागीय पत्रांक-815, दिनांक 18.02.2022 तथा पत्रांक-1255, दिनांक 05.03.2022 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

संबंधित जिला पदाधिकारियों ने जिले स्तर पर जिले के अपर समाहर्त्ता, राजस्व को नोडल पदाधिकारी न्यास की परिसम्पत्ति का सर्वेक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु नियुक्त किया गया है ।

धार्मिक न्यास की सम्पत्ति को अवैध कब्जा से मुक्त कराने हेतु अधिनियम की धारा-43 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जिससे अतिक्रमण संबंधित वाद विनिश्चित किये जाते हैं । अधिनियम की धारा-44 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी न्यास का न्यासधारी/पुजारी/सेवायत/महंत/प्रबंधक न्यास सम्पत्ति को तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दे सकता है । किसी भी न्यासधारी को न्यास सम्पत्ति को विक्रय करना, बंधक रखना अवैध है जब तक इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से कोई पूर्वानुमति प्राप्त न हो ।

राज्य के प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा बैठक में दिये गये आंकड़े के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों अवस्थित मठ/मंदिरों से संबंधित लगभग 24,180 एकड़ जमीन चिन्हित की गयी है ।

धार्मिक स्थलों की भूमि की सुरक्षा हेतु प्रमंडलीय स्तर तथा जिलास्तर पर कई बैठकें विभिन्न पदाधिकारियों के साथ की गयी है । सभी जिलों से यह प्रश्न उठाया गया है कि मंदिर के अतिरिक्त जो मंदिर की भूमि है, उसकी सुरक्षा तथा चिन्हित करने के लिए भूमि की मापी के पश्चात् उसकी पिलरिंग किये जाने की आवश्यकता है और इस संबंध में प्रत्येक जिले से राशि की मांग उठ रही है ।

महोदय, राज्य सरकार द्वारा बिहार मंदिर चहारदिवारी निर्माण योजना, 2015 में निधि का प्रावधान राज्य योजना मद से किया गया है ।

मंदिर की भूमि की सुरक्षा हेतु पिलरिंग लगाने हेतु निधि की व्यवस्था उक्त योजना के अन्तर्गत या अलग से निधि का प्रावधान किया जाय, जिससे विभिन्न जिलों को राशि उपलब्ध कराकर मंदिर की भूमि की सुरक्षा की जा सके । इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के पत्रांक-5434, दिनांक 05.03.2022 एवं विधि

विभागीय पत्रांक–1256/जे0, दिनांक 05.03.2022 द्वारा योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से राशि कर्णांकित करने का अनुरोध किया गया है ।

टर्न–10/शंभु/07.03.22

अध्यक्ष : विस्तार से उत्तर है, पूरक की तो कोई गुंजाइश नहीं है ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, पूरक है ।

अध्यक्ष : इतना विस्तार से माननीय मंत्री जी उत्तर दिये हैं पूरक की गुंजाइश नहीं है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं उसका आंकड़ा हमलोगों को दे रहे हैं, अच्छा है, भ्रमण कर रहे हैं अच्छी बात है ।

अध्यक्ष : पूरक की जरूरत है क्या ?

श्री संजय सरावगी : हां बहुत जरूरत है ।

अध्यक्ष : तो संक्षिप्त में पूरक पूछिए माननीय मंत्री जी की तरह लंबा पूरक मत पूछिए ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, हम तीन पन्ना का पूरक नहीं पूछनेवाले हैं । अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । हमलोग 18–20 साल से विधायक हैं, लेकिन आज तक कोई विधि मंत्री जिला और प्रमंडल में जाकर–अपने अपने प्रोपर्टी की चिंता तो हमलोग करते हैं, लेकिन भगवान राम जानकी, श्यामा माई अन्य देवी–देवताओं की प्रोपर्टी की चिंता कर रहे हैं विधि मंत्री जी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ । मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि मंत्री जी मैंने कहा कि सेवादार हकदार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और रैय्यत के कॉलम में सेवादार और हकदार का नाम नहीं हो सकता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या बिहार में जो धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन है उसके रैय्यत कॉलम में सेवादार और हकदार का नाम है और है तो क्यों है ? जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत भगवान का नाम रहना है रैय्यत कॉलम में और अभियुक्ति में सेवादार और हकदार का नाम रहना है तो वर्तमान में क्या है ? मतलब रैय्यत में कॉलम में यह मैं पूछना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : सारा पूरक एक ही बार पूछियेगा कि बारी–बारी से ?

श्री संजय सरावगी : तीन बार पूरक पूछूंगा एक बार अभी मैं पूछ रहा हूँ उसके बाद....

अध्यक्ष : दो तो हो गया ।

श्री संजय सरावगी : तीन बार उठकर पूछने का प्रावधान है । मैं पहला पूछ रहा हूँ ।

अध्यक्ष : पूछिए ।

श्री संजय सरावगी : एक तो यह होगा कि व्यवस्था क्या है और माननीय मंत्री जी जो एक साल घूमे उसका परिणाम क्या हुआ, कितने जगह मठ-मंदिर के सेवादार के जगह भगवान का नाम अंकित हो गया ? यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ इसके बाद माननीय मंत्री ने कहा अपने जवाब में ये घूमे उससे लगभग 6000 हजार एकड़ जमीन अनिबंधित मिली और माननीय मंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि सब अनिबंधित जो भगवान की जमीन है उसको निर्बंधित कराया जाय, तो इस एक साल में कितने अनिबंधित जमीन का जिलाधिकारी ने रिपोर्ट की जो निबंधित हो गयी । पहले मैं यह पूछना चाहता हूँ उसके बाद मेरा और पूरक है । मैं एकदम स्पेशफिक पूरक पूछूंगा ।

अध्यक्ष : अब तीन पूरक हो गया । चलिए बैठिए, आप तीन पूरक पूछ चुके हैं ।

श्री संजय सरावगी : पहले यह पूछ लेता हूँ फिर पूछूंगा ये दो प्रश्न का पहले जवाब दें माननीय मंत्री जी ।

अध्यक्ष : जो ध्यानाकर्षण का बिन्दु है उसी पर माननीय मंत्री जी जवाब देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की इच्छा जाहिर है माननीय सदस्य ने रैय्यती और रिमार्क कॉलम की चर्चा की है और निबंधित और अनिबंधित की चर्चा की है तो महोदय, ये राजस्व विभाग के जो अंचल अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के जो एल0आर0डी0सी0 हैं, राजस्व विभाग के जो अपर राजस्व समाहर्त्ता हैं उनके स्तर से इस काम को मेनटेन करना है । ये कलक्टर के नोडल अधिकारी हमने चर्चा की है कि वहां राजस्व के अपर राजस्व पदाधिकारी ही नोडल पदाधिकारी हैं उनके नीचे एल0आर0डी0सी0 हैं उनके नीचे अंचल अधिकारी हैं, उनके नीचे पटवारी और कर्मचारी हैं तो ये उनके स्तर से मुआयना करना है और हमने माननीय राजस्व मंत्री महोदय के साथ बैठक की और कहा कि इस काम को आप नीचे स्तर पर कराया जाय तो उन्होंने कहा कि हम प्रक्रिया में इसको ले रहे हैं । अब महोदय, यह डिटेल राजस्व विभाग को बुलाकर पूछ लिया जाय । वह डिटेल बता देंगे कि कहां-कहां कैसे है, कहां अतिक्रमित है, कहां कॉलम रैय्यत पर है, कहां कॉलम रिमार्क पर है, किस भूमि का पैमाइश कैसे कराया जायेगा यह काम तो राजस्व विभाग का है । हमको मठ मंदिर का संरक्षण और परिसम्पत्ति का.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इस ध्यानाकर्षण को राजस्व विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाय ?

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : कर दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : महोदय, एक तो हो गया कि राजस्व विभाग को हस्तांतरण कर दिया जाय ।

(व्यवधान)

एक मिनट अध्यक्ष महोदय, 32 हजार एकड़ जमीन, खरबों-खरब रूपया जमीन के अधिग्रहण में लग रहा है, विकास का काम नहीं हो सकता है, बहुत गंभीर मामला है । माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी जमीन के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं ।

(व्यवधान)

नहीं-नहीं विकास का काम....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलने दीजिए इन्हें सभी लोग बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कॉल अटेंशन है ।

(व्यवधान)

अच्छा ठीक है धार्मिक कार्य ही होगा । अध्यक्ष महोदय, धार्मिक कार्य ही होगा और धार्मिक कार्य होना भी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ रहा हूँ कि वर्तमान में रैय्यत कॉलम में किसका नाम है ? यह तो माननीय मंत्री जी बतावें ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : राजस्व विभाग के पास वह रजिस्टर है । अब राजस्व विभाग वह रजिस्टर देखकर बतायेगा कि कितना रैय्यत का है, कितना रिमार्क में है वह तो राजस्व विभाग बतायेगा । हम तो मठ-मंदिर का आंकड़ा बताये हैं । राजस्व विभाग को बुलाकर डिटेल में पूछ लिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये । अब शेष शून्यकाल लिये जायेंगे ।

टर्न-11/पुलकित/07.03.2022

<u>शेष शून्यकाल की सूचनाएं</u>

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, अमित कुमार पिता राजकिशोर प्रसाद ग्राम वेले इस्लामपुर जिला नालंदा 27 मार्च से सोहसराय बिहार शरीफ से लापता है उनकी बहन के द्वारा सोहसराय थाना कांड संख्या- 63/22 दर्ज कराया गया है ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि अवलिम्ब अपहृत को अपहरणकर्ता के चंगुल से मुक्त कराया जाय ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गुरारू प्रखण्ड अंतर्गत डबुर पंचायत के इसमाईलपुर तीन मोहानी से चिरई विगहा होते हुए ओड़ियाचक तक कच्ची सड़क को शीघ्र पक्कीकरण कार्य का निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखण्ड को स्थापित हुए 67 वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु अग्निशामक यंत्र नहीं होने के कारण अगलगी की घटनाओं में फसल, झोपड़ी एवं जानमाल को काफी क्षति हो जाती हैं ।

जनहित में मोरवा प्रखण्ड में अग्निशामक यंत्र उपलब्ध करने की मांग करता हूं ।

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, सारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड-परसा के ग्राम-बनकेरवा, सारण तटबंध के बगल में जल संसाधन विभाग का डाल बंगला अंग्रेज के जमाने में बना था, जो लगभग एक एकड़ भूमि में है । वर्तमान में उक्त डाक बंगला पूरी तरह से जर्जर भवन एवं गिरने के कगार पर है तथा आवारा पशुओं का बसेरा बन गया है । उक्त डाल बंगला के भवन एवं चहारदीवारी निर्माण हेतु मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत- 2008 से बन रहे सीमा सड़क में किसानों के अधिग्रहित आवासीय भूमि को राजस्वहित में कृषि प्रकृति करने से 14 साल से निर्माणाधीन सड़क का कार्य लंबित है, किसानों के लंबित मामलों का जल्द निष्पादन कराकर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क का जल्द निर्माण कराने की मांग सदन से करता हूं ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, शेरघाटी विधानसभा में जितने भी विद्यालयों का उन्नयन उत्क्रमित उच्च विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हुआ है, सभी जगह प्लस-टू शिक्षकों की कमी है ।

अतः उक्त सभी विद्यालयों में प्लस-टू शिक्षकों की रिक्त पदों को भरने की मांग करती हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के भरगामा प्रखण्ड अंतर्गत बेलसारा वितरणी के पश्चिमी बांध पर एन0एच0- 327ई0, रहड़िया से आर0सी0डी0 महथावा सैफगंज सेड शंकरपुर तक सुलभ संपर्कता योजना के तहत जनहित में पक्की सड़क बनवाने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की प्राकृतिक चिकित्सा प्रोत्साहन नीति अंतर्गत पूर्णिया जिला के रानीपतरा प्राकृतिक चिकित्सालय जिसमें सर्वोदय नेता विनोवा भावे प्रधानमंत्री कोइराला का इलाज हुआ, वह चिकित्सालय विभागीय उदासीनता से बंद है ।

अतः मैं सरकार से स्वास्थ्यसेवा हेतु उक्त प्राकृतिक चिकित्सालय का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं ।

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह थाना कांड संख्या- 85/21 घटित घटना के लगभग एक वर्ष बीत जाने के उपरांत भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है । मैं सरकार से मांग करता हूं उनकी अविलंब गिरफ्तारी की जाए ।

श्री भीम कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 से मगध विश्वविद्यालय में तीन साल के कोर्स को पंचवर्षीय योजना बना दिया गया है ।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मगध विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा सुचारू रूप से करायी जाय ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर शहर के सुलतानगंज प्रखण्ड के नगर पंचायत अकबरनगर में अकबरनगर-शाहकुण्ड मुख्य पथ के रेलवे क्रासिंग पर ओवर-ब्रीज बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाय ।

श्री विजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत जनप्रतिनिधि भी जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं और जनकल्याण में अपनी अहम भागीदारी निभाते हैं ।

अतएव पंचायत के प्रतिनिधियों के हित में सांसद और विधायक के तौर पर पद के अनुरूप पेंशन योजना शुरू की जाय ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला अंतर्गत महुआ विधान सभा क्षेत्र के महुआ प्रखंड में पावर-सब-स्टेशन (पी0एस0एस0) का जनहित में शीघ्र निर्माण करने की मांग करता हूं ।

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा स्थित सेन्ट्रल लाईब्रेरी में भारत की पहली महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले की प्रतिमा स्थापित करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर स्थित जिला स्कूल मुंगेर का भवन जीर्णशीर्ण एवं खंडहर हो गया है । स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर जानमाल का खतरा बना रहता है ।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से जिला स्कूल मुंगेर का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल हाजीपुर में बर्न यूनिट नहीं रहने के कारण जले हुए लोगों का इलाज नहीं हो पाता है । पटना आने के क्रम में कई लोग दम तोड़ देते हैं ।

अतः सदर अस्पताल हाजीपुर में बर्न यूनिट की स्थापना की जाय ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला के प्रखण्ड रामनगर अंतर्गत बनकटवा एवं नौरंगिया पंचायत में सोलर प्लेट से आपूर्ति होने वाली बिजली पिछले एक साल से बाधित है ।

मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि नियमित बिजली आपूर्ति चालू कराई जाय ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड रफीगंज एवं मदनपुर में लघु एवं कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जाय ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला में अवस्थित सदर अस्पताल, खगड़िया की सड़क नीचा रहने के कारण जल जमाव की समस्या बनी रहती है, उक्त मुख्य सड़क को ऊंचीकरण कराते हुए जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कराने की मांग करता हूं।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, वायानदी पर बांध नहीं होने के कारण वैशाली जिला के लालगंज, भगवानपुर, वैशाली, पटेढ़ी बेलसर सहित कई प्रखंडों में प्रतिवर्ष लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है । जिसके कारण लोगों की कठिनाइयों के साथ-साथ सरकार को भी प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये राहत एवं अनुदान पर व्यय करना पड़ता है ।

अतः वायानदी की उड़ाही कराकर उसपर बांध निर्माण की सरकार से मांग करता हूं ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक- 07.03.2022 को रात के 01.00 बजे सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा थाना प्रभारी ने बिना केस के रविन्द्र राय, पिता पंचेलाल राय, ग्राम- बसनपुर को घर से उठा कर लॉकअप में बंद कर दिया है ।

अतः बिना किसी कारण के रविन्द्र राय को गिरफ्तार करने वाले थाना प्रभारी, सोनवरसा पर उचित कार्रवाई करने की मांग सरकार से करती हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है, सरकार के संज्ञान में आ गया है ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखण्ड में नरवरा हाई स्कूल का भवन ध्वस्त हो चुका है एवं चहारदीवारी भी नहीं है । मैं भवन एवं चहारदीवारी निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती वीणा सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला अंतर्गत महनार विधानसभा के जन्दाहा प्रखण्ड के राम अवतार सहाय प्लस-टू विद्यालय में लगभग 3200 विद्यार्थी के लिए सिर्फ 15 कमरे हैं, उक्त विद्यालय में 10-15 कमरे का नया भवन बनवाने की सरकार से मांग करती हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडीह प्रखण्ड के घिया गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र विगत 20 वर्षों से बगैर भवन का शिवाला के चबूतरा पर चल रहा है, जबकि स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण के लिए 4 कट्ठा जमीन आवंटित है, भवन निर्माण कराने की मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, फुलवारी शरीफ एवं पुनपुन प्रखण्ड में बी0एड0 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री मोती लाल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के अधीन विभिन्न महाविद्यालयों में वोकेशनल कोर्स में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ वर्षीय कर्मियों लगभग 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं । जिनको 15000/- व 12000/- प्रतिमाह नियत वेतन के रूप में मिलता है ।

अत: सरकार से मांग करता हूं कि वोकेशनल कोर्स में कार्यरत सभी कर्मियों की सेवा स्थाई करते हुए ई0पी0एफ0 का भी लाभ दिया जाय ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा मोफसिल थाना के बाघी पाकड़ गांव के विरेन्द्र चन्द्रवंशी को अपराधियों ने गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया । आरा में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे घायल की सरकारी खर्चे पर बेहतर ईलाज और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता हूं ।

श्री मोहम्मद इसराईल मंसुरी : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के मड़वन प्रखण्ड के अंतर्गत रक्सा चौड़ से जल निकासी शीघ्र करवाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज शहर में अवस्थित जीर्णशीर्ण सूरजमल संचालित धर्मशाला पर अविलम्ब स्थानीय स्तर पर कमेटी गठित कर एक आधुनिक धर्मशाला बनाने की मैं सदन से मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज 01.00 बजे अपराह्न में भोजन अवकाश के समय वैशाली जिला के बच्चों के साथ बाहर पोर्टिको के बगल में फोटोग्राफी होगी । वैशाली जिला के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वहां अवश्य आयें ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-12/अभिनीत/07.03.2022

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिए जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या- 32 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है ।

अत: किसी एक विभाग के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है । मैं मांग संख्या- 16 पंचायती राज विभाग को लेता हूं जिस पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटीन (मुखबंद) द्वारा किया जायेगा, इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	- 56 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 55 मिनट
जनता दल (यूनाइटेड)	- 33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	- 09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	- 04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 03 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	- 02 मिनट
सी0पी0आई0(एम0)	- 02 मिनट
सी0पी0आई0	- 02 मिनट

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''पंचायती राज विभाग'' के संबंध में तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की मांग की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबंध के अतिरिक्त 6,44,22,01,000 (छः अरब चौवालिस करोड़ बाईस लाख एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री मुकेश कुमार रौशन से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव का प्रस्ताव प्रथम है ।

अतएव, माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटाई जाय ।''

महोदय, आज सरकार तृतीय अनुपूरक के माध्यम से सदन के सामने प्रस्ताव लायी है और सरकार, जो इनका बजट है, बजट की राशि का जो हाल है महोदय, बजट की राशि इनकी खर्च हुई नहीं और कहीं-कहीं विभाग में तो महोदय, 0 से 01 प्रतिशत, कहीं 12 से 15 प्रतिशत सभी विभागवार है । महोदय, तारकिशोर भाई एक नजारे बदलने की बात कहे थे, हम तारकिशोर भाई, वित्त मंत्रीजी को, वैसे तो आज सम्राट जी का पंचायती राज विभाग है लेकिन अन्य विभाग भी गिलोटीन में हैं, सभी विभाग हैं ।

माननीय वित्त मंत्रीजी,

''न नजर बदली, न नजारे बदले, न सोच बदली,
लेकिन सितारे बदल गये ।
न कश्तियां बदलीं, न नाविक बदला,
लेकिन दिशाएं बदल गयीं ।।''

अध्यक्ष महोदय, जब सरकार अपने खर्च का सही अनुमान लगाने में विफल होती है...

अध्यक्ष : आप पहली बार शेर पढ़े हैं, इसके लिए आपको बधाई ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आपको धन्यवाद । महोदय, सदन में विगत वर्ष की समाप्त होने वाली, माननीय मंत्रीजी द्वारा 31 मार्च तक खर्च करने के लिए अनुपूरक के अनुमोदन के लिए सदन में प्रस्ताव लाया गया है । महोदय, सरकार पंचायती राज विभाग में वर्ष 2021-22 में कुल प्राक्कलन 10,615 करोड़, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल 9,544.53 करोड़ व्यय का बजट प्रस्ताव लायी । महोदय, यह पहले 10 हजार था, इस वित्तीय वर्ष में इनकी राशि घट गयी, तो लगता है सरकार पंचायती राज विभाग को सुदृढ़ नहीं करना चाहती है । पहले था इनका 10,615 करोड़ और ये 2020-21 के अनुपात में 2021-22 में ले आयी है 9,544 करोड़, तो सरकार की यह मंशा कहीं स्पष्ट नहीं हो रही है, जो बजट में दर्शाया गया है । 2020-21 से 2021-22 में कम दिखाया गया है जबकि ज्यादा दिखाया जाना चाहिए था । महोदय, जब आप कह रहे हैं कि बजट का आकार बढ़ता है तो विभागवार भी बजट का आकार बढ़ना चाहिए लेकिन आपका आकार बढ़ा नहीं है, घटा है । महोदय, पंचायती राज विभाग की बहुत बड़ी अहमियत है । महात्मा गांधी जी ने राम राज और ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी । जिस तरह से बड़ी इमारत को बनाने के लिए और मकान की भव्यता के लिए मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, उसी तरह विभाग की गुणवत्ता और विभाग की मजबूती को बरकरार रखा जा सकता है । महोदय, जब पंचायती राज का आधार ही मजबूत नहीं बनेगा तो स्वस्थ सरकार की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं ? महोदय, हमलोग पंचायत से, जो प्रथम स्तर का हमारा पंचायत है, जो जनता की भागीदारी होती है महोदय, जहां से जनता की भागीदारी होती है ग्राम पंचायत से, तो जब ग्राम पंचायत सुदृढ़ नहीं होगी तो हम बिहार विधान सभा को सुदृढ़ करने की कल्पना कैसे करेंगे, लोकसभा की कल्पना कैसे करेंगे । पहले त्रि-स्तरीय पंचायत मजबूत हो और सरकार का इरादा मजबूत हो, लेकिन सरकार का इरादा कहीं मजबूत नहीं है । महोदय, पंचायती राज विभाग को इस दिशा में चलाया जा रहा है जहां लूट और भ्रष्टाचार व्याप्त है । महोदय, पंचायती राज को सबल, सुदृढ़ और सशक्त बनाने की सरकार की पहल और दायित्व परिलक्षित नहीं होती है । महोदय, हम सरकार का विभागवार आंकड़ा बता देते हैं । तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में पंचायती राज विभाग का जो बजट प्रावधान किया गया है, तृतीय अनुपूरक के माध्यम से, अभी कृषि विभाग का

महोदय, देखिए जो विभागों की अनुपूरक मांगी गयी है यह अद्भुत लगता है । कृषि विभाग के वर्ष 2021-22 के मूल बजट 3,335.47 करोड़ में खर्च फरवरी, 2022 तक मात्र 547.16 करोड़ हुआ है जो 15 से 20 प्रतिशत तक अनुमान है । महोदय, जब 15 से 20 प्रतिशत ही राशि आप कृषि विभाग में खर्च किए हैं और फिर तृतीय अनुपूरक के माध्यम से 335 करोड़ 02 लाख 99 हजार की अतिरिक्त राशि की मांग कर रहे हैं, यह वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से उचित नहीं है । बाकी शेष राशि, जो इन्होंने खर्च की है मात्र 538 करोड़, राशि निकालकर पी0एल0 एकाउंट में रखे हुए हैं । महोदय, तृतीय अनुपूरक के माध्यम से जो मांग की गयी है यह उचित नहीं लगता है । महोदय, इसी तरह इनका पशुपालन, मत्स्य विभाग का है, मूल बजट 2021-22 में 1,534.09 करोड़ में फरवरी, 22 तक 336.16 करोड़ ही खर्च कर पाये हैं जो कि कुल बजट का 12 से 15 प्रतिशत दर्शा रहा है । महोदय, इनका वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है । ये बजट का आंकड़ा बढ़ाते हैं, खर्च नहीं कर पाते हैं ।

-क्रमशः

टर्न-13/हेमन्त/07.03.2022

(क्रमशः)

श्री ललित कुमार यादव : लगता है कि वित्तीय अनियमितता का भी बहुत सारा उजागर हुआ है, तो महोदय, इस तरह से इनका वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है और भवन निर्माण विभाग का इसी तरह से देखा जाय, तो भवन निर्माण विभाग में इनके मूल बजट में 2021-22 में 5321.41 करोड़ में से अब तक 2087 करोड़ ही खर्च हुआ है । यह भी 35 से 40 प्रतिशत के लगभग है । महोदय, पुनः 344 करोड़ 63 हजार की मांग की गयी है, जो कि उचित नहीं लगता है । आप देखते हैं एक तो भवन निर्माण विभाग में पटना में आपका भी आवास है, बहुत माननीय विधायक और मंत्री जी का आवास है । जितनी एक मकान पर लागत लगती है केवल मेंटिनेंस पर, मरम्मति पर उतने में एक भव्य इमारत खड़ी हो सकती है । महोदय, यह घोर वित्तीय अनियमितता है, यह लूट है, यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाना है । आप पूरे पटना ही का मंगा लीजिए, जितना भवन निर्माण विभाग से, केवल क्या काम हो रहा है महोदय, मरम्मति के नाम पर, विशेष मरम्मति के नाम पर, जीर्णोद्धार के नाम पर केवल चूना पोता जाता है । महोदय, हम लोग भी जिस भवन में 30 साल से रह रहे हैं, लग रहा है कि उस पर कितना करोड़ खर्च हो गया है, लेकिन उसमें बिच्छू, मकड़ा घूमते रहते हैं । महोदय, भय लगता है

रात में सोने से । सरकारी भवन की यह स्थिति है । महोदय, हम इसीलिए कह रहे हैं कि सरकारी भवन में आप भी रहते हैं । आप पटना का, सरकार को दावे के साथ कहते हैं, पटना में जितने भवन हैं, मरम्मति पर जो खर्च हुआ है उसका आप एक सदन के पटल पर कॉपी मंगाईये और उसको सभी माननीय विधायकों को दीजिए, आपको पता चल जायेगा कि भवन निर्माण विभाग में यह चूना पोत कर और रोगन पोत कर कितनी राशि निकाली जा रही है । महोदय, यह हमको नहीं बोलना चाहिए कि पटना डिविजन में एक-एक पदाधिकारी कितनी राशि देकर आते हैं पोस्टिंग के लिए । सेंट्रल डिविजन है, छज्जूबाग है और पटना सेंट्रल डिविजन है महोदय, आप यह आंक सकते हैं भागलपुर है, गया है आप पता कर लीजिए यह भवन निर्माण विभाग में इतनी भारी लूट है और भ्रष्टाचार है । महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए । यह जनता की गाढ़ी कमाई है, यह सरकार की, उनके खेत की और उनके परिवार की राशि नहीं है, जो बंदरबांट कर रहे हैं । महोदय, एक विभाग का आलम नहीं है । आप जिस विभाग का उठायेंगे, इनके ऊर्जा विभाग में 2021-22 में 8560 करोड़ में से मात्र 600 करोड़ खर्च किया गया है, जो 10 परसेंट से कम होता है । महोदय, तो यह बजट आकलन है । सरकार की वित्तीय अनियमितता का वित्तीय कुप्रबंधन, यह सरकार बताती है कि मेरी वित्तीय अनियमितता नहीं है । यह वित्तीय कुप्रबंधन है । 10 परसेंट ऊर्जा विभाग में खर्च हुआ है । क्या सरकार ऊर्जान्वित करना चाहती है बिहार को । बिहार के गांव-गांव में आप बिजली तो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन खर्च का आपका लक्ष्य 10 प्रतिशत के लगभग में है । वर्ष के अंतिम माह में हम लोग हैं महोदय, 15-20 दिन मात्र बचे हुए हैं । महोदय, अब क्या खर्च कर सकते हैं ? ऊर्जा विभाग का यह हाल है और फिर अनुपूरक माध्यम से आप राशि की मांग किये हैं और शेष राशि को आप पी0एल0 अकाऊंट में जमा कर रहे हैं । आप 10 परसेंट से भी कम राशि खर्च कर पाये हैं ऊर्जा विभाग में, यह चिंताजनक है महोदय, आप बिहार को ऊर्जान्वित करना चाहते हैं । हम कहना चाहते हैं कि बिजली की बिहार में जो दर है, हमको लगता है कि हिंदुस्तान में इतनी कहीं दर नहीं है । गरीब किसान का जो आपको लिया जाता है, आपका उत्पादन कितना है, उत्पादन इतना कम है । आप कहीं और से क्रय करके देते हैं, आप उत्पादन की ओर जाइये, आप उत्पादन बढ़ाइये । किसान को और गांव के गरीब लोगों को आप सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराइये, तब यह आपका अच्छे प्रबंधन का काम है । आपकी सरकार सुशासन के साथ, तब

आप विकास के साथ नारे दे सकते हैं । वैसे आप सुशासन का विकास के साथ नारे नहीं दे सकते हैं ।

महोदय, शिक्षा विभाग के मूल बजट में 2021-22 में इनका...

अध्यक्ष : आप कटौती प्रस्ताव पंचायती राज विभाग पर दिये हैं, उस पर बोलें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, पंचायती राज विभाग तो है, लेकिन आप सभी विभाग को अनुदान मांग में आप अनुपूरक के माध्यम से, तो यह परंपरा भी रही है और यह गिलोटिन के माध्यम से सभी विभाग हैं । जब सभी विभाग को आप राशि देने का प्रावधान किये हैं, तो इसका क्या औचित्य है कि राशि दें और ये बंदरबांट करें, लूट करें और इनका वित्तीय प्रबंधन सही नहीं हो ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने आसन ग्रहण किया)

अब तो माननीय मंत्री लोग बहुत विद्वान हैं, लेकिन परंपरा देख लीजिए । जब भी अनुपूरक मांग आयी है, सभी विभाग रहे हैं और सभी विभाग में आप राशि मांग रहे हैं, तो सभी विभागों पर बोलना भी उचित रहेगा महोदय । पंचायती राज विभाग को तो हम रखेंगे ही महोदय, पंचायती राज विभाग को कैसे छोड़ेंगे ? पंचायती राज विभाग आज जब मुख्य विभाग है और सरकार का उत्तर होगा, तो हम लोगों का भी प्रश्न होगा । मंत्री जी का उत्तर हम लोग चाहेंगे । ठीक है, प्रश्न पहले आये या बाद में आये । महोदय, शिक्षा विभाग का हम बता रहे हैं । इनका 38 हजार 85 करोड़ 53 लाख, जिसमें ये 19 करोड़ ही 18 जनवरी तक खर्च कर पाये हैं । यह 50 प्रतिशत से भी कम है, जबकि बहुत बड़ी राशि इन्होंने पी0एल0 अकाऊंट में जमा की है । वह वास्तविक खर्च नहीं माना जा सकता है । महोदय, यह अनुपूरक के माध्यम से 54 करोड़ 76 लाख 54 हजार राशि की मांग की गयी है । शिक्षा विभाग में राशि जो भी खर्च की गयी हो या जो भी राशि की मांग करते हों । एक चीज हम लोग दस साल से देख रहे हैं । एक प्राथमिक विद्यालय हम कभी भी बनाने की मांग करते हैं, तो मंत्री जी सदन में आश्वासन भी दे देते हैं, जहां बुनियादी विद्यालय है, जहां से बच्चे ए, बी, सी, डी, अ, आ सीखते हैं, पहली कक्षा से पढ़ाई होती है, वहां चबूतरे पर बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यालयविहीन में बच्चे पढ़ रहे हैं । यदि भवन है भी, तो जर्जर है । हमने माननीय शिक्षा मंत्री को कहा था कि आप बताइये कि आप एक साल में, दो साल में कितना भवन बनाये हैं ? महोदय, शिक्षा मंत्री जी जवाब तो दिये कि हम इन दो भवन का, हमने कहा कि पूरे बिहार की, राज्य की क्या स्थिति है ? जहां से बच्चे, गरीब के बच्चे, आप नारा तो देते हैं अच्छा-अच्छा, उस पर काम भी अच्छा-अच्छा

करिये । आप काम नहीं कर पाते हैं अच्छा-अच्छा । नारा देते हैं कि हम गांव और गरीब के लिए काम कर रहे हैं । समाज में गांव की अंतिम पंक्ति के लोगों के बच्चे सरकारी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, जिनकी आय नहीं है दूसरी जगह पढ़ाने के लिए, लेकिन उस विद्यालय का भी भवन आप नहीं बना सकते हैं । आप बड़े-बड़े कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की क्या बात करियेगा, आप एक बुनियादी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय नहीं बना पाये हैं । हम शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आपका जब बजट आयेगा, आप बताइयेगा कि कितने विद्यालय बनाये हैं । हम लोगों का प्रश्न भी आया है, मंत्री जी आश्वासन दिये हैं, वह भी विद्यालय अभी तक नहीं बना है, तो यह शिक्षा विभाग का हाल है । महोदय, शिक्षा विभाग में माध्यमिक विद्यालय का निर्माण हो रहा है । हम लोग उच्च विद्यालय में अध्यक्ष हैं, 10+2 में । माननीय मंत्री जी के विभाग में शिलान्यास और उद्घाटन होता है, इनके विभाग के कार्यपालक अभियंता को हमने बुलाकर पूछा, तो उनका तीन जगह भवन निर्माण हो रहा है, तो आपने शिलान्यास क्यों नहीं कराया ? कहा, यदि हम आप लोगों से शिलान्यास या उद्घाटन करायेंगे, तो बांका में एक इंजीनियर को विभाग ने या मंत्री जी ने सस्पेंड कर दिया है । हम शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं कर सकते हैं महोदय । यही सुशासन है, यही न्याय के साथ विकास है । आप इतना भेदभाव करते हैं । कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी वहीं से शिलान्यास, उद्घाटन करते हैं । हम मंत्री जी को नाम भी बताये थे, स्पेसिफिक । दरभंगा के कार्यपालक अभियंता को हमने बुलाया आप जीवरघाट उच्च विद्यालय का, दुलारपुर उच्च विद्यालय का, आप महोमेहक उच्च विद्यालय का शिलान्यास क्यों नहीं कराये, उद्घाटन क्यों नहीं करा रहे हैं ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि इन्होंने इस बात की सूचना मुझे दी थी और नाम भी बताया था दरभंगा के इंजीनियर का, लेकिन हमने जब उससे पुछवाया, तो उसने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : ठीक है । महोदय, इनको अपने कार्यपालक अभियंता पर बहुत दावा है, विद्वान शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन एक विधायक की बात पर इनको विश्वास नहीं है । हम लोग तीन लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोगों पर विश्वास इनको नहीं है महोदय और हम चुनौती के साथ कहते हैं कि उस कार्यपालक अभियंता को बुलावें, यदि उसने नहीं कहा होगा, तो मंत्री जी क्या करेंगे ? हमको आसन से क्या निर्णय होता है । महोदय, मंत्री जी का यह झूठा बयान है ।

टर्न-14/धिरेन्द्र/07.03.2022

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि अगर कोई शिक्षा विभाग या किसी दूसरे विभाग का कोई अधिकारी यह कहता है कि अगर शिलान्यास कार्यक्रम में या उद्घाटन के कार्यक्रम में हम माननीय विधायक को बुलायेंगे तो विभाग या सरकार हमको निलंबित कर देगी, यह प्रमाणित हो जाता है तो उस संबंधित अधिकारी पर जरूर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री ललित कुमार यादव : आप जांच करा लीजिये, पूछ लीजिये, कार्यपालक अभियंता की बात में कितना दम है....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है । आगे बढ़ें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमने स्वयं इनको जानकारी दी, जब हम कार्यपालक अभियंता के तीन उच्च विद्यालय का.....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय मंत्री महोदय ने सारी बातें स्पष्ट कर दीं सदन में । आगे बढ़िये, श्री ललित बाबू ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, ठीक है । हम आगे ही बढ़ते हैं, उसमें हमको उलझने का कोई मतलब नहीं है लेकिन मंत्री जी ने जो कहा कार्यपालक अभियंता ने ऐसा कहा तो आप इतना ही पूछते कि तीन विद्यालय का शिलान्यास हुआ, क्या माननीय विधायक को आपने बुलाया । यदि नहीं बुलाया, आज उद्घाटन के स्टेज में है तो उस पर कौन-सा कार्रवाई आप किये । आपको यह भी पूछना चाहिए कि शिलान्यास में आपने नहीं बुलाया, ठीक है, लेकिन उद्घाटन की स्थिति में है तो आपने कौन-सी कार्रवाई की ? आपको कार्रवाई करनी चाहिए, मंत्री जी । आपको विधायक की बात पर विश्वास नहीं है....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आगे बढ़िये, श्री ललित बाबू ।

श्री ललित कुमार यादव : आप तो ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : श्री ललित बाबू, आगे बढ़िये ।

श्री ललित कुमार यादव : आप तो अफसरशाही चाहते हैं और अफसरशाही राज-काज में है यह बिहार की जनता कहती है । पूरे सदन के माननीय सदस्य इस बात के साक्ष्य हैं, आपलोग अफसरशाही में विश्वास करते हैं । जनतंत्र और लोकतंत्र में आप लोगों को विश्वास नहीं है, आप लोग अफसरशाही के द्वारा सरकार में भी आये हैं पिछले दरवाजे

से और पिछले दरवाजे से आपको सरकार में फिर बने रहने का है । जनता पर विश्वास नहीं है, जन-प्रतिनिधि पर विश्वास नहीं है ।

महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग का वर्ष 2021-22 का 9423.93 करोड़ रुपये का बजट था । महोदय, 90 करोड़ रुपये मात्र अभी तक खर्च हुए हैं, यह हमको लगता है 0.1 परसेंट है । यदि आंकड़ा गलत है कि क्या है, हमको आंकड़ा पर विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन ग्रामीण कार्य मंत्री हैं तो जानें । महोदय, 0.1 परसेंट, इनका 9,423 करोड़ रुपये का बजट उपबंध था और इसमें यह खर्च किये हैं मात्र 90 करोड़ रुपये । महोदय, यह वित्त विभाग की रिपोर्ट है, सब विभागवार जो विभाग ने खर्च किया है तो 0.1 परसेंट ग्रामीण कार्य विभाग, आप कहते हैं कि गांव-गांव में हम सड़क का जाल बिछाना चाहते हैं, आप 0.1 परसेंट खर्चा किये हैं । यही आपका गांव-गांव जाल बिछाना है, गांव तक संपर्क पथ देना है, गांव के गरीब को शहर से यही जोड़ना है, इससे आपकी मंशा उजागर होती है । आप सड़क के मामले में भी भेद-भाव कर रहे हैं, गांव से आपको नफरत है, गांव के गरीब को आप, और कुछ सड़क तो महोदय, आप भी कहीं से प्रतिनिधि हैं यानी ऐसी-ऐसी सड़क आज बनी हैं महोदय और दो माह के बाद टूटते चली गयी । एक रोड बना है तो साईड में फ्लेंक आज तक नहीं बना है महोदय, 10 साल हो गया, मेंटेनेंस का टाईम बीत गया, मेंटेनेंस में भी लोग पैसा निकाल रहे हैं लेकिन मेंटेनेंस होती नहीं है । यह वास्तविक चेहरा है आपका, यह सुशासन का, लूट का, भ्रष्टाचार में आप लोग डूबे हुए हैं, अखण्ड डूबे हुए हैं, आपको इसको स्वीकार करना होगा, नहीं स्वीकार कर रहे हैं कहीं से, महोदय, यह तो आप धन्यवाद मनाइये आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का कि ग्रामीण सड़क में, जब यू0पी0ए0-1 की सरकार थी भारत में, तो उस समय ग्रामीण सड़कों की जो राशि वहां से दी गई थी, उसी का आप कुछ काम करा पा रहे हैं ।

महोदय, यह सरकार ग्रामीण विकास विभाग के वर्ष 2021-22 के बजट में 16,835.67 करोड़ रुपये में से 8,284 करोड़ रुपये ही आज तक खर्च हो पाया है । महोदय, यह भी 50 प्रतिशत से कम है लेकिन अब अंतिम मार्च माह है, अंतिम महीना है, अब यह क्या खर्च कर पायेंगे लेकिन इनका आज 35 अरब 91 करोड़ रुपये की राशि की मांग अनुपूरक के माध्यम से सदन के पास आया है । महोदय, सबसे ज्यादा लगता है कि ग्रामीण विकास विभाग का ही अनुपूरक है तो ग्रामीण विकास विभाग को भी आज रखा जाता तो अच्छा होता और ग्रामीण विकास मंत्री गांव और गरीब, आज जो फटेहाल स्थिति में है, गांव में जो गरीब लोग हैं उनका मकान 20 साल पहले बना।

आज 20 साल के बाद उसको फिर से वह मकान जीर्ण-शीर्ण, टूट गया, कहीं नामोनिशान नहीं है लेकिन वैसे इंदिरा आवास 20 साल पहले मिला लोगों को । आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना या जो-जो योजना चल रही है, आपको चाहिए कि वैसे लोगों को, लाभान्वित को जो गांव में 20 साल पहले मिला, आज मकान का पता नहीं है, मकान बना भी बहुत नहीं तो वैसे मकानों को आपको चाहिए कि वैसे लाभुकों को चिहिन्त कर सभी लाभुकों को जो घरविहीन हैं, उनको आप घर दिलावें । हम ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं । महोदय, अनुपूरक में सबसे ज्यादा राशि की मांग इसी विभाग के द्वारा की गई थी तो आज मुख्य में रहता तो अच्छा होता लेकिन महोदय, नगर विकास विभाग में मूल बजट वर्ष 2021-22 में 7,767.13 करोड़ रुपये में से मात्र 1,630 करोड़ रुपये आज तक खर्च हो चुके हैं जो 12-15 प्रतिशत है । हमारे वित्त मंत्री जी उस विभाग के प्रभारी मंत्री हैं और वित्त विभाग, कम-से-कम वित्त मंत्री जी तो अपने वित्तीय प्रबंधन को विभाग में ठीक रखते, जिनके जिम्मे सारे विभाग हैं महोदय । जिस वित्त मंत्री जी के जिम्मे पूरे बिहार के सारे महकमा, सारे विभाग हैं, उस विभाग का भी वित्तीय कुप्रबंधन है, वित्तीय व्यवस्था ठीक नहीं है महोदय तो हमलोग किस विभाग से आशा कर सकते हैं, किस विभाग से हमलोग न्याय के साथ विकास की कल्पना जो करते हैं महोदय, जब वित्त विभाग का, इनका नगर विकास विभाग का यह हाल है और फिर पुनः महोदय 320.4 करोड़ रुपये की मांग की गई है । यह कुशल वित्तीय प्रबंधन नहीं हो सकता है । महोदय, इस विभाग के मंत्री जी को स्वयं यह जरूर देखना चाहिए था, लगता है कि वित्त मंत्री जी अपने विभाग का वित्तीय प्रबंधन को ठीक से नहीं देखे, इनको देखना चाहिए जिनके जिम्मे बिहार सरकार के सारे विभाग हैं, जब वित्त विभाग का यह हाल है महोदय ।

महोदय, जल संसाधन विभाग है, जिनका काम है, उसमें भी वर्ष 2021-22 में 4074.38 करोड़ रुपये में से 2400 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं, वह भी 50 प्रतिशत के लगभग है । महोदय, यह भी वास्तविक खर्च से बहुत दूर है । महोदय, जिस विभाग के जिम्मे बाढ़ को रोकना, सिंचाई का प्रबंध करना लेकिन महोदय बहुत दुख के साथ कहते हैं सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को भ्रष्टाचार में लुटा रही है। जल संसाधन विभाग का महोदय, यदि सरकार को हिम्मत हो तो सदन की कमेटी बनाये, जितनी भी योजना हुई है वह कब हुई है, 80 प्रतिशत योजना गाद निकालने के लिए, किस माह में हुई है जून-जुलाई में हुई है, टेंडर भी उसी में हुआ है, कार्य भी उसी में हुआ है । एक तरफ बारिश हो रही है, एक तरफ बाढ़ आ रही है और दूसरी

तरफ काम हो रहा है महोदय । महोदय, कहीं इस विभाग के कामों का निशान नहीं है, सरकार को हिम्मत है तो इसकी जाँच करायें । यानी लूट हुई है महोदय, सरकार का यह जल संसाधन विभाग की लूट हुई है, एक भी योजना धरातल पर नहीं आयी है, इनकी जल-जीवन-हरियाली योजना, मुख्यमंत्री जी ड्रीम स्कीम बता रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं, लूट योजना है आपकी । चाहे इनक्रोचमेंट के नाम पर आपका, चाहे पोखर उड़ाही का मामला हो या नहर उड़ाही का हो या नदी उड़ाही का हो, महोदय लूट हुई है । जनता माफ नहीं करेगी, सब जनता देख रही है जनता के, गांव में हो रहा है जून-जुलाई में एक तरफ से बाढ़, दूसरी तरफ से बारिश और उसमें आपकी जे0सी0बी0 की मशीन लगी हुई है, बड़ी-बड़ी मशीन लगी हुई हैं । महोदय, एक-एक नदी में इनका 100 करोड़ का बजट था, 100-100 करोड़ का टेंडर था लेकिन ऐसी हुई है लूट । काम 10 प्रतिशत भी धरातल पर नहीं हुआ है और स्थानीय लोगों पर इनको विश्वास नहीं है । बाहर से लोग आ रहे हैं हैदराबाद से, आन्ध्रा से । वह राज, राज रहे, इसीलिए स्थानीय लोग खोल देगा पोल । आप जांच करा लीजिए अगर हिम्मत है, तो मैं चुनौती के साथ सदन में कहता हूँ लेकिन आप जांच नहीं करायेंगे, लूट किये हैं, लूट । जहां जल संसाधन में लूट हुई है, आप लूट ही लूट मचायंगे और आप बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करायेंगे । यह राशि कोई आपकी और मेरी नहीं है, यह बिहार की 12 करोड़ से ऊपर जनता की है लेकिन लूट नहीं मचाइये । महोदय, यह विभाग तो बाढ़ रोकने में विफल और किसान को खेत में पानी देने से वंचित रहा लेकिन भ्रष्टाचार को यह मूल विभाग समझे, महोदय ।

क्रमशः....

टर्न-15/संगीता/07.03.2022

...क्रमशः...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सबसे आश्चर्य लगता है कला संस्कृति एवं युवा विभाग में मात्र एक हजार रुपया का इन्होंने अनुपूरक लाया है, अब क्यों लाया है, कैसे लाए हैं समझ में नहीं आता है । जहां से आप कह रहे हैं युवा के प्रति सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, युवा के प्रति आप संवेदनशील हैं जहां युवा के प्रति आप संवेदनशील हैं और आपके युवा, युवा के विकास के लिए, युवा को कौशलपूर्ण बनाने के लिए आप एक हजार का अनुपूरक लाये हैं, संभवतः उसका बजट भी कम ही होगा । महोदय, इस बजट में एक और आश्चर्य तृतीय अनुपूरक बजट में लग रहा है, लग रहा है कि इसमें

जे0डी0यू0 को जो मंत्री जी का विभाग है उसमें ज्यादा है महोदय और बी0जे0पी0 को कम है और हमको तो साफ कर दिया, साफ कर दिया महोदय, अनुपूरक बजट में हम नहीं बोल रहे हैं अनुपूरक बजट में साफ है हम नहीं बोल रहे हैं । जो आंकड़ा है सरकार के द्वारा जो तृतीय अनुपूरक आया है इसमें कह रहे हैं हम तो साफ कर दिए हैं...

सभापति (श्री नरेंद्र नारायण यादव) : ललित बाबू पंचायती राज पर भी अपना महत्वपूर्ण सुझाव दें।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मेरे पास बहुत समय है महोदय । पंचायती राज विभाग पर ही आ रहा हूं । महोदय, पंचायती राज विभाग के मंत्री तो युवा हैं, बहुत चाहते हैं काम हो, इनर्जेटिक हैं लेकिन अब कितना इनका बिहार के पंचायती राज को सुदृढ़ करने में महोदय ये कामयाब होंगे, महोदय इनका जो भ्रष्टाचार का इनके विभाग में जो आलम है महोदय, भ्रष्टाचार का आलम, एक स्वास्थ्य विभाग का बोल के तब इनके विभाग पंचायती राज पर आते हैं चूंकि मुख्य विभाग वही है महोदय । महोदय, ये सरकार में मंत्री जी ग्रामीण विकास मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, काम के प्रति बड़े सजग रहते हैं इनके विभाग के पदाधिकारी भी बहुत सजग रहते हैं । महोदय, तारडीह प्रखंड मुख्यालय 20 साल से चल रहा है महोदय सरकार का दसों करोड़ रुपया राशि गयी है महोदय, बी0डी0ओ0 कहीं बैठ रहा है सी0ओ0 कहीं बैठ रहा है, पंचायती राज पदाधिकारी बगल-बगल किसी को कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है । 20 साल से इस तरह चल रहा है महोदय सरकार 10 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है लेकिन आज तक सरकार इतनी असंवेदनशील है कि 2018-19 में राशि भी भेजी जमीन अधिग्रहण के लिए लेकिन आज तक सरकार उस प्रखंड मुख्यालय को बनाने के लिए न जमीन अधिग्रहण कर रही है न भवन निर्माण के लिए राशि दे रही है, इसका मतलब है महोदय सरकार कहीं न कहीं असंवेदनशील है, संवेदनहीन है । महोदय, हम मंत्री जी को आग्रह करेंगे जो पदाधिकारी ने 2018-19 में आप राशि भेजे थे भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ, वह गांव के गरीब, पिछड़ा, अति दलित, दलित के इलाके में प्रखंड मुख्यालय है इसीलिए वह वंचित है । आप तो बड़े-बड़े सेठों के लिए बड़े-बड़े लोगों के लिए आपकी मानसिकता बन गई है वहीं का काम होगा । हम कह रहे हैं कि जनता आपको माफ नहीं करेगी, 20 साल से वह भवन नहीं बन रहा है, माननीय अवध विहारी चौधरी थे ग्रामीण विकास मंत्री, इन्हीं के समय में आजतक आप राशि देते हैं वहां से क्यों आप कार्रवाई करिए ऐसे पदाधिकारी पर क्यों नहीं हो रहा है। महोदय, एक आश्चर्य की बात है वहां तारडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभी

पी0एच0सी0 और वहां पी0एच0सी0 भवन बना हुआ है 15 साल से पी0एच0सी0 भवन अभी उत्क्रमित सी0एच0सी0 में हुआ है । महोदय, 63 कट्ठा जमीन राज्यपाल के यहां राज्यपाल महोदय जी के नाम से वहां उपलब्ध है, जिसमें कुछ ब्लॉक की बिल्डिंग भी, कुछ थाना भी बना है और कुछ हॉस्पीटल भी बना है उसके बावजूद भी 40 कट्ठा महोदय, जमीन है लेकिन ये एक मंत्री जी काबिल मंत्री जी ने पत्र लिखा कि इस भवन को तारडीह प्रखंड के मुख्यालय छोड़ के जहां ताराडीह पी0एच0सी0 चल रहा है आप 20 किलोमीटर दूर एक दूसरे ब्लॉक के समीप आप वहां ये सी0एच0सी0 बिल्डिंग बना दीजिए । कितने काबिल मंत्री जी सब हैं काबिल मंत्री जी का पत्र है यह विधान सभा भवन बना हुआ है महोदय एक्सटेंशन भवन बना है तो बगल में ना आखिर इस एक्सटेंशन भवन को हाजीपुर में बना दिया जाएगा एक्सटेंशन भवन को यह सरकार, सरकार की मंशा देखिए महोदय सोच देखिए, विचार देखिए क्या है गरीब के गांव में है, दलित के गांव में है, अति पिछड़ा के गांव में है, यह सरकार तो सामंती और बड़े लोगों की सरकार है महोदय तो उस जगह क्यों अस्पताल बनने देगी, कौन कानून के तहत आपके मंत्री ने, एक मंत्री ने पत्र लिखा इसको दूसरे ब्लॉक के अंतिम छोर पर लगमा में अवस्थित है, वहां बनवा दीजिए । दूसरे मंत्री जी ने काबिल मंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि महोदय आपका पत्र प्राप्त हुआ है और तारडीह प्रखंड के पंचायत लगमा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से संबंधित पत्रांक 496 दिनांक 26.08.2021 प्राप्त हुआ है अग्रेतर कार्रवाई हेतु संदर्भित पत्र संबंधित पदाधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है । यह एक मंत्री दूसरे मंत्री को पत्राचार कर रहे हैं, 20 किलोमीटर दूर । अब महोदय, विधान सभा को हाजीपुर में अवस्थित कर दीजिए यह सरकार सुशासन की है, न्याय के साथ है सबका साथ यही है महोदय, न्याय के साथ विकास यही है महोदय हमलोगों को और कुछ नहीं कहना है । शर्म आनी चाहिए सरकार को ऐसे पत्र अज्ञानी आदमी को, ऐसे अज्ञानी मंत्री को मंत्री पद से हटाना चाहिए, मजाक बना दिए हैं सरकार का । सब दिन सत्ता में आप बैठे रहेंगे, आप किसी गांव के रहने वाले हैं आपको 20 किलोमीटर दूर में आपका घर ट्रांसफर कर दिया जाय यह सरकार का पत्र है महोदय । यह मंत्री का पत्र है एक मंत्री दूसरे मंत्री को दे रहे हैं और अंतिम क्षेत्र में जब पी0एच0सी0 बिल्डिंग बनी हुई है, डॉक्टर कार्यरत है 15 साल से और उसी के बगल में 63 कट्ठा जमीन है, गांव के गरीब लोग दान में दिए गर्वनर के नाम से और उस गांव के गरीब का आप अपमान करना चाहते हैं, यह सरकार है, सुशासन की सरकार है ? यदि सुशासन यही है तो

बिहार की जनता सब देख रही है, माफ नहीं करेगी । सत्ता में सबलोग सब दिन के लिए नहीं आए हैं । आज पक्ष में हैं तो कल विपक्ष में भी आइएगा । यह पत्र सब है, यह डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है । अंतिम गांव अंतिम ब्लॉक के अंतिम गांव में दूसरे ब्लॉक पर जो बिल्डिंग बनी हुई है, प्रखंड मुख्यालय बना हुआ है, थाना बना हुआ है और भवन महोदय ये भी सुनकर आपको आश्चर्य होगा कोई उस जमीन का एन0ओ0सी0 नहीं सिर्फ मंत्री का एक टेलीफोन जाता है और 20 किलोमीटर दूर पर वह अस्पताल निर्माण बनना शुरू हो जाता है महोदय यह तो सुशासन का और आप कहां कहिएगा एक पिताजी से शिकायत करने गए उसके पुत्र के संबंध में तो देखा कि पिताजी तो छते पर से, तो यह सरकार सुशासन बाबू कौन सुशासन हैं, शर्म करनी चाहिए सुशासन के नाम पर, कोई कानून होता है, संविधान से देश चलता है, संविधान से सदन में हमलोगों को बोलने का हक है लेकिन आपलोग संविधान को नहीं मानते हैं । आप हजारों सी0ए0जी0 की रिपोर्ट महोदय काबिल मंत्री बिजेन्द्र बाबू नहीं हैं, उस दिन नियम के हवाले से नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे । बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष कि बिजेन्द्र बाबू बहुत काबिल हैं हमलोगों के बीच में, हमलोगों से सीनियर भी हैं बोल रहे थे, आप 236 के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को सदन में, अरे सी0ए0जी0 की रिपोर्ट है यह तो पब्लिक में चली गयी है और जो चीज पब्लिक डोमेन में चली गयी है हम बोल क्यों नहीं सकते हैं हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, हम सदन में मांग नहीं कर सकते हैं कि यह लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन जब तक नहीं आता है लेकिन सी0ए0जी0 रिपोर्ट के बारे में हम बोल क्यों नहीं सकते । ये तो ओपेन है महोदय जिस दिन उपस्थापन होता है उसी दिन लोक लेखा समिति को भी जाता है और पब्लिक डोमेने में भी जाता है महोदय । कह रहे थे कि आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, 236 में यह लिखा हुआ है विधान सभा की कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली में महोदय, ऐसा नहीं है लेकिन सी0ए0जी0 के रिपोर्ट में महोदय हम सैकड़ों प्रतिवेदन सी0ए0जी0 के रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति की अनुशंसा है, सरकार को हिम्मत है कार्रवाई करने की । एक से एक वित्तीय अनियमितता, एक से एक घोर वित्तीय अनियमितता लेकिन सरकार को हिम्मत नहीं है, सदन में आपको हिम्मत है यदि सुशासन की सरकार है तो सी0ए0जी0 की रिपोर्ट पर जो लोक लेखा समिति का सैकड़ों प्रतिवेदन है आपको हिम्मत है सरकार को तो उस पर आप डिबेट करा दीजिए । हिम्मत नहीं है, पदाधिकारी लोग हैं आप बचा रहे हैं क्यों बचा रहे हैं पदाधिकारी को, आपकी मंशा क्या है ? पदाधिकारी आपको संरक्षण करें आप पदाधिकारी को संरक्षण करिए

सी0ए0जी0 की रिपोर्ट पर जो संवैधानिक संस्था है, सी0ए0जी0 और उसके बाद गवर्नर के यहां से माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन की सहमति से सी0ए0जी0 रिपोर्ट लोक लेखा समिति में जाती है । लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सदन में उपस्थापन हुआ है । सैंकड़ों पदाधिकारी के बारे में एक से एक पदाधिकारी के बारे में आपलोगों को हिम्मत नहीं है उस पर कार्रवाई करने की ।

...क्रमशः...

टर्न-16/सुरज/07.03.2022

...क्रमशः...

श्री ललित कुमार यादव : क्यों कार्रवाई कीजियेगा आपका संरक्षण वह कर रहे हैं, आप उसका संरक्षण कर रहे हैं, एक-दूसरे की फ्रेण्डली मैच है, मिलीभगत है । महोदय, एक से एक कारनामें हैं हमलोग को नहीं कहेंगे । ऐसे-ऐसे भ्रष्ट काम पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए इनके ऐसे-ऐसे मंत्री हैं जो कानून और संविधान से ऊपर उठकर बात करते हैं । सी0ए0जी0 की रिपोर्ट को नहीं आप मानियेगा, सी0ए0जी0 रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सदन में अनुशंसा उपस्थापित हुआ । पांच-पांच साल हो गया है एक कार्रवाई नहीं हुई है । आप किस संस्था को मान रहे हैं, आप किसी संस्था को नहीं मान रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में क्या बोला, हाईकोर्ट ने क्या बोला, सी0ए0जी0 का क्या-क्या आया उसके बाद भी आप सुशासन हैं । हैं सुशासन, यदि आपको अपनी ही पीठ थपथपाने में मजा आता है कि हम सुशासन बाबू हैं, न्याय के साथ विकास करते हैं, अध्यक्ष को, आसन को नहीं छोड़ते हैं । माननीय मंत्री जी रो रहे थे, माननीय विधायक रोते हैं आप इसी को सुशासन कहते हैं, इसी को न्याय के साथ विकास कहते हैं । जाइये गांव में और गरीब के बीच में जब तक भ्रष्टाचार को लोग भेंट नहीं चढ़ाते हैं तब तक कोई काम नहीं होता है । यह सुशासन बाबू और न्याय के साथ विकास कहने से नहीं होगा । महोदय, हम पंचायती राज का कुछ उदाहरण देना चाहते हैं दरभंगा जिले के जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बिरौल अंचल को माननीय युवा सम्राट हैं और सम्राट चौधरी भी हैं इनको मैंने फोन किया आपके विभाग में क्या हो रहा है । महोदय, डी0एम0 ने राशि दी पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए, डी0एम0 ने पत्र बी0डी0ओ0 को लिखा आप क्यों नहीं बना रहे हो ? नहीं, तो तुम पर कार्रवाई करेंगे । महोदय, मुखिया को बी0डी0ओ0 ने पत्र लिखा, मुखिया ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया और जब महोदय निर्माण कार्य बहुत ऊपर चला गया तो बहुत ऊपर के लोग सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी गंदी सोच के कारण हम

उजागर नहीं करना चाहते हैं, नाम नहीं खोलना चाहते हैं । बहुत लोग पंचायत सरकार भवन चूंकि गरीब के गांव के बीच में बन रहा था 53 कट्ठा जमीन थी एक आदमी ने 15 कट्ठा जमीन का क्लेम किया कि यह जमीन हमारी है । 30 साल से वह आदमी कहां था 25 साल पहले मर गया और एक फर्जी डॉक्यूमेंट देकर पंचायत सरकार भवन को डी0एम0 ने कहा कि अभी कार्य को बंद करो और अमीन अंचल प्रतिवेदन दो । अमीन ने डी0एम0 को जाकर कहा, इनके पंचायती राज पदाधिकारी को इन्होंने मंत्री जी ने शायद भेजा कितना अभिरूचि था । एक दिन में आज कम्पलेन हुआ आज ही मंत्री जी पंचायती राज पदाधिकारी को और योजना विकास विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेकर पहुंच गये, वाह रे विभाग, वाह रे सरकार । तत्परता विभाग की देखिये कार्य रोकने के लिये, करने के लिये नहीं । इन्होंने उसी दिन भेजा और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिया, सी0ओ0 को बुलाया और स्थल पर कहा जांच करो । सी0ओ0 ने कहा हम तो एन0ओ0सी0 दे चुके हैं, सर यह तो जमीन वास्तविक है पंचायत सरकार भवन सही जगह पर बन रहा है हम इसमें क्या रिपोर्ट दें । कहा गया कि कुछ भी रिपोर्ट दो यह ऊपर का आदेश है, कुछ तो मिलाजुलाकर रिपोर्ट करो जो हमलोग रोकने के लिये । महोदय 17 तारीख को जाता है जांच में, 18 तारीख को जांच रिपोर्ट आती है और 18 को 12 बजे रात में कलेक्ट्रेट खुलवाकर स्थगन आदेश भेज देता है कि पंचायत सरकार भवन को रोके । महोदय, फिर अंचल से कहा गया कि नहीं पुनः नापी करो उस नापी को हम नहीं मानते हैं । भवन को रोकने के लिए क्या-क्या सरकार के लोग, कितने लोग इसमें इनवॉल्व हैं नाम बोलेंगे सम्राट भाई बहुत लोग ओपन हो जाइयेगा, इस काम में मत लगिये, सरकार को इस काम में नहीं रोकिये, सकारात्मक काम में सरकार की ताकत को लगाइये, केवल नकारात्मक काम में सरकार को मत लगाइये और महोदय कार्य को रूके हुए 15 दिन हो गये । हम पंचायती राज मंत्री जी को, डी0एम0 को, कहता है सर देखते हैं, देखते हैं हमने कहा कि रोकने में तो एक दिन लगा फिर वैकेट करने में क्यों 15 दिन लग रहा है तो देखते हैं सर देखते हैं । महोदय, आप भी कहीं से आते हैं, जनप्रतिनिधि हैं देखते हैं और सुनते हैं तो हमलोग सब समझ जाते हैं । यानी कितना दवाब है पदाधिकारी पर सही बात वही अमीन, वही डी0एम0 एन0ओ0सी0 दिया, वही सी0ओ0 एन0ओ0सी0 दिया, वही इनका जिला पंचायती राज पदाधिकारी एन0ओ0सी0 दिया साल भर पहले और जब कार्य हो रहा है तो एक दिन में रोक दिया । 15 दिन हो गया है वैकेट नहीं कर रहा है क्या आलम है । आप पंचायती राज को क्या सुदृढ़ करना चाहते हैं, पंचायत सरकार

भवन न्योरी की राशि भी 15 लाख से ऊपर खर्च हो गया अब उसको 63 कट्ठा में मात्र 15 कट्ठा पर क्लेम है और अमीन की जांच प्रतिवेदन भी हमारे पास है अमीन ने स्पष्ट कहा है कि वह जितना में भवन बनता है उससे भवन बाहर है लेकिन फिर भी सरकार को नकारात्मक काम में ज्यादा अभिरूचि है, उसके गांव के गरीब के बीच में वह बन रहा है । आप पंचायती राज मंत्री जी आपके संज्ञान में नहीं रहता तो हम मानते कि सदन में हम कुछ बोल रहे हैं, सारी जानकारी है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : ललित बाबू आपके पास 3 बजे तक का समय है और एक माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमलोगों का 65 मिनट है । महोदय, 65 मिनट समय है अभी तो 45 मिनट हुआ है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : 56 मिनट है ।

श्री ललित कुमार यादव : ठीक है महोदय । महोदय, तो हम यह कहेंगे कि मंत्री जी के संज्ञान में देने के बाद आज महीना दिन से लेकिन इनकी भी हिम्मत नहीं हो रही है । एक पंचायत सेवक का चार बार डी0एम0 ने ट्रांसफर किया, चार बार हम मंत्री जी को कहे कि बाईपास सर्जरी हुई है उसका एम्स में । क्या ये लोग खेल खेल रहे हैं बिहार की जनता को जानने का हक है । चार बार इनको फोन किया मंत्री जी आप उनको अगल-बगल के किसी पंचायत में कर दीजिये, ब्लॉक में कर दीजिये इसको इतनी दूर बाईपास सर्जरी हुई । चार बार कहे डी0एम0 कहता रहा कल चिट्ठी निकालते हैं, कल चिट्ठी निकालते हैं वह बेचारा बाईपास सर्जरी वह ब्रह्मदेव यादव था चूंकि हमलोगों का कार्यकर्त्ता था उनकी ये लोग हत्या करवा दिये । हम मंत्री जी को बोल दिये कि उसकी मौत हो जायेगी, बाईपास सर्जरी हुई है आप इस तरह का काम नहीं करिये तो सरकार में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं वह ब्रह्मदेव यादव की मौत हो गई मंत्री जी । मंत्री जी ब्रह्मदेव यादव की मौत हो गई है आंख में आंख मिलाकर बात कीजिये, मौत हो गई महोदय लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई इन्होंने रोका भी ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय...

श्री ललित कुमार यादव : आप बोलियेगा मेरी बात बस दो मिनट में खत्म होगी । महोदय उसके बाद ये बोलेंगे ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, पंचायत कर्मी..

श्री ललित कुमार यादव : संजय सरावगी जी, आप बहुत काबिल हैं, थोड़ा सुनिये । सुनने का धैर्य रखिये । महोदय, उतना समय बढ़ाया जाय जितना ये समय नष्ट कर रहे हैं ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आप बैठ जाएं ।

श्री ललित कुमार यादव : आपसे काबिल हैं न जिस दिन आपको क्या-क्या मदद किये । चुप रहिये खोलेंगे सदन में तो पोल खुल जायेगी, क्या-क्या मदद किये हुए हैं चुप रहिये । आपसे हम काबिल हैं ।

(व्यवधान)

आपसे हम बहुत अनुभवी हैं, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, आपसे नसीहत लेने की जरूरत नहीं है । सौ गलती करते हैं कार्यकर्त्ता था और पंचायत सेवक के बाद नहीं हुआ । इसलिए कष्ट था वहां के लोगों को और उसकी मौत हो गई । कहते रहे गए मंत्री जी ने आदेश भी किया कि स्थगित कर दो फिर इनसे सुपर मंत्री कोई कह दिया । कह रहे हैं कि सात दिन में सात चिट्ठी कलेक्टर निकाला, सात ब्लॉक में, जिला में घुमाते रह गया अंत में उसकी मौत हो गयी । यही सुशासन की सरकार है । संजय सरावगी जी हमको उपदेश नहीं दीजिये, बहुत जगह मदद किये हैं ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : ललित बाबू आसन की ओर देखिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सदन में बोलेंगे तो पोल खुल जायेगी । डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इनसे हम बहुत सीनियर हैं । यह हमारे जिला से आते हैं...

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आसन की ओर देखिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह हमारे जिला से आते हैं इनसे बहुत सीनियर हैं हम । इनको कम से कम सुनना चाहिए हम बैठ जाते तो यह बोलते ।

श्री संजय सरावगी : जो वस्तुस्थिति है सो बता रहे हैं हम ।

श्री ललित कुमार यादव : वस्तुस्थिति की आपसे ज्यादा जानकारी है सुनिये और सीखिये । सुनना भी चाहिए और सीखिये भी ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : समय बीतता जा रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : अपने से सीनियर की बात को सुनिये और सीखिये । महोदय, इस तरह से यह तो मामला है दरभंगा जिला में जिला परिषद में इनका एक कर्मचारी नाजिर है अपने सरकारी खजाना का डेढ़ करोड़ रुपया दो साल से अपने अकाउंट में रखे हुए है ।

...क्रमशः...

टर्न–17/राहुल/07.03.2022

श्री ललित कुमार यादव (क्रमश): महोदय, इनकी पंचायत में भ्रष्टाचार का आलम इतना है ये पंचायती राज को क्या सुदृढ़ करेंगे । महोदय, इस तरह के इनके अनेक कारनामे हैं । पथ निर्माण मंत्री अभी आए थे चलिये अब चले गए । महोदय, यह जो पंचायती राज की इनकी परिकल्पना है इससे हमको नहीं लग रहा है । सरकार पंचायती राज विभाग का अपना लक्ष्य पाने में विफल हो चुकी है इसीलिए इस राशि को 10 रुपया से कटौती प्रस्ताव करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं इसे स्वीकार करे और साथ ही इसे खर्च करने की अनुमति नहीं दी जाय । महोदय, मेरी पार्टी के शेष समय में मेरे दूसरे साथी बोलेंगे ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र । आपके पास 15 मिनट का समय है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय सभापति महोदय, सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र में वित्तीय वर्ष 2021–22 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग पंचायती राज विभाग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, सर्वप्रथम बीहपुर विधान सभा की लाखों जनता एवं देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, मैं अपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर जी, बहन रेणु जी, आदरणीय मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल श्री श्रवण कुमार जी एवं उप मुख्य सचेतक श्री जनक सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, आज मैं ऐसे व्यक्ति का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने हमको जिताने में महत्ती भूमिका निभायी है आदरणीय हमारे पंचायती राज मंत्री जिनका आज अनुपूरक बजट है सम्राट चौधरी जी जो हवाई मार्ग से जाकर एक बार और तीन बार सड़क मार्ग से जाकर हमको जिताने का काम किए । ऐसे महोदय का भी मैं आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं । महोदय, मेरे गृह जिला भागलपुर में एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ...

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : शांति बनाये रखिये, शांति ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : 15 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई इसके लिए दुख व्यक्त करता हूं और माननीय बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज जी जो कि सरकार की तरफ से और संगठन की तरफ से भागलपुर जाकर पीड़ित परिवार के आंसू पौंछने का काम किया है । प्रतिनिधि मंडल में मैं और विधायक प्रणव यादव भी थे । महोदय, ललित

जी का अभी वक्तव्य चल रहा था और कई दिनों से हमारे नेता प्रतिपक्ष और ललित यादव जी का भी अच्छा उद्‌बोधन चल रहा था । इनका जो सपना है बिहार बनाने का वह बखान करते रहते हैं लेकिन हमारे यहां लोकतंत्र का जो ये मन्दिर है यह बिहार विधान सभा । महोदय, जब सदन चलता है तब बिहार की करोड़ों जनता टकटकी लगाकर देखती रहती है कि सदन में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहे हैं और ये ख्वाब देखते रहते हैं, इनको मौका दिया गया था लेकिन अभी जो ये लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके माननीय सदस्य चुनाव जीतकर आते हैं, ये कोई वोट से चुनाव नहीं जीतते हैं और जब यहां आते हैं...

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : शांति बनाये रखिये । आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : यह जनता देख रही है महोदय, मेरे आदरणीय, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी देख रही है और इनको भी । महोदय, लोकतंत्र के मंदिर में अगली पंक्ति दोनों की देख लीजिये । हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो बिहार है वह देखिये। महोदय, पहली पंक्ति में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उप मुख्यमंत्री बहन रेणु जी हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय चौधरी जी हैं, माननीय मंत्री, गृह विभाग श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी हैं, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पाण्डेय जी हैं, माननीय मंत्री उद्योग विभाग सैयद शाहनवाज हुसैन हैं, माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार जी हैं और इनकी जो अगली पंक्ति है जो बिहार को दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये जो दिखते हैं वह करते नही हैं और क्या दिख रहा है यहां नेता प्रतिपक्ष सर्वश्री तेजस्वी यादव, माननीय सदस्य तेजप्रताप यादव जी, सदस्य श्रीमान् सुरेन्द्र यादव जी, सदस्य श्रीमान भूदेव चौधरी जी, अवध विहारी चौधरी जी और एक गलतफहमी में आलोक मेहता जी आ गए, एक भाई वीरेन्द्र यादव जी हैं, एक भाई ललित यादव जी हैं ये इनका सपना है...

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : विषय पर बोलें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, ये इनका चेहरा है, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं । महोदय, मैं पंचायती राज विभाग के विषय पर आता हूं...

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : कितनी तकलीफ हो रही है महोदय, बिहार की 12 करोड़ जनता देख रही है । आप इतने बुजुर्ग हैं, आपको जिस सीट पर रहना चाहिए वहां तो हैं नहीं अवध विहारी बाबू...

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आप आसन की ओर देखिये तब अपनी बात रखें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं । महोदय, यह दोनों अगली पंक्ति 12 करोड़ जनता देख रही है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं । XXX उसके बारे में कुछ बोलते हैं तो इनको दर्द होने लगता है और सारे लोग जो जीतकर आए हैं वह एक-एक व्यक्ति को पूछिये...

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, पंचायती राज विभाग पर बोलिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : जिस इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके आते हैं उसकी गली में क्या ये सड़क बनाये हैं, उसकी पंचायत में क्या ये सड़क बनाये हैं, उसकी पंचायत में नाली बनाये हैं, उसकी पंचायत में बिजली दिये हैं ? यह कौन दिया है ?

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य पंचायती राज विभाग पर बोलें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : यह हमारी सरकार ने दिया है, हमारी बिहार सरकार ने दिया है यही है पंचातयी राज विभाग । महोदय, तकलीफ हो रही है इनको सुनने की तो आदत नहीं है। XXX (व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : जो असंसदीय टिप्पणी की गई है उसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जायेगा ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इनको आइना दिखाने का काम किया है...

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : मैंने बोल दिया है जो भी असंसदीय टिप्पणी की गई है उनको निकाल दिया जायेगा । आप बैठिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, पंचायती राज विभाग में व्यक्ति ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ग्राम पंचायत में जो सपना देखा है इनके राज में क्या होता था पंचायतों में गड्ढा होता था, पंचायतों में..

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : पंचायती राज पर अपने विचार दीजिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : पंचायती राज विभाग है महोदय । हम पंचायत से आए हैं ये लोग तो पंचायत को इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं...

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आसन की ओर देखें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : हमारी सरकार ने पंचायत को और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है ये लोग तो केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं । जिस वोट से चुनाव जीतकर आते हैं उस वोटर की गली में नाली बनाने का काम नहीं करते हैं, उस वोट को और सुदृढ़ करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री ने नाली बनाने का काम किया, सड़क बनाने का काम किया, गली बनाने का काम किया, बिजली देने का काम किया। वीरेन्द्र जी बड़ी-बड़ी बात करते हैं ये शुभम मिश्रा की बात कर रहे थे । ये यूक्रेन में फंसे ....

क्रमशः

टर्न-18/मुकुल/07.03.2022

...क्रमश...

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिये ।

(व्यवधान)

ये ललित यादव जी शुभम मिश्रा की बात करते हैं, दिखाने के लिए हाथी का दांत और बाहर जायेंगे, तुम्हारे वोट से चुनाव जीतते हैं और ये जनता को दिखाने के लिए यहां पर शुभम मिश्रा की बात करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : महोदय...

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, हमारी सरकार...

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : एक मिनट ।

श्री अखतरूल ईमान : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपने गुफ्तगू में कहा है XXX

(व्यवधान)

इन्होंने यह कहा है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आप अब बैठ जाइये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, यहां पर अल्पसंख्यक का मामला कहां से आ गया ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : ईमान साहब, मैंने कहा जो भी असंसदीय टिप्पणियां की गई हैं उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री कुमार शैलेन्द्र : XXX

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : बोलिए । मैंने बोल दिया है कि जो असंसदीय शब्द है उसे प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : सभापति महोदय, मेरे एक ऐसे मित्र ने जो आहत होकर वंदे मातरम को गाली दी है उसके एवज में मैंने यह बात कही है, लेकिन इनको बुरा लगता है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आपलोग आसन ग्रहण कीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, इनको इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए ।

श्री जनक सिंह : महोदय, जो राष्ट्र विरोधी ताकत है उसके बारे में माननीय सदस्य बोल रहे हैं ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) :माननीय सदस्यगण, कृपया आप सभी अपना-अपना आसन ग्रहण करें । जनक बाबू जी, कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इनको खेद प्रकट करना चाहिए । किसी समुदाय के बारे में वक्तव्य देना यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, इन्होंने जो भाषा बोली है XXX यह आपत्तिजनक बातें हैं, इसपर माननीय सदस्य को खेद व्यक्त करना चाहिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह आपत्तिजनक बात है । इस तरह से राष्ट्र विरोधी बात माननीय सदस्य सदन में कैसे कर सकते हैं ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्यगण, मैंने स्पष्ट कहा कि जो भी असंसदीय टिप्पणियां की गई हैं, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाय, आपलोग आसन ग्रहण करें । शैलेन्द्र जी, अपनी बात बोलें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत हमारे गांव में गली और नली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत, गांव के बसावटों के अंदर गलियों का पक्कीकरण किया है । हमारे पंचायती राज विभाग ने निर्णय लिया है कि जो गांव छूटे हुए हैं, जो पंचायत छूटे हुए हैं और जो बसावट छूटे हुए हैं उनका भी पक्कीकरण करेंगे । महोदय, ये लोग गड्ढे में बसने वाले हैं, ये लोग तो देखते थे । पहले क्या सड़क थी, हमारे बाजार से गांव में कोई रिक्शा वाला नहीं जाना चाहता था, हमारे बाजार से कोई खाद की बोरी लेकर गांव में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार के मंत्रिमंडल के जो मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं उन्होंने पूरे गांव में सड़क का पक्कीकरण करवाया है ।

महोदय, आज इनका भी बाजार से सारा ठेला जाता है । उस सड़क से इनकी माताएं और बहनें जाती हैं और यह देन यशस्वी मुख्यमंत्री जी की है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

श्री सत्यदेव राम : महोदय, माननीय सदस्य को खेद प्रकट करना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, प्रधानमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है, पंचायतों में पंचायत सरकार बन रही है महोदय । महोदय, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको तीखा लग रहा है, इनको सच सुनने की आदत नहीं है, ये कहानी गढ़ने वाले हैं, सारे लोग कहानी गढ़ने वाले हैं महोदय, इमोशनल ब्लेकमेलिंग करने वाले हैं । महोदय, ये लोग काम नहीं करते हैं, ये यहां पर कुछ बोलते हैं । महोदय, हमारे पंचायती राज विभाग को आज देश और दुनिया देख रही है, बिहार के लोग देख रहे हैं ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए ।)

महोदय, ये लोग केवल वेल में आते हैं, ये वेल में आकर केवल खेल करते हैं । महोदय, ये केवल दुनिया को दिखाते हैं, इनको काम नहीं करना है । ये वेल में आकर खेल करते रहते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थान पर जाकर बोलिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो राष्ट्र विरोधी हैं उनके लिए कहा गया है, जो देशभक्त हैं उनके लिए नहीं कहा गया है । देशभक्त के लिए थोड़े ही कहा जा रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

माननीय सदस्य, पहले अपने-अपने स्थान पर जाएं, उसके बाद बतायें कि क्या बात है, अपने-अपने स्थान पर जाकर बताएं ।

(व्यवधान)

अपने स्थान पर जाकर आप अवगत करायें कि मामला क्या है । अपने स्थान पर पहले जाकर बताइये कि मामला क्या है ।

(व्यवधान)

अपने स्थान पर जाकर बोलियेगा तो प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा, ऐसे प्रोसीडिंग का पार्ट भी नहीं बनेगा । अपने स्थान पर जाकर कहियेगा, पहले अपने स्थान पर जाइये । माननीय विधायक, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । सभी लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

माननीय सदस्य, बैठ जाइये । आपस में बात न करें, यह उचित नहीं है । माननीय सदस्यगण, सदन को जितनी गंभीरता के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ आपलोग चला रहे हैं, पहले भी हमने आग्रह किया है और कहा भी है कि आपलोग कोई भी आपत्तिजनक बात सदन में नहीं करेंगे ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए माननीय सदस्य को माफी मांगनी चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले आप सभी लोग बैठ जाइये । क्या यह आपत्तिजनक नहीं है कि हम बोल रहे हैं और आपलोग बीच में बोल रहे हैं, आपलोग बैठ जाइए, मेरी पूरी बात पहले सुन लीजिए । जब आसन से यह निर्देश हो गया है कि जो आपत्तिजनक बातें हैं वे कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगी और दूसरी...

---

xxx आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित किया गया ।

टर्न-19/यानपति/07.03.2022

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप टोपी पहन लीजिए । अब भाई वीरेन्द्र जी की टोपी उतरवा लें ? यह उचित है, उनकी पगड़ी उतरवा लें ? आपलोग आपस में क्यों करते हैं ? अब भाई वीरेन्द्र जी टोपी पहने हैं कल इनकी टोपी पर आपत्ति कीजिए, किसी की पगड़ी पर आपत्ति कीजिए यह उचित नहीं है । इस तरह का बयान उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

अब आप लीजिए, समय आपका ही बर्बाद हो रहा है । सत्येन्द्र जी, कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है, बैठिए । सुन लीजिए, वाद-विवाद की परिसीमाएं सभी माननीय सदस्य नये-पुराने, ये आप पढ़े भी हैं, जानकारी भी है सदस्य बोलते या प्रश्न करते या उत्तर देते समय वाद-विवाद को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रपति अथवा

राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं करेंगे, किसी ऐसे तथ्य संबंधी विषय का हवाला नहीं देंगे जिसपर न्यायिक निर्णय लंबित हो, किन्हीं सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप या उनके विरुद्ध असांसद शब्द का प्रयोग न करेंगे और न उनपर बुरी नीयत का दोष लगाएंगे, विधान मंडल के दूसरे सदन तथा संसद या किसी अन्य राज्य विधान मंडल के आचरण, कार्यवाही के संबंध में आक्षेप मूलक शब्दों का प्रयोग न करेंगे, राष्ट्रपति या किन्हीं राज्यपाल या अपने न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करते हुए किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप न करेंगे, देशद्रोहात्मक, द्रोहात्मक या मानहानिकर शब्द न बोलेंगे । जब हम बोल रहे हैं तो आपलोग भी बोल रहे हैं, सुनिये तो, धैर्य बहुत जरूरी है । सभा के कार्य में जानबूझकर और हठपूर्वक बार-बार रुकावट डालने के उद्देश्य से अपने बोलने के अधिकार का प्रयोग न करेंगे, यह सभी को ध्यान में रखना होगा । सभा के किसी निर्णय पर उसके संबंध में नया प्रस्ताव लाये बिना आक्षेप न करेंगे । सभा द्वारा नियुक्त किसी समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति या संयुक्त प्रवर समिति की किसी कार्यवाही का हवाला न देंगे । अब आज ही हमलोग प्रोटोकॉल और अभ्यावेदन कमेटी की चर्चा किए तो अब इसका बराबर हवाला न हो । अध्यक्ष की किसी व्यवस्था या निदेश पर अथवा अध्यक्ष के किसी प्रश्न, संकल्प या प्रस्ताव की अस्वीकृति के आदेश पर विमर्श या आपत्ति न करेंगे । यह तमाम जो नियमावली है, पूरे बिहार की जनता देख रही है । अभी वैशाली से जो बच्चे आए थे, गणतंत्र की भूमि से उनके साथ हम बोले थे कि आपलोगों के साथ भोजन पर भी बैठेंगे, हमने उनसे फीडबैक लिया । कई माननीय सदस्य उस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित भी हुए हैं बाल युवा संसद में, आपके बारे में वे कितना बढ़िया इंप्रेशन फर्स्ट आवर का लेकर गए कहा कि हमलोग तो सुनते थे कि हंगामा होता है, स्थगित होता है, लोग लड़ते-झगड़ते हैं, हमारे शब्दों से किसी को पीड़ा हो वह शब्द हम कतई नहीं बोलें । मर्यादित हो, नियमानुकूल हो, संविधान सम्मत हो यह आग्रह और निवेदन है और इस तरह की व्यवस्था का आप ख्याल रखें और आगे से किसी भी सदस्य, हम पहले भी कहे हैं कि अमर्यादित भाषा बोलकर आप तत्काल के लिए अपनी पॉपुलरिटी और अपने लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं लेकिन आपके बारे में जो इंप्रेशन बनता है, जो परिचय आप देते हैं वह दूरगामी आपका नुकसान करता है इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए । अब श्री राजेश कुमार, कांग्रेस-14 मिनट ।

(व्यवधान)

आपका समय पूरा हो गया है, बैठ जाइये । श्री राजेश कुमार ।

श्री राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: वह सारा मामला हट गया है और आगे से कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, राजेश जी ।

श्री राजेश कुमार: और अपनी राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, और अपने नेता राहुल गांधी जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए...

अध्यक्ष: अब बैठ जाइये सब लोग, उनका शुरू है । सबको अभी बोलने का मौका मिल रहा है और एक चीज आग्रह है कि कितना बेहतर आप पूरे देश के अंदर सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ा रहे हैं ये सभी पक्ष-प्रतिपक्ष सभी विधायकों के सहयोग से हो रहा है । इसलिए इस चीज पर थोड़ा संयम बरतें, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

नहीं ये गलत है, बैठ जाइये ।

श्री राजेश कुमार: 2021-22 के तृतीय अनुपूरक बजट में जो आपने अवसर दिया मैं उसके लिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं जिस तरह से पंचायती राज में...

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

अध्यक्ष: नियमन दे दिया गया है और इसके बाद नियमन पढ़कर सुना दिया गया है । नहीं, यह उचित नहीं है । आप दबाव में आसन से कोई निर्णय नहीं करा पायेंगे, अपने आसन पर जाकर बैठें । यह उचित नहीं है । बोलते रहिये आप ।

श्री राजेश कुमार: गांधीजी के सपनों का भारत गांव में बसता है और विकेन्द्रीकरण ग्रामीण विकास के लिए उनका मूल-मंत्र है, यह सपना लेकर जब हम संविधान के...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आसन पर जायं, आसन से बोलेंगे तो सुनेंगे । वेल से कोई बात नहीं सुनेंगे । वेल से कोई बात न प्रोसिडिंग में जाएगी न सुनेंगे, बोलते रहिये राजेश जी। राजेश जी बोलिए आप ।

श्री राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में मैं किनकी बात, आपका आदेश हो हाउस ऑर्डर में ले आइये तो थोड़ा सा हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी ।

अध्यक्ष: समय हमारे पास निर्धारित है ।

(व्यवधान)

सभी को बता दिया गया है कि वाद-विवाद में क्या करना है, इससे हटकर कोई करते हैं, प्रोसिडिंग का पार्ट नहीं बनेगा । हम कह दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति का प्रोसिडिंग का पार्ट नहीं बनेगा ।

(व्यवधान)

यह अधिकार किसी को नहीं है । यह गलत है, बैठिए ।

(व्यवधान)

ठीक है, अपने आसन पर जाइये । सरकार इस संदर्भ में बोलेगी, जाइये अपने स्थान पर, जाइये सबलोग । आप जाइये अपने आसन पर अब सरकार से बयान चाह रहे हैं, आप आसन पर जाइयेगा तब सुनियेगा न । अब सरकार बयान देगी ।

(व्यवधान)

महबूब जी, दोनों बात आप ही करिएगा तो कैसे होगा । बयान भी कह रहे हैं, आसन पर जाइये । विधान सभा संविधान और नियमावली से चलती है किसी के जिद से नहीं चलेगी, यह निर्धारित कोई नहीं करेंगे । बैठ जाइये सबलोग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल से अपने-अपने आसन पर चले गए)

टर्न-20/अंजली/07.03.2022

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में तृतीय अनुपूरक मांग पर वाद विवाद चल रहा है और माननीय सदस्य अपने संबोधन में जो बातें कह रहे थे उस पर कुछ माननीय सदस्यों को आपत्ति भी हुई है लेकिन कोई बहुत धार्मिक दृष्टि से इंगित करके...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । बैठ जाइये । माननीय सदस्य, आप अब सुन लीजिये, बचोल जी, बैठिये । महबूब जी, आप पूरी बात बिना सुने बीच में बोलते हैं यही तो दिक्कत है । आप पहले बैठ जाइये, बैठ जाइये । एक आग्रह करेंगे, एक मिनट सुनिये, आप ही ने मांगा कि सरकार जवाब दे और सरकार जवाब दे रही है तो सुन नहीं रहे हैं ऐसे थोड़े चलता है । आप बैठिये, आप सुन लीजिये । मैं यहां पर नहीं था लेकिन मैं सुन रहा था । सरकार जब जवाब दे रही है तो पूरी बात को धैर्य से सुनना चाहिए और जो वरिष्ठ लोग हैं, वरीय लोग हैं सदन में जब, थोड़ा महबूब जी, आप सुनिये । आप

सदन को अव्यवस्थित न करें, धैर्य से सुनिये । सरकार जवाब देती है तो धैर्य से सुनना चाहिए । यह सरकार, सदन और सभी सदस्यों की जिम्मेवारी है कि सदन चले, सदन में अवरोध पैदा नहीं हो, कोई विषय आता है तो उसका हम समाधान करें । माननीय उप मुख्यमंत्री जी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, और उसके बाद काफी शोरगुल भी हुआ और उस शोरगुल के कारण कई चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर हम सब अनुश्रवण नहीं कर पाये हैं लेकिन इतना हमने जरूर सुना कि माननीय सभापति जो अभी आसन पर विराजमान थे उन्होंने बार-बार कुछ माननीय सदस्यों के आपत्ति पर स्पष्ट तौर पर कहा कि जो बातें नियमावली के विपरीत है या असंसदीय शब्द है वह किसी प्रकार से कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा और प्रारंभ से ही और कार्यमंत्रणा समिति की बैठकों में भी जब इसके अलावा जब भी विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं की बैठक आपके वेश्म कक्ष में हुई है, स्पष्ट तौर पर हम सबों ने सस्वर एक साथ यह तय किया है कि हमलोग आपस में कुछ ऐसी बातें न करें जिससे एक अनावश्यक सदन में गतिरोध हो, क्योंकि पूरा बिहार आज हमें देख रहा है, यह महत्वपूर्ण बजट सत्र है और आने वाले दिनों में इस बजट सत्र से ही पूरे वित्तीय वर्ष में बिहार कैसे आगे बढ़ेगा ये कई चीजें हम सबों को मिलजुलकर करना है लेकिन इस तरह से कुछ बातें हैं जब आसन के द्वारा बार-बार कुछ चीजें निर्देशित की जा रही हैं उसके बाद भी इस तरह से वेल में आ जाना या कुछ ऐसी बातें माननीय सदस्यों के द्वारा जिद करके कहना, मुझे लगता है कि यह बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है ।

(व्यवधान)

एक मिनट, सुना जाय न ?

अध्यक्ष : सुना जाय-सुना जाय ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अगर जब आसन कुछ निर्देशित कर रहा है तो हम सभी सदस्यों का दायित्व है चाहे वह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो आपके अनुदेश का हम सब पालन करते भी हैं हम सबों की परंपरा भी रही है और कोई एक दिन से यह सदन नहीं है लंबे समय से यह सदन चल रहा है और बिहार के विकास के लिए, बिहार में लोकतांत्रिक परंपरा कैसे सुदृढ़ हो इसके लिए यह सदन हमेशा साक्षी रहा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही आग्रह है और आपके माध्यम से मैं सभी सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर पूरे बिहार को देखने का काम करें और यह सदन हम सबों का एक आईना है जहां हम अपने बिहार को देखें क्योंकि

पूरा बिहार हम सबों को देख रहा है । इसलिए मेरा आग्रह है कि इस तरह की कोई बातें अगर किसी सदस्य को आपत्ति है तो आप उसे कार्यवाही को देख लेंगे, अगर लगेगा कि वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए तो निकलेगा और आपके माध्यम से सभी सदस्यों से चाहे हमारे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों सबों से बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि जो एक स्वस्थ रूप से सदन की कार्यवाही चल रही है उस सारे कार्यवाही का हिस्सा बनकर, क्योंकि आप भी कुछ बातें कहते हैं तो हमारे लिये भी वह एक आईना होता है उस आईने में हम भी अपने पूरे राज्य की तस्वीर को देखते हैं और लगता है कि कहीं न कहीं कुछ चीजें छूटती हैं तो उसको रेगुलेट करने का भी प्रयास करते हैं इतना ही आग्रह करना है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

सुन लीजिये, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में वही बात कही जो आपने कही ।

(व्यवधान)

आप दोनों में से कोई पहले एक तय करिये कि कौन बोलियेगा । दोनों की आवाज नहीं सुने हैं ।

(व्यवधान)

अब सुन लीजिये, सभी माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये, कोई भी बात आपलोगों की प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । बैठ जाइये आप सब लोग । समय बर्बाद न करें । माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कार्यवाही को देख लिया जायेगा, पहले सदन चलेगा, सदन के बाद कार्यवाही देखी जायेगी ।

माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार । बैठ जाइये । समाधान करिये, व्यवधान न उत्पन्न करिये ? बैठ जाइये । आप ही की मांग थी कि कार्यवाही देखी जायेगी तो देखी जायेगी । बैठ जाइये । आप सदन में इस तरह से जिद न करें, यह उचित नहीं है। बोलिये, राजेश जी ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : राजेश जी, आपका समय बर्बाद हो रहा है । ठीक है, बैठ जाइये सब लोग । प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक बोलेंगे, सब लोग बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर नहीं थे लेकिन जो आपत्तिजनक शब्द बोले हैं, माननीय सदस्य को इस पर सफाई दे देनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष

महोदय उस प्रोसीडिंग को देख लेनी चाहिए कोई ऐसी बात है तो महोदय, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : हम उसको देख लेंगे, प्रोसीडिंग के पार्ट को देख लेंगे । आप बोलिये, राजेश जी । नहीं बोल पाइयेगा तो हम आगे बढ़ेंगे ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज के पंचायती राज का जो गिलोटीन आया है उसमें मुख्य रूप से मैं दो बातों को रखना चाहता हूं । यह जो पंचायती राज व्यवस्था है जब 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 के परिणाम स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस प्रारूप को दिया और आज गांव में बसे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपने आसन पर जायं । बोलते रहिये राजेश जी ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ से यह स्थिति है, दो तीन बातों को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मनरेगा में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग अपने स्थान पर जायं, जब आसन से कह दिया गया उसके बाद भी इस तरह से व्यवधान डालना उचित नहीं है ।

श्री राजेश कुमार : जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है और मनरेगा में आपसी...

(व्यवधान)

टर्न-21/सत्येन्द्र/07-03-22

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: राजेश जी, आपका समाप्त हुआ । श्री लखेन्द्र कुमार रौशन ।

(व्यवधान जारी)

यह ठीक है क्या कि आसन ने जब पूरी बात सुनकर आपको कहा कि हम देख लेंगे तो उसके बाद भी वेल में आकर, जिद कर के आप आसन को प्रभावित करना चाहते हैं और आपको पहले बतला दिये हैं कि आसन को कोई भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष प्रभावित नहीं कर सकता है । अपने स्थान को ग्रहण कीजिये । नो, नहीं चलेगा।

(व्यवधान जारी)

आप अपने स्थान पर जायें, उसके बाद ही कोई बात सुनेंगे ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशनः अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत अनुपूरक बजट पर पेश कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः ये ठीक है कि बिना अनुमति के आप जबर्दस्ती वेल में बार-बार आ रहे हैं, ये उचित नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

आपको लगता है कि यहां संविधान के विरोध वाले लोग बैठे हैं क्या ? सब संविधान के हित में ही हैं । अपने आसन पर बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री लखेन्द्र कमार रौशनः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें लगता है कि विपक्ष के लोग कटौती प्रस्ताव लाकर क्या साबित करना चाहते हैं, विपक्ष के लोग कटौती प्रस्ताव लाकर राज्य के विकास में बाधा बनना क्यों चाहते हैं ? अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में पूरी जिम्मेवारी के साथ ग्राम पंचायत में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्की निश्चय योजना का निर्माण बड़ी मजबूती के साथ हो रही है अध्यक्ष महोदय, हमें यह समझ में नहीं आता है कि विपक्ष के जो साथी हैं, बिहार के विकास में बाधक बनना क्यों चाहते हैं ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः आसन पर जाईए, तब बात करेंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री लखेन्द्र कुमार रौशनः जब सदन से आम जनता के बीच में ये जायेंगे तो इनको दिखलाना पड़ेगा कि बिहार में जो अनुपूरक बजट बिहार सरकार ने जो बिहार के विकास के लिए लायी है, उस अनुपूरक बजट का विरोध कर के ये विरोधी लोग बाहर जाना चाहते हैं । यह मुझे समझ में नहीं आता है अध्यक्ष महोदय, मैं इनके लिए एक शेर पढ़ देना चाहता हूँ-

लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ।
डुबकियां सागर में गोताखोर लगाता है,
जाकर खाली हाथ लौटकर आता है,

मिलते नहीं सजह मोती गहरे पानी में,
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं आती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,
लोकतंत्र के मंदिर का मैदान छोड़कर मत भागो तुम,
कुछ किये बिना जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के तहत सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने के उद्देश्य से पंचायत राज विभाग को आवंटित 57 हजार 995 वार्डों में से 57 हजार 611 वार्डों में जल की आपूर्त्ति की जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको नहीं लगता है कि बिहार की जनता से वोट लेकर यहां जीतकर विपक्ष के लोग आये हैं और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एन0डी0ए0 की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में बिहार में जब विकास हो रहा है, पंचायत में हर घर में हर घर नल योजना के तहत पंचायत राज विभाग के माध्यम से पंचायत के 99 प्रतिशत घरों में नल जल योजना के तहत नल लग गया है । अध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत 96 लाख परिवार...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आपसे आग्रह है, आप अपने आसन पर जाकर बोलेंगे, तब न सुन पायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

श्री लखेन्द्र कुमार रौशनः आम गरीबों के घर तक पानी पहुंचा है, ये आम लोगों के विरोधी हैं अध्यक्ष महोदय, ये नहीं चाहते हैं कि गरीबों के घर में पानी पहुंचे । ये नहीं चाहते हैं कि गरीबों के घर तक हर घर नल पहुंचे, ये नहीं चाहते हैं गरीबों के टोला और बसावट में पक्की सड़क और नाला का निर्माण हो, पक्की सड़क का निर्माण हो..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः आसन पर जाईए और माईक से बोलिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री लखेन्द्र कुमार रौशनः अध्यक्ष महोदय, इसलिए विपक्ष का काम है सदन में केवल हंगामा खड़ा करना । मैं नहीं समझता हूँ, ये हंगामा खड़ा कर के विरोधी लोग बिहार के विकास में

बाधक बनकर क्या साबित करना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, सदन में हंगामा करना ही विपक्ष का मकसद केवल है तो..

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदन अपनी अपनी सीट पर लौट आये)

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कच्ची नली गली पक्की योजना के तहत पंचायतों में कच्ची गलियों का पक्कीकरण किया जा रहा है और इस योजना के तहत 14 हजार वार्डों के विरूद्ध अबतक....

अध्यक्षः अच्छा सब लोग बैठ जाईए । समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य बैठ जाईए ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशनः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने जो समय हमारा खाया है, इनके समय में से हमें समय मिलना चाहिए ।

अध्यक्षः बैठ जाईए । अब समय जितना व्यवधान के कारण समाप्त हुआ, वह तो सब का कटेगा ।

(व्यवधान)

बैठ जाईए, बैठ जाईए । माननीय सदस्य, सदन को गरम बनना नहीं है इसको नौर्मल बनाना है । बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय सदन को व्यवस्थित किया जाय, आर्डर में लिया जाय और तब सदन की कार्यवाही चलाया जाय । महोदय, जिस तरह से सदन में बयान आता है, बहुत दुख की बात है, खेदजनक बात है महोदय, इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए सदन में, बार-बार आ रहा है महोदय, माननीय सदस्य को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और ऐसी बात बोले हैं तो खेद प्रकट करना चाहिए ।

अध्यक्षः ठीक, एक एक मिनट सभी दल के, जैसे एक मिनट में बोले हैं, सब लोग एक मिनट में बोल दीजिये ।

श्री विजय शंकर दूबेः अध्यक्ष महोदय, कुमार शैलेन्द्र जी के भाषण के क्रम में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ जरूर, जो मेरे ख्याल से आप भी देख लें प्रोसीडिंग असंसदीय है और जिस तरह से किसी वर्ग विशेष को टारगेट कर के बोलना, उससे भी सदन की गरिमा गिरती है, यह सदन सब का है, सब जातियों का है इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसिडिंग देख लें और प्रोसिडिंग देखकर के उसको निकाल दीजिये और ऐसा न हो इसलिए आसन से निर्देश हो जाय कि भविष्य में ऐसे वक्तव्य नहीं दिये जायें ।

टर्न–22/मधुप/07.03.2022

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सत्येन्द्र जी, आप क्यों बार–बार उठ रहे हैं ? आपके दल के नेता हैं न ?

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : हम ही अपने दल के नेता हैं ।

अध्यक्ष : आप ही हैं । ठीक है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाकर उनके खिलाफ बयानबाजी करने की एक परम्परा कायम करने की कोशिश हो रही है । सरेआम इस सदन में कहा गया कि अल्पसंख्यक देशविरोधी है ।

अध्यक्ष : सकारात्मक । जैसे विजय शंकर दूबे जी बोले हैं, वैसे ही सकारात्मक बोलिये ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । शांत रहें ।

श्री महबूब आलम : देखिये महोदय ।

अध्यक्ष : नहीं । सब शांत रहें । एक आग्रह है कि व्यवधान खतम करने पर सुझाव हो, उत्तेजना फैलाने की बात न हो, उत्तेजना खत्म करने की बात हो ।

श्री महबूब आलम : महोदय, इससे पहले भी सरेआम मुसलमानों का नाम लेकर उनकी नागरिकता छीनने और उनको देशविरोधी.....

अध्यक्ष : समाधान का सुझाव क्या है ?

श्री महबूब आलम : महोदय, यह सदन की उपेक्षा है, उदासीनता है जो ऐसे बयान देने वालों का हौसला बुलंद कर रहा है जो बार–बार ऐसा बयान दे रहा है ।

अध्यक्ष : श्री अखतरूल जी ।

श्री महबूब आलम : इसलिये हम चाहते हैं कि इसपर विमर्श हो । बयान देख लिया जाय, माफी मँगवाया जाय और सरकार इसपर अपना वक्तव्य दे ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और इस हाउस का नियम है, नियमावली है, जो कुछ भी है वह संविधान के अधीन है । संविधान में किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समुदाय, किसी धर्म को चिन्हित करके बदनाम करना, गालियाँ देना कहीं से भी नियमोचित नहीं है, संविधान के विरूद्ध है । इस तरह से कहा गया ।

महोदय, मैं चैलेंच करता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने भी अपना जवाब दिया है, कार्यवाही देख ली जाय । कार्यवाही देख लीजिये महोदय, उसमें साफ कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो देश विरोधी हैं, यह शब्द कहा गया है । सुन लिया जाय,

महोदय । सिटीजनशिप छीन लो, नागरिकता छीन लो, वोट देने का अधिकार छीन लो, ये बातें तो कहते ही रहे हैं.....

अध्यक्ष : व्यवधान नहीं, समाधान के लिए हमने वक्तव्य देने को कहा है ।

श्री अखतरूल ईमान : समाधान की बात आप कहते हैं, अक्सरहॉ ऐसे मौके पर यह नियमन आता है कि कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा लेकिन यह नियमन उस वक्त के लिए था जब यहॉ की बहस-मोबाहिसें बाहर नहीं जाया करती थीं, उस वक्त यह बात थी लेकिन आज जब सीधा प्रसारण हुआ है, जिसने गलत कहा है, बड़प्पन यह है कि उसको गलती की माफी मॉगनी चाहिए, अगर उससे गलती हुई है तो वह क्षमा चाहे, अगर मेरी बात गलत है तो मैं क्षमा चाहूँगा । नहीं महोदय, आपसे हमलोगों को नियमन चाहिये ।

अध्यक्ष : सत्येन्द्र यादव जी । एक मिनट में । अभी ये अपनी पार्टी के नेता हैं ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : महोदय, सदन की मर्यादा के विरूद्ध कुछ साथी साम्प्रदायिक टिप्पणी करने के लिए माहौल का इंतजार करते रहते हैं ।

अध्यक्ष : आपके नेता कहॉ गये हैं ?

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : मेरे नेता दूसरे राजनीतिक कार्यक्रम में हैं और आज मैं नेता हूँ इसलिए सुनिये। जहॉ तक कुछ माननीय सदस्य मीडिया के सामने, सदन के सामने जिस तरह से बयान दे रहे हैं xxx

अध्यक्ष : समाधान ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : दो ही समाधान हैं महोदय, या तो माफी मॉगें नहीं तो इसपर डिबेट हो कि इस देश के राष्ट्रविरोधी कौन हैं और हम प्रमाणित करेंगे ।

अध्यक्ष : रामरतन बाबू ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : xxx

श्री नन्द किशोर यादव : नहीं महोदय, अगर इस तरह से होगा तो जवाब सुनने के लिए तैयार रहें। मैं चाहूँगा कि विमर्श हो, तय हो कि कौन राष्ट्रविरोधी हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रोसिडींग का पार्ट नहीं बनेगा, सत्येन्द्र जी जिस तरह के बयान दिये हैं, वह प्रोसिडींग का पार्ट नहीं बनेगा । रामरतन बाबू, बोलिये ।

श्री रामरतन सिंह : अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यकों के बारे में जिस तरह से माननीय सदस्य बार-बार, कई बार ये बातें हो चुकी हैं लेकिन इसका कोई उचित समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हमारा स्पष्ट सुझाव है....

अध्यक्ष : समाधान के लिए सुझाव ।

श्री रामरतन सिंह : समाधन के लिए सुझाव यही है कि प्रोसिडींग से उसको निकाला जाय और जो माननीय सदस्य इस तरह की भाषा बोलते हैं उनको माफी मॉंगनी चाहिए ।

---

xxx आसन के आदेशानुसार अंश विलोपित किया गया ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री राजेश कुमार । कांग्रेस पार्टी ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, बार-बार जो यहॉं इस तरह के हेट-स्पीच आते हैं तो मैं दो शब्दों में आपसे चाहेंगे कि बार-बार यह नहीं आये चूंकि कहीं न कहीं यहॉं पर बैठे हम जनता के टाइम को खराब करते हैं और जब टाइम खराब होता है तो हम मूल बात से भटक जाते हैं ।

मेरा यही आग्रह है कि इस तरह का आपकी तरफ से एक नियमन आये कि इस तरह की बात की बार-बार पुनरावृत्ति न हो और यदि पुनरावृत्ति हो तो आगे हम कार्रवाई करेंगे । इस तरह से कड़ी चेतावनी आनी चाहिए जो सबके लिए मान्य हो ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, हम भी यहॉं बैठे हैं और बहुत बार इस प्रकार की वाकयातें आयी हैं । जब कभी किसी कारण से नोइंगली या अननोइंगली बातें निकल जाती हैं उसका समाधान यही होता है कि उस पार्ट को प्रोसिडींग का पार्ट न बनाया जाय । अगर इसमें कहीं कोई संदेह हो तो माननीय सदस्य जो इसमें एग्रीव्ड हैं उनके सामने प्रोसिडींग या जो होता है, उसको दिखला दिया जाय कि आखिर क्या बातें हुई हैं ।

यह बात सही है कि कहीं-कहीं ऐसा होता है, किसी समुदाय विशेष के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए, हमलोग भी उसके पक्षधर हैं लेकिन हम यहॉं बैठकर नहीं सुन पाये कि इस प्रकार की कोई बातें हुई हैं । अगर उन बातों को हमारे साथियों ने सुनी है तो उसको प्रोसिडींग का पार्ट न बनाया जाय । सामने अपने कक्ष में बैठकर उनलोगों को वीडियो दिखला कर आश्वस्त हो जाया जाय । अगर सचमुच में उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो माननीय सदस्य को कहा जाय कि आगे भविष्य में इस प्रकार की बात न कहें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या स्वर्णा सिंह ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि किसी भी बात को लेकर उसको बार-बार दोहरा कर सदन का समय न खराब किया जाय । शांतिपूर्ण भाव से थोड़ा सदन चलता रहे, यह सभी के हित में है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : बहुत हद तक सही कह रहे हैं ।

महोदय, लेकिन हमने जो बातें माननीय नेताओं की सुनी है उससे जो बात संज्ञान में आयी है, इसमें कोई दो राय तो हो ही नहीं सकती है कि किसी के द्वारा किसी समुदाय विशेष के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की जाय, किसी खास समुदाय के बारे में । यह बात तो उचित हो ही नहीं सकती है ।

महोदय, लेकिन अगर कुछ आम तौर पर ऐसी बातें कही जाती हैं जो द्विअर्थी होती हैं जिनका दो अर्थ निकलता है, कई अर्थ निकलते हैं तो महोदय, यह तो आसन का अधिकार है कि अगर कोई ऐसी बात किसी माननीय सदस्य ने कह दी है जो असंसदीय है या संविधान सम्मत नहीं है तो वह तो आसन का सर्वाधिकार सुरक्षित है । आप देख लीजिये, उसको निकाल दीजिये और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सदन के माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, सरकार भी सहमत है कि किसी भी माननीय सदस्य को किसी समुदाय विशेष के बारे में कोई भी अभद्र, अशोभनीय या असंसदीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कि सदन में अनावश्यक उत्तेजना फैले और महोदय, जब सदन में सब कुछ शांतिपूर्वक चलेगा तभी चाहे सत्तापक्ष के हों, माननीय विपक्षी दल के नेतागण हैं, सदस्य हैं, सभी की बात तो तभी सुनी जा सकती है जब सदन सुचारू रूप से चलेगा ।

महोदय, इसके तो नियामक आप हैं और आप उसको देख लीजिये, आपका जो भी नियमन होगा, सरकार उसके साथ है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठे-बैठे बोलना उचित नहीं है ।

माननीय सदस्यगण, सभी के विचार और भाव हैं कि सदन चले । व्यवधान उत्पन्न होता है तो आप-हम मिल-बैठकर ही समाधान खोजते हैं । यही सकारात्मक भाव सदन की खूबसूरती है । सभी वरीय सदस्य और सभी दलीय नेताओं के भी विचार आये हैं कि जो भी आपत्तिजनक शब्द हैं उनको प्रोसिडींग का पार्ट नहीं बनाया

जाय, उनको हटा दिया जाय । शेष हम देख लेंगे अपने कक्ष में सदन समाप्ति के बाद और आगे से यह ध्यान रखें कि इस तरह के शब्दों का उपयोग हम कतई नहीं करें जिसपर सदन के अंदर व्यवधान उत्पन्न हो ।

अब श्री राजकुमार सिंह जी ।

टर्न–23/आजाद/07.03.2022

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : एक मिनट राज कुमार जी ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से ...

अध्यक्ष : आपका समय 10 मिनट था, अब 5 मिनट राजकुमार जी रहेगा ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा समय क्यों काटा गया जबकि पूरे सदन की कार्यवाही को इधर के लोगों ने बाधित किया है .....

(इस अवसर पर श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरूल ईमान, स0वि0स0 वेल में आ गये)

अध्यक्ष : सदन का समय कम है । यह उचित नहीं है ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, फिर मेरा समय काटा जा रहा है, यह कोई तरीका नहीं है।

अध्यक्ष : ऐसे व्यवधान कर आसन के नियम को नहीं मानते हैं तो फिर यह उचित नहीं है, आसन आपकी बात नहीं सुनेगा ।

(इस अवसर पर सी0पी0आ0ई0(एम0एल0) एवं ए0आई0एम0आई0एम0 के माननीय सदस्यगण सदन से वाकआऊट कर गये)

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, आज जिस तरीके से सदन की कार्यवाही चल रही है, उसपर मैं अपना अफसोस व्यक्त करना चाहता हूँ । बोलना तो मुझे पंचायती राज पर था लेकिन मुझे जिस तरीके की व्यवस्था दिख रही है, उसपर मैं निश्चित रूप से बोलूंगा । अध्यक्ष महोदय, आज तलक जो सत्र हुए हैं, वे सारे सत्र को भूल गये, पहला सत्र किसी को याद नहीं है कि जब हम यहां आते हैं तो सबसे पहले संविधान की शपथ खाते हैं और ईश्वर के नाम पर संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा और श्रद्धा अक्षुण्ण रखने की शपथ खाते हैं । लेकिन संविधान क्या है अध्यक्ष महोदय, संविधान के जो मूल तत्व है, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इन्हीं चीजों का हमलोग शपथ खाकर हम आते हैं । लेकिन कोई भी सदस्य इन चीजों का निर्वहन

नहीं करते हैं और सदन की कार्यवाही को बार-बार स्थगित करते हैं । ये हम जैसे नये सदस्यों के लिए .....

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें की हैं, अगर वे सदन में माफी नहीं मांगते हैं तो मेरी पार्टी भी सदन का वाकआऊट करती है।

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण सदन से वाकआऊट कर गये)

श्री राज कुमार सिंह : आज जिस तरीके से सदन में किया गया, मैं तो यही कहूंगा, मुझे विपक्ष को देखकर लग रहा था और मैं अपनी बात को दो शब्दों में कहूंगा कि -

तुम्हारे पैरों के तले कोई जमीन नहीं,
कमाल यह है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं ।

जिस तरीके से आज सरकार ने अपना पक्ष बड़ी-बड़ी पुस्तकों के माध्यम से इन लोगों के सामने रख दिया है लेकिन इसको देखने की फुर्सत इन लोगों को नहीं है। सिर्फ ये लोग प्रतिकार करने की ठान रखी है और सदन की कार्यवाही को बार-बार ये लोग स्थगित करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि बजट जैसे एक नई नवेली दुल्हन अपने रसोई में जब पकवान परोसती है लेकिन जो विपक्ष होता है, वह सासु माँ की तरह उसका काम है कि सिर्फ आलोचना करना, मैं तो यही कहूंगा कि Test of fooding is in eating . आपने इसका रसास्वादन तो किया नहीं लेकिन उसकी कमियां गिनानी शुरू कर दी । मैं कुछ ऐसे ही पकवान परोसना चाहता हूँ इनको शायद पसंद आये ।

महोदय, पंचायती राज विभाग में आपने जो प्रावधान किया है लगभग इस बार 9801 करोड़ रू0 का, उसमें जो मूल भावना है एक सशक्त, समावेशी, परादर्शी और स्वालम्बी ग्राम पंचायत बनाने की, उसी भावना को महात्मा गाँधी जी का मूल उद्देश्य था कि गांवों को मजबूत बनाया जाय, ग्राम स्वराज्य की स्थापना की जाय क्योंकि ग्राम स्वराज्य की स्थापना से ही जो प्रथम व्यक्ति एवं अंतिम व्यक्ति की दूरी है, उसको कम किया जा सकता है । एक समृद्ध गांव ही एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है । इन सारी भावनाओं को रखते हुए सरकार ने इस बजट का निर्माण किया और पंचायती राज विभाग ने बड़ी मेहनत करके सभी विषयों पर उन्होंने अपना काम किया है । मैं कुछ बातें कहूंगा पंचायत सरकार भवन के बारे में, आज 8067 पंचायतों में से लगभग 1434 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है

और 1766 पंचायत भवन अभी भी निर्माणाधीन है । यह चीज विपक्ष को नहीं दिखता है, यह पकवान उनको नहीं दिखता है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : राजकुमार जी, एक मिनट । महोदय, हम सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सुधार के लक्षण स्पष्ट दिखायी पड़ रहे हैं और महोदय, अब आप हमको गलत साबित मत करिए, ऐसा कुछ मत करिए जिससे कि हम गलत साबित हो जाय । इसलिए महोदय, हम सरकार की तरफ से इनको धन्यवाद देते हैं कि ये सदन में बैठकर सरकार की और आपके अधीन सदन के संचालन में सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : आपके इस आग्रह पर कि कांग्रेस के लोग जब बोल रहे थे तो उस समय लोगों ने व्यवधान करके बाधा उत्पन्न की है तो उनको फिर हम अवसर देंगे ।

श्री शकील अहमद खॉ : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आग्रह है.....

अध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा ।

श्री शकील अहमद खॉ : महोदय, एक मिनट चाहता हूँ, यह जवाब के रूप में नहीं है । कांग्रेस पार्टी के तरफ से वैचारिक लड़ाई इस सदन में तमाम पार्टियों के साथ इस देश की परम्परा में विरासत की पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, उसकी अपनी एक गरिमा है । उस गरिमा को बरकरार रखते हुए वैचारिक तौर पर इस देश में जिस व्यक्ति ने यह बात कही है, उसके खिलाफ हम पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, उनके साथ कभी भी समझौता नहीं हो सकता है .....

अध्यक्ष : अब बैठ जाइए ।

श्री शकील अहमद खॉ : इसलिए हम यह बात कहते हुए हमलोगों को कोई संरक्षण नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी सदन से वाकआऊट करती है ।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन से वाकआऊट कर गये)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, लगता है कि हम जो बोले, उसको वापस लेना पड़ेगा।

अध्यक्ष : आप नहीं बोलते तो वे लोग बैठे रहते । राजकुमार जी, अपनी बात रखें ।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, इसी तरीके से पंचायती राज विभाग के द्वारा जो मुख्यमंत्री पेयजल योजना है, उसमें लगभग अभी शतप्रतिशत वार्डों में इस वक्त पेयजल की आपूर्ति कर दी गई है, यह भी लोगों को नहीं दिखता है । यह भी एक सुनियोजित तरीके से सरकार की आलोचना करने का जो इन लोगों ने एक मन सा बना लिया है जबकि हम सब लोग यहां पर आते हैं, उसी जनता के ताकत से आते हैं, जिसके कल्याण के लिए

हमलोग वादे करते हैं, कसमें खाते हैं लेकिन इस सदन में आते ही हम तमाम वादे भूल जाते हैं और सरकार के द्वारा की जाने वाली जनहित के सारे कार्यों को नजरअंदाज करने का प्रयास करते हैं जबकि विपक्ष के द्वारा यह नहीं होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का फिर 5 मिनट ही मौका दिया, मुझे लगता है कि मेरा समय भी समाप्त होने वाला है ।

अध्यक्ष : चलिए, 5 मिनट और बढ़ा दिये ।

श्री राज कुमार सिंह : ठीक है सर, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । इसलिए पंचायती राज विभाग ने जिस तरीके से काम किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है । पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग दोनों ही मिलकर ग्राम को मजबूत करने का जो काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सराहनीय है । मैं आपको बताना चाहूं और विपक्ष के जो मेरे भाई हमारी बात भी सुन रहे होंगे, उनको यह भी बताऊं कि ग्रामीण विकास विभाग ने भी जो पूरे बजट आवंटन का 10.6 प्रतिशत इस बार दिया है, वह पूरे देश में सभी राज्यों के औसत आवंटन से बहुत ज्यादा अधिक है । यह है हमारी सरकार की देन और सरकार हर दिशा में काम कर रही है । आज मुख्यमंत्री के द्वारा स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव की दिशा में जो काम किये जा रहे हैं, जिसमें हरेक गांव में सोलर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जा रही है, वह भी एक सराहनीय कार्य है । कभी किसी ने सोचा नहीं था, अब तो हमलोग लालटेन की रोशनी से बाहर आ चुके हैं, यह इनको नहीं दिखता है । अब हम सूरज की रोशनी रात में भी सूरज की रोशनी का प्रकाश गांवों को मिलेगा, यह सोचने का माद्दा अगर किसी ने किया है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली प्रगतिशील सरकार ने किया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं विषय से विषयांतरित होना नहीं चाहता हूँ । इसलिए मैं सिर्फ गांवों के बारे में ही बोलूंगा । गांव के बारे में आज जितनी ताकत दी गयी है पंचायतों को, 50 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को, यह अपने आप में एक पूरे देश के लिए नजीर है । आज हमलोग सब देख रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में जिस तरीके से हम महिलाओं की भागीदारी देखते हैं, वह देखने लायक बनती है और जब महिला सशक्त होती है तो उसका पूरा परिवार सशक्त होता है और पूरा परिवार के साथ ही पूरा समाज और पूरा राज्य और पूरा राष्ट्र सशक्त होता है । यह सोच रखने का अगर किसी के पास दूरदर्शी नेतृत्व था, वह माननीय नीतीश कुमार जी की है और पूरा देश उसका अनुसरण करने के लिए आतुर है ।

..... क्रमशः .....

टर्न-24/शंभु/07.03.22

श्री राजकुमार सिंह (क्रमशः): हर घर नल का जल का जो उद्देश्य है इसकी सराहना आज पूरे विश्व में हो रही है । इतनी बड़ी योजना को सोचना और उसको धरातल पर ला देना यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, लेकिन विपक्ष को ये चीजें भी नहीं दिखेगी ।

अध्यक्ष : विषय समाप्त हो गया हो तो बैठ जाइये ।

श्री राजकुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय तो बहुत बड़ा है, खत्म होने लायक है भी नहीं, लेकिन आपने कह दिया है तो मैं अनुशासन का पालन करते हुए बैठूंगा, लेकिन अटल बिहारी जी की दो पंक्तियां कहकर बैठूंगा ।

अध्यक्ष : जरूर-जरूर ।

श्री राजकुमार सिंह : क्योंकि कितनी भी बाधाएं आ जाएं अटल जी ने कहा- अभी तो उनको देखकर मुझे अटल जी की पहली पंक्ति याद आ रही थी कि- ''बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सबसे भय खाता है, गीत नया गाता हूँ ।'' लेकिन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के जज्बे को देखकर उनके साहस को देखकर अटल जी की वही पंक्तियां मुझे याद आती है कि- ''टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नयी ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ ।'' बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : राष्ट्रकवि दिनकर जी की भी दो पंक्ति ।

श्री राजकुमार सिंह : दिनकर जी की पंक्ति तो वही है कि- ''जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को, बल को ।'' दिनकर की इन्हीं पंक्तियों से एक बार मैं नमन करता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके नेतृत्व वाले तमाम मंत्रिपरिषद् का बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री लखेन्द्र कुमार रौशन जी, आपका समय व्यवधान में गया था 5 मिनट, आप गणतंत्र की धरती से हैं गणतंत्र झलकना चाहिए ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, जहां लोकतंत्र की नींव सबसे पहले पड़ी थी उस गणतंत्र की धरती वैशाली जिला से हम आते हैं और वहां पर आपने जो कार्यक्रम कराया वह सबके सब बच्चे आज आये हुए थे और उन्होंने भी सदन को देखा । इसलिए वैशाली जिला के लोगों की तरफ से इस सदन को और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार । अध्यक्ष महोदय, हमने जो शुरू किया था तो उस परिस्थिति में

सरकार के पक्ष में पंचायती राज के कटौती प्रस्ताव जो विपक्ष के लोग लाये थे उसके विरोध में मैंने बोलने शुरू किया था, लेकिन मेरा समय चला गया । हमने शुरू किया था चूंकि सबलोग एक ललित जी बैठे हुए थे उन्होंने शुरू किया तो काव्य से शुरू किया, लेकिन जो मैं रखा वह बहुत लोग नहीं सुन पाये थे तो मैं उसको केवल दोहराना चाहता हूँ - ''लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करनेवाले की कभी हार नहीं होती, डुबकियां सागर में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सागर में गोताखोर लगाता है, जा-जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं आती, कोशिश करनेवालों की कभी हार नहीं होती ।'' असफलता एक चुनौती है, हमने विपक्ष के लोगों को भी कहा था, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, लोकतंत्र के मंदिर का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, लोकतंत्र के मंदिर का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किये बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करनेवाले की कभी हार नहीं होती ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी माननीय विधायक जी ने ऐसा कोई शब्द नहीं रखा था, लेकिन विपक्ष का जो उद्देश्य था जो हमेशा भाग जाते हैं सदन छोड़कर उसके लिए एक बहाना मिलना था । जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में कुछ लोग यह कहते हैं कि हम किसी धर्म या मजहब का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जब यह कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लोकतंत्र के मंदिर में जब यह कहते हैं कि जन गण मन नहीं गायेंगे । आपने देखा दुनिया ने भी देखा मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए थे तो भारत के सभी बच्चे को लाने में हमलोग सफल हुए ही बिहार सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी, लेकिन दूसरे देशों के बच्चे भी जो वहां फंसे हुए थे, यहां तक कि पाकिस्तान के बच्चे जो फंसे हुए थे वह बच्चा भी भारत के तिरंगे का सहारा ले रहा था और भारत का तिरंगा लेकर यूक्रेन की लड़ाई से अपने आप को सुरक्षित ले आया । यही भारतीय तिरंगे का गर्व है कि हम हैं और हमारा तिरंगा है, लेकिन हमारे देश के ही कुछ लोग यह कहते हैं कि जन गण मन नहीं गायेंगे । हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे । ये कौन से संविधान का पाठ हमको अभी पढ़ा रहे थे ? इसी देश में रहकर आप भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, इसी देश में रहकर आप जन गण मन राष्ट्रगीत नहीं गाते हैं और इस सदन में हमको संविधान का पाठ पढ़ाते हैं । यह कौन सा संविधान का पाठ है ? इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, केवल यह कहना चाहता हूँ

दोहरी मानसिकता और दोहरी नागरिकता देश के लोगों को कभी मंजूर नहीं है । विपक्ष के लोग चले गये । आज पंचायती राज विभाग- मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पंचायती राज के माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी का । आज पंचायत में सब काम तो हुआ हर घर नल का जल लगा, हर गली में सड़कें बन रही है । अभी-अभी हर पंचायत के हर वार्डों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करके माननीय मंत्री जी और बिहार सरकार ने जो व्यवस्था कि इससे यह साबित हो जायेगा कि हर पंचायत में रौशनी चमकेगी और यह जो स्ट्रीट लाइट है वह लालटेन युग की समाधि की अंतिम कील होगा । विपक्ष के लोग केवल कटौती प्रस्ताव लाते हैं उनको विकास दिखायी नहीं देता है । हमें लगता है कि विकास देखने का उनके पास जो चश्मा है वह टूटा हुआ चश्मा पहनकर के वे सदन के अंदर आते हैं । मैं उनसे केवल यह कहता हूं कि टूटे हुए चश्मे से कभी आपको बिहार का विकास दिखायी नहीं देगा । आपको नहीं दिखायी देगा कि बिहार के पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन रहा है कि नहीं, आपको नहीं दिखायी देगा कि बिहार के प्रत्येक पंचायत में हर घर नल जल का काम हो रहा है कि नहीं, आपको नहीं दिखायी देगा कि बिहार के हर पंचायत में रौशनी की व्यवस्था हो रही है कि नहीं, आपको यह दिखायी नहीं देगा । महोदय, ललित जी बोल रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार की आम अवाम 12 करोड़ जनता की ओर से जो आज पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है और जो प्राप्ति हुई है उसमें बिहार को साढ़े ग्यारह लाख आवंटन प्राप्त हुआ है । यह बिहार की जनता का विकास, जो गरीब गुरूबा, जो दलित, अतिपिछड़ा, जो आर्थिक रूप से कमजोर वैसे समाज के लोग, हमारे समाज के लोग, हर समाज के लोगों का जो गांव में पक्का का मकान बनेगा यह विपक्ष के लोगों को मंजूर नहीं है । इसीलिए इस सदन से भागना चाहते हैं, केवल कटौती प्रस्ताव लाना चाहते हैं । विपक्ष का काम होता है सरकार के कार्यों में सहयोग करना, आलोचना करना भी, लेकिन सकारात्मक आलोचना करना । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम बार आप सबके कृपा से, पार्टी की कृपा से, पार्टी नेताओं की कृपा से और आम जनता के आशीर्वाद से सदन में जीतकर आया हूँ । लेकिन इस सदन में आकर सकारात्मक सोच लेकर आते हैं और जो वरीय सदस्य हैं उनसे कुछ सीखकर प्रत्येक दिन जाने की हमारी इच्छा होती है, लेकिन हम विपक्ष की नकारात्मक सोच और विचार के लिए नहीं आते हैं । जो लोग हैं वे प्रत्येक दिन जो कुछ लोग हैं जो आज धोखा से भी जीतकर आये हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार इस बात की चर्चा

करते हैं सदन में- केवल नकारात्मक लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं नहीं बार-बार कहते हैं कि संविधान खतरे में है । उनको केवल खतरा दिखायी देता है, चूंकि खतरा इसलिए दिखायी देता है माननीय अध्यक्ष महोदय क्योंकि वे भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते हैं, वे राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते हैं इसलिए उनको खतरा दिखायी देता है । हम खायेंगे इस देश का रहेंगे इस देश में, लेकिन हम राष्ट्रगान नहीं गायेंगे ।

अध्यक्ष : थोड़ा संक्षिप्त कर लें ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : महोदय, ऐसी मानसिकता के लोग नहीं चलेंगे ।

अध्यक्ष : समाप्त करें अब ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, आज जो सुशासन की सरकार है, बता रहे थे लोग डबल इंजन की सरकार है । आज बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज बिहार की छवि और देश की छवि पूरी दुनिया में दिखायी दे रही है और दुनिया के सभी देश कहते हैं ।

क्रमशः

टर्न-25/पुलकित/07.03.2022

(क्रमशः)

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, आप सब लोगों ने देखा आज पाकिस्तान के सदन में मोदी-मोदी की गूंज हो रही थी लेकिन वही गूंज बिहार के सदन और देश के सदन में कुछ लोग कहते हैं । जब पाकिस्तान के सदन में मोदी-मोदी हो रही है क्यों मोदी-मोदी हो रही है ? क्योंकि पाकिस्तान के बच्चों का जीवन कैसे बचाया गया ? वह भारतीय तिरंगे ने बचाया और वे बच्चे भारतीय तिरंगे का सहारा लेकर आये । वे बच्चे किसी पार्टी के नहीं हैं, वे बच्चे किसी मजहब के नहीं हैं, वे बच्चे किसी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, वे बच्चे केवल अपना जीवन मांग रहे थे इसलिए पाकिस्तान के सदन में भी मोदी-मोदी हो रही थी । लेकिन यहां जो विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं वह केवल कह रहे हैं दोहरी इंजन की सरकार है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : हम गर्व से कहते हैं बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और पंचायती राज मंत्री, सम्राट चौधरी जी को पंचायत के चहुंमुखी विकास के लिए, सभी बिहार के मंत्री जी को पंचायत के चहुंमुखी विकास के लिए आपकी जो सोच है,

आप जो कार्य लाये, आपने जो अनुपूरक बजट की मांग की है उसका सरकार के पक्ष में मैं समर्थन करता हूं । जय हिन्द, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार द्वारा लाये गये वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी पर सरकार के समर्थन पर बोलने के लिए हम खड़े हुए हैं । हम धन्यवाद देंगे हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के श्री जीतन राम मांझी जी को, सिकंदरा विधान सभा की आमजनता को जिन्होंने हमें चुनकर भेजने का काम किया है। आज बजट के समर्थन में हम बोल रहे हैं और सरकार द्वारा किये जा रहे विकास के कार्यों का उल्लेख सिलसिलेवार करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि हमारे सर्वव्यापी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने क्या-क्या काम किये हैं । सभी साथियों ने इस पर लम्बी तहरीर और विस्तार से बताने का काम किया है । आज सम्राट चौधरी जी का भी पंचायती राज विभाग का जो बजट है उसमें उन्होंने जो संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को बिहार में जितना चर्चित और विकास के रास्ते पर लाये हैं हम माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हम उसमें फंसना नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं । मेरा क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, कुछ क्षेत्र मैदानी भी है । हम उस विषय पर कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे क्योंकि सिकंदरा विधान सभा क्षेत्र तीन-चार जिलों के बीच में पड़ता है और इसको समन्वय स्थापित करता है, जोड़ने का काम करता है । मैदानी क्षेत्र में तो चापाकल की जो व्यवस्था, जल-नल की जो व्यवस्था की गई है वह तो सुदृढ़ता से कायम है । पानी आ रहा है, लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है लेकिन जब हम जाते हैं सुदूर पठारी क्षेत्रों में, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, चाहे वह खैरा हो, अलीगंज का क्षेत्र हो तो वहां हम देखते हैं जल नल की जो स्थिति है । पदाधिकारियों ने जो गड़बड़ की है, माफ करेंगे इसको, उनके तालमेल से जल नल को बर्बाद करके सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई है हम उस ओर आपका, आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । महोदय, बिहार में जो नल जल है और हमारा क्षेत्र जो आर्थिक रूप से कमजोर है, अति पिछड़ा का क्षेत्र है, अनुसूचित जातियों का क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र है, वहां हम मूलतः पानी पर इसलिए ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं । महोदय, वॉटर इज लाइफ, जल ही जीवन है । जल के बगैर कुछ भी संभव नहीं है इसलिए हम निवेदन करेंगे कि जो विधायकों को चापाकल दिया जाता था वही उस क्षेत्र में कारगर साबित हो सकता है । हम अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करेंगे

कि सरकार उन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराये ताकि वह स्वच्छ जल पीकर के बीमारियों से बचने का काम करें । अगर वे गंदा जल पीते हैं, अभी भी हम जाते हैं सुदूर क्षेत्रों में तो लोग कुओं के पानी का प्रयोग करते हैं, लोग झरने के पानी का प्रयोग करते हैं और उससे बीमारी उत्पन्न होती है । जब बीमारी होती है चाहे वह डाइग्नोसिस सिस्टम की हो, अन्य बीमारियां हों, उससे लोग आक्रांत होते हैं, तबाह होते हैं, आर्थिक रूप से क्षति होती है । जानमाल की भी क्षति होती है इसलिए हम पेयजल पर तो फोकस करेंगे और अभी जो बातें आ रही थी, लाईट, स्ट्रीट लाईट की । हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने बिजली के क्षेत्र में काम किया है लाईट के लिए बिजली ही काफी है लेकिन उसपर सोने पर सुहागा और हुआ कि जिन स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था कर दी गई है जहां बिजली की पावर कम मिलती है, जहां बिजली पहुंची है, पावर कम मिलती है वहां स्ट्रीट लाईट डीप में लाईट का प्रयोग होगा वहां और अति उत्तम होगा। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि पेयजल के साथ जो लाईट की व्यवस्था हुई है और बेहतर होगी । इसलिए आज तो हम सिर्फ पेयजल पर ही अपनी बात को रखेंगे और इतनी ही रखेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश कुमार ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, इस तृतीय अनुपूरक बजट पर बोलने का जो आपने अवसर दिया उसके लिए आसन के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं । तीनों लोकों की पराम्बा, जगदम्बा सीता की धरती से आया हूं । जगदम्बा सीता की धरती से आप सबों को नमन करता हूं और सम्पूर्ण सीतामढ़ी जिलावासी को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे आपके आशीर्वाद से यहां बोलने का अवसर मिला । अध्यक्ष जी, यह आश्चर्य है कि विरोधी लोग पंचायती राज के बजट पर कटौती की बात करते हैं । गांव-गरीब सरकार की बात करते हैं और पंचायती बिल पर कटौती की बात करते हैं और बोलते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में इसके पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ । अध्यक्ष जी, इतिहास साक्षी है, समय साक्षी है कि वर्ष 1996 से पहले जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वहां के ग्राम प्रधान को वित्तीय पावर नहीं थी और 1996 में जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं तब वहां के ग्राम प्रधान को वित्तीय बजट की पावर दी जाती है । अध्यक्ष जी, अपने यहां जो लोकतंत्र की धरती है और हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं और सत्ता के विकेंद्रीकरण को धरातल पर उतारने के क्रम में पंचायत सरकार भवन हो, नल जल योजना हो और यह दूरदर्शिता राष्ट्रीय

जनतांत्रिक गठबंधन के लोगों की जो दूरदर्शिता है वह दूरदर्शिता राजद के लोग सोच सकते हैं क्या कि गांव में लाईट लगे ? लालटेन से ऊपर उठने वाले हैं नहीं, गांव की स्ट्रीट लाईट में क्यों आंख को चकमकाते हो, मित्रों बैठकर समझना चाहिए, विमर्श करना चाहिए कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग, सत्ता के विकेंद्रीकरण में और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के विकास में विश्वास रखते हैं । अभी समीचीन दृष्टांत है, भारत के अंदर जितने भी प्रांत हैं और जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, वहां नगरपालिका का चुनाव, नगर-निगम का चुनाव, पंचायत का चुनाव सत्ता के विकेंद्रीकरण के ख्याल से होता है और अपने ही राज्य से कटा हुआ, बगल का राज्य झारखण्ड जहां शिबू सोरेन जी की सरकार है वहां पंचायत चुनाव रोक दिये जाते हैं । यह स्पष्ट आईना है देश के अंदर सत्ता विकेंद्रीकरण का ख्याल रखने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का ।

अध्यक्ष जी, महान शिक्षाविद् पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने कहा था कि कार्यशीलता की सौ गलतियां, निकम्मेपन की एक अच्छाई से बढ़कर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणास्रोत वाला कार्यकर्ता लीडरशिप को रिस्पोंसब्लिटी मानता है, लीडरशिप को क्राऊन नहीं मानता ।

(क्रमशः)

टर्न-26/अभिनीत/07.03.2022

-क्रमशः-

श्री मिथिलेश कुमार : यह हमारी रिस्पांसिबिलिटी है । हमने जो एकात्मावाद का पाठ पढ़ा है, हमने जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जीवन को देखा है, हमें जब जनता चुन कर भेजती है, और जनता का संसाधन चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर व्यय होता है, तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों का और हम सबों का यह दायित्व बनता है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग जिनके लिए सरकार व्यवस्था करती है, उससे वह कहीं भी, किसी भी रूप में वंचित न रहे । अध्यक्ष जी, राज्य सरकार का जो आंकड़ा है, राज्य सरकार के उस आंकड़ें से स्पष्ट है कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का जो मामला है वह गांवों में पंचायतों के माध्यम से लगेगा । लगभग चौदह सौ पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है । यह सत्ता के विकेंद्रीकरण का, इंप्लीमेंटेशन का प्रयोग है कि पंचायत सरकार भवन में गांव के राजस्व कर्मचारी, गांव के पंचायत सेवक और

ई-गवर्नेंस से हम वहां पर चार पंचायतों पर एक बहाल करने वाले हैं, जो लैपटॉप से, जो सरकारी योजना है उसके आवेदन की व्यवस्था करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब संक्षिप्त कर लें ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष जी, मैं यही कहूंगा कि पंचायती राज विधेयक को, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग, सी0पी0आई0 के लोग, माले के लोग, सी0पी0एम0 के लोग जो गांव-गवई की बात करते हैं वे आत्म-चिंतन करें, आत्म-मंथन करें कि आज तक देश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक की सरकार के अलावे कांग्रेस की सरकार या अन्य दलों की सरकार या यू0पी0ए0 के घटक दलों की सरकार की यह दूरदर्शिता थी, उनकी कल्पना थी कि गांवों में शौचालय की व्यवस्था होगी ? और गांव में नगर निगम की संरचना का हम सपना देखते हैं । अध्यक्ष जी, आपके आदेशानुसार संक्षिप्त करना है, मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस लोकतंत्र के सदन में आये सभी जनप्रतिनिधि चाहे जिस भी दल के हों जनता के संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व भी बनता है । सदन को छोड़कर जाना नहीं चाहिए, स्वस्थ मानसिकता से विमर्श करना चाहिए और जनता से चुनकर आते हैं, इसलिए इस जवाबदेही के उत्तरदायित्व से नहीं भागना चाहिए । जय हिन्द, जय भारत ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती कविता देवी ।

श्रीमती कविता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित पंचायती राज विभाग के अनुदान मांग हेतु जो मांग माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं ।

महोदय, आप अवगत हैं कि हमारी सरकार ने जनता के कल्याण एवं राज्य के विकास के लिए सभी क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय कार्य किये हैं । सभी विभागों द्वारा एक से एक विकासात्मक कार्य एवं कल्याणकारी कदम उठाये गये हैं । खास कर पंचायती राज विभाग में तो सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाकर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया है ।

महोदय, राज्य सरकार ने तृतीय अनुपूरक के माध्यम से राज्य योजना मद में 5 हजार 802 करोड़ 91 लाख 53 हजार रुपये तथा केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के मद में 3 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपये का प्रावधान किया है ।

महोदय, राज्य सरकार सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दे रही है ताकि राज्य का चौतरफा विकास हो सके । एन0डी0ए0 की सरकार में सभी विभागों में तीव्र गति से कार्य किए जा रहे हैं ।

महोदय, एक समय था जब बिहार की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर पिछले पायदान पर की जाती थी, वहीं राज्य में एन0डी0ए0 की सरकार के आने के बाद और केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से बिहार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में प्रतिदिन कामयाब हो रहा है तथा कई चीजों में देश अव्वल स्थान प्राप्त कर रहा है ।

महोदय, राज्य में एन0डी0ए0 की सरकार शराबबंदी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है । आज सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचारी लोग दिन-प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं । यह सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति रोकथाम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है । आज बड़े-बड़े सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े जा रहे हैं ।

बिहार की आम जनता को पेयजल की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग के जिम्मे 57995 वार्डों में से 57611 में जल की आपूर्ति की जा रही है । इस योजना से लगभग 96 लाख परिवारों को पेयजल का कनेक्शन दिया जा चुका है ।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत गांवों के अंदर गलियों का पक्कीकरण किया जा रहा है । गलियों में पेभर ब्लॉक का भी उपयोग किया जा रहा है ।

आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 कार्यक्रम के तहत स्वच्छ एवं समृद्ध गांव निश्चय के अंतर्गत सभी गांवों में सोलर लाइट स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती सरकार भवनों का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं किया जा रहा है । इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं । राज्य सरकार की यह योजना है कि चरणबद्ध तरीके से सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की व्यवस्था हो जाय । पंचायत के मुख्यालय में पंचायत सरकार भवन हेतु भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी ग्राम पंचायत के किसी भी गांव में भूमि का चयन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए हेल्थ सेक्टर ग्रांट की कुल रुपये 4802.88 करोड़ मात्र की राशि भारत सरकार से प्राप्त होनी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब संक्षिप्त करें ।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, इस राशि से राज्य में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान के तहत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई अनटाइड ग्रांट की राशि से कुल 78113 अदद सार्वजनिक कुँओं का जीर्णोद्धार एवं कुँओं के किनारे सोख्ता का निर्माण कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं न्यूनतम अवधि में विवाद रहित पंचायत चुनाव कराने तथा सटीक मतगणना परिणाम सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 इवीएम के माध्यम से कराया गया है । ग्राम कचहरी के सरपंच तथा पंच पदों के लिए मतदान परंपरागत मतपेटिकाओं और मतपत्रों के माध्यम से कराये गये हैं । बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2021 कुल 11 चरणों में कराये गये, जिसमें 6 पदों पर एक साथ और कुल...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब समाप्त करें ।

श्रीमती कविता देवी : 247656 पदों के लिए 113891 मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न कराया गया। इस चुनाव में मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार बॉयोमेट्रिक्स प्रणाली की व्यवस्था की गई । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामविलास कामत । आपका समय 5 मिनट है ।

श्री रामविलास कामत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज विभाग के तृतीय अनुपूरक मांग के पक्ष में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । मैं सदन नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । आज मैं इस सदन में माननीय मंत्री, ऊर्जा श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी का, जो सुपौल के प्रतिनिधि के रूप में लगातार 32 वर्षों से इस सदन के सदस्य हैं और हमारे अभिभावक भी हैं, गार्जियन भी हैं, उनका हमेशा प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । मैं मुख्य सचेतक माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार जी

के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया है ।

-क्रमशः-

टर्न-27/हेमन्त/07.03.2022

(क्रमशः)

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से सदन में इस चर्चा का हिस्सा रहा हूं । विपक्षी दल के जो कई सदस्य पंचायती राज विभाग की इस महत्वपूर्ण मांग पर कटौती प्रस्ताव के खिलाफ बोल रहे थे और जिन बातों की चर्चा कर रहे थे । अध्यक्ष महोदय, हम हतप्रभ थे कि आज के समय में पंचायती राज के माध्यम से, बिहार सरकार के माध्यम से जिन कार्यक्रमों को पंचायत में चलाया जा रहा है । जिस तरह से पंचायत का विकास किया जा रहा है, पंचायत की सूरत बदल रही है, उस पर इस तरह की टिप्पणी करना विकास में अवरोध का काम करता है । अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार के जो कार्यक्रम पंचायत के लिए चलाये जा रहे हैं । पंचायत में जो कार्य अभी शुरू किया गया है सरकार के माध्यम से । उसके माध्यम से पंचायत की, गांव की सूरत बदल रही है । अध्यक्ष महोदय, हम साफ-साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गांव की शक्ल बदल रही है, उनकी सुंदरता बढ़ रही है, वह आगे बढ़ रहा है, हर एक टोला-मोहल्ला आज स्वच्छ हो रहा है, सुंदर बन रहा है । यह कार्यक्रम बिहार सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है । इसीलिए मैं पंचायती राज विभाग के बजट की जो मांग है उसका भरपूर समर्थन करता हूं । अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार का जो कार्यक्रम है, जिस आधार पर सरकार काम कर रही है सबका साथ-सबका विकास, स्वच्छ बिहार-सुंदर बिहार-समृद्ध बिहार की कल्पना के साथ जो सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से यह आने वाले समय में बिहार के गांव को सुंदर बनायेगा, आगे बढ़ायेगा और उसमें चार चांद लगेगा, यह हमें विश्वास है । अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सबका साथ-सबका विकास तभी हो सकेगा जब हम शहर की जो सुविधाएं हैं, आम लोगों को शहर में जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वह सारी सुविधाएं गांव तक पहुंचें, टोले-मोहल्ले तक पहुंचें, तो निश्चित रूप से सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है वह संपूर्ण हो सकेगा । आज हम कह सकते हैं कि समृद्ध बिहार की जो कल्पना हमारी सरकार ने की है, हम लोग जिस पर चर्चा करते हैं, वह तब संभव

होगा जब गांव की सरकार अपने विकास का निर्णय अपने हाथ में लेगी और वह उस पर काम करेगी, तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से समृद्ध गांव बनेगा, सुंदर बिहार बनेगा और प्रगतिशील बिहार बनेगा । अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग के माध्यम से पंचायतों में जो काम अभी शुरू किया गया है आज हम कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से जिस तरह से गांव में, गांव की सारी ताकत, शक्ति उन त्रिस्तरीय पंचायत को दे दी गयी है और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक सुंदर वैकल्पिक इंतजाम के तौर पर कि आप अपना विकास अपने हाथ से करिये । इस परिकल्पना के साथ जो सरकार काम कर रही है, पंचायती राज विभाग काम कर रहा है, वह किसी से छिपी हुई बात नहीं है । आज हम जो कहते हैं कि पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है । बहुत सारी पंचायत हैं जिसमें पंचायत सरकार भवन का निर्माण कर दिया गया है । हजारों ऐसी पंचायत हैं जहां पर पंचायत सरकार भवन का कार्य प्रगति पर है और वह जल्द पूरा होने वाला भी है । पंचायत सरकार भवन की परिकल्पना जो सरकार की है, हम समझते हैं कि वह एक सकारात्मक परिकल्पना है, जो पंचायत को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभायेगी । हम आज कह सकते हैं कि पंचायत के जीते हुए प्रतिनिधि, जो हमारे कर्मी हैं पंचायत के, वह सब एक साथ पंचायत सरकार भवन में बैठकर जब आपस में बात करते हैं, अपनी पंचायत के विकास के रास्ते को ढूंढते हैं और एक बेहतर प्रबंधन का इंतजाम करते हैं, तो पंचायत सरकार भवन की परिकल्पना संपूर्ण रूप से साकार होती है और सरकार..

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री राम विलास कामत : जो पंचायत में है, वह अपना विकास अपने हाथ से कर रही है । अन्य सारी बातें हम आज कह सकते हैं कि पंचायत की हर गली-नली का जो पक्कीकरण किया गया है, यह एक बेहतरीन कार्य सरकार के माध्यम से हुआ है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये । सरकार का उत्तर होगा ।

श्री राम विलास कामत : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बात पंचायती राज विभाग के बारे में कहने का मन तो है, लेकिन आपके आदेश के अनुसार मैं सिर्फ एक बात कहकर कि पंचायती राज के तहत जो पंचायत में काम किये जा रहे हैं, वह अविस्मरणीय हैं और आने वाले समय में समृद्ध बिहार की जो हमारी कल्पना है, सुंदर बिहार की जो हमारी कल्पना है, पंचायती राज विभाग के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उससे

सफल हो सकेगी । इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, देश में तीन तरह की सरकार है । एक भारत सरकार, जो देश की पूरी व्यवस्था को देखने का काम करती है और दूसरा राज्य सरकार, जो कई राज्यों में हमारी राज्य सरकार की स्थापना होती है और तीसरी, जो सबसे नीचे जिला स्तर पर, जिला पंचायत की, जो जिला परिषद की पंचायत होती हैं उसके गठन का कार्य किया गया और इसके लिए स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं कि देश के हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था कि इस देश में पूरी तरह लोकतंत्र स्थापित हो । भारत की सरकार बनती रही, राज्य की सरकार बनती रही, लेकिन राज्य के बाद नीचे स्तर पर जो जिले में, प्रखंड में और पंचायतों में सरकार की स्थापना, इसमें कई बार संशोधन भी किये गये । एक बार 73वें संशोधन में 1992 में भारत के संविधान में पंचायतों से संबंधित 11वीं सूची में इसको शामिल किया गया और इसके माध्यम से पंचायतों की पूरी कल्पना, जिले में किस तरह होगा, क्योंकि जिले में जिस तरह विधान सभा का चुनाव होता है, लोक सभा का चुनाव होता है । संविधान में यह व्यवस्था की गयी कि आप पूरी तरह जिले में उसी तरह की सरकार बनायेंगे और प्रखंड में उसी स्तर पर सरकार बनाने का काम करेंगे, लेकिन पंचायत में उसकी व्यवस्था को बदला गया और पंचायत में सीधे मुखिया, कुछ जगह में सरपंच भी कई राज्यों में इसको कहा जाता है और प्रधान भी कहा जाता है, लेकिन बिहार में हम लोगों ने दो व्यवस्था भी की है इसके लिए । 2006 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पंचायती राज की नयी व्यवस्था की शुरुआत की गयी और उसमें चार की जगह छः लोगों को सरपंच और पंच की भी व्यवस्था की गयी, देश में कहीं भी नहीं । हम लोग पूरी तरह मुखिया को विकास कार्य से जोड़ते हैं और पंचायत में सरपंच और पंच को न्याय से जुड़े हुए कार्यों के लिए जोड़ने का काम करते हैं । हम तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देंगे । कुछ साथी हमारे बोल रहे थे विरोधी पक्ष से ललित यादव जी, वरिष्ठ साथी हैं, भाई हैं, क्योंकि इनको इसलिए पता नहीं है कि पंचायती राज में किन चीजों की चर्चा करनी है, क्योंकि यह 2008-09 के बाद बना ही बिहार में और जब उनकी सरकार थी, तो यह व्यवस्था ही नहीं थी । ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पंचायती राज

व्यवस्था को पूरी तरह बिहार में चलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन और भी आप समझ सकते हैं अध्यक्ष महोदय, कि जब तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार या जनता दल की सरकार थी, एक तो लगभग 20 वर्षों तक चुनाव ही नहीं कराया गया और चुनाव के साथ-साथ जो आरक्षण की पूरी व्यवस्था है, जो कानून महिलाओं को आरक्षण देता है, अतिपिछड़ों को आरक्षण देता है, दलितों को आरक्षण देता है उसकी कोई व्यवस्था इन लोगों ने नहीं की । 2001 का चुनाव आपको याद होगा । आपने देखा पूरी तरह कि आरक्षण की व्यवस्था उस चुनाव में नहीं की गयी, लेकिन बिहार की एन0डी0ए0 की सरकार 2005 में बनी और 2006 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में पहली बार इस पूरी व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया ।

(क्रमशः)

टर्न-28/धिरेन्द्र/07.03.2022

क्रमशः....

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : महोदय, और आज हम गर्व से कह सकते हैं पिछली बार जहां महिलायें मात्र 56 प्रतिशत, क्योंकि 50 प्रतिशत तो हम आरक्षण दे रहे थे उसके बाद भी 6 प्रतिशत अधिक प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आयी थीं । आज हम सरकार के माध्यम से इस सदन को भी बताना चाहते हैं कि इस बार आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे बिहार में महिलाओं की जो संख्या है वह 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गयी है । अब महिलाओं की भागीदारी बिहार के चुनाव में 58 प्रतिशत से अधिक महिलाएं निर्वाचित होकर आयी हैं और लगातार, आप देखिये लोकतांत्रिक व्यवस्था क्योंकि सुशासन के लिए आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं और पूरी व्यवस्था की गई । चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह पहली बार बिहार में कई बार चुनाव हुए लेकिन पहली बार हमलोगों ने ई0वी0एम0 की इसमें व्यवस्था किये, जिससे कि बिहार का चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हो गया और इसके साथ-ही-साथ जानकर आपको बड़ा हर्ष होगा कि बायोमेट्रिक की व्यवस्था आज तक देश के किसी कोने में चुनाव प्रक्रिया में प्रयोग नहीं हुआ था । पहली बार बिहार के चुनाव, 2021 के चुनाव में बायोमेट्रिक का प्रयोग किया गया जिससे बोगस वोटिंग पूरी तरह बंद कर दिया गया । यह पूरी तरह लोकतंत्र स्थापना का काम किया जा रहा है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस विभाग को और साथ-ही-साथ आदरणीय बिजली मंत्री जी ने सही याद दिलाया । कई राज्यों से चण्डीगढ़ में नगर निकाय के चुनाव होने वाले थे, पांडिचेरी के लोग आये,

महाराष्ट्र से लोग आये, राजस्थान से लोग आये, सब लोगों ने यहां अध्ययन किया और देखा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने किस तरह पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरी व्यवस्था करने का काम किया । इसमें जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अब तो इसको आगे भी, जब हमको यह लगा कि देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब आधार को लिंक करने की कल्पना की तो हमको यह जरूर एहसास हुआ कि यह जो बायोमेट्रिक सिस्टम, हमलोगों ने बिहार में लाया तो अब देश में भी आगे के चुनाव में जब सामान्य चुनाव होगा, उसमें आधार से उसको लिंक करने का काम किया जायेगा और साथ-ही-साथ इसमें एक और बड़ी व्यवस्था की गई थी कि एक तो वेब कास्टिंग जो हमलोग विधान सभा के चुनाव में देखते हैं कि तमाम जगहों पर चुनाव में व्यवस्था की जाती थी लेकिन इसमें ओ0सी0आर0 की एक व्यवस्था की गई । एक सिस्टम बनाया गया जिसके माध्यम से, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि काउंटिंग हॉल में, कई लोग आपको यह भी शिकायत किये होंगे कि हम गये और पांच मिनट में हमारा रिजल्ट आ गया क्योंकि यह व्यवस्था की गई कि टेबल पर ई0वी0एम0 खुलेगा, यदि किसी पंचायत में 14 वार्ड हैं तो 14 टेबल पर एक साथ ई0वी0एम0 खुलेगा और ओ0सी0आर0 (आप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन) के माध्यम से डाइरेक्ट उसको, पूरी तरह कैरेक्टर को रिकॉर्ड किया जाता था और पी0डी0एफ0 बनकर इलेक्शन कमीशन उसको अपने पास लाता था जिससे कि कोई गुंजाइश नहीं थी कि कोई कर्मचारी, कोई पदाधिकारी किसी को हरा दे और जीता दे, क्योंकि ये लगातार चुनाव में मिलता था कि मुखिया जी को, जो सिटींग मुखिया है उनको वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायती राज पदाधिकारी या प्रशासन के लोग चुनाव जीताने का काम कर रहे हैं लेकिन यह जो ओ0सी0आर0 के माध्यम से पूरी तरह काउंटिंग हॉल में जो व्यवस्था की गई आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी तरह लोकतंत्र स्थापित हुआ और 78 प्रतिशत नये लोग चुनाव जीत कर आयें, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ । मैं तो मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि पंचायती राज डिपार्टमेंट के माध्यम से आपने गली-नली योजना के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया जो पूरे बिहार में, जानकर आश्चर्य होगा कि गली-नाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 2016 से लगातार बिहार के विकास में, क्योंकि मुख्य सड़क तो ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है और जो गांव और शहरों को जोड़ने वाला है उसको पथ निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम गांव की गलियों को ठीक करेंगे, गांव में जहां पी0सी0सी0 की जरूरत थी वहां

पी0सी0सी0 कार्य कराये गये, जहां गांव में पेवर्स की जरूरत थी वहां पेवर्स को बनाया गया और इसके साथ-साथ गली के साथ नाली को भी जोड़ने का प्रावधान किया गया और बाद के भी समाज सुधार अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री जी जब समस्तीपुर में थे तो हमलोगों को निर्देश भी दिये हैं कि आप यह भी तय कीजिये कि किन कारणों से कुछ टोले के जो बसावट छूट गये हैं उसका पूरी तरह सर्वेक्षण करायें । हमलोगों ने निर्देशित किया है अपने विभाग के माध्यम से कि हमको पूरी रिपोर्ट चाहिए कि प्रत्येक वार्ड में एक वोटर लिस्ट लेकर और वार्ड में जितने भी लोग हैं उसको चिन्हित कर प्रत्येक हाउसहोल्ड को, यदि उसके गांव में गली है या नहीं, नाली है या नहीं, इसको चिन्हित कीजिये और साथ-ही-साथ, क्योंकि नल-जल योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और उसको भी उसमें हमलोगों ने सम्मिलित किया है कि उसको भी उसमें जोड़िये और चिन्हित कीजिये क्योंकि हमलोगों ने टारगेट लगभग 98 परसेंट से अधिक अचीव कर लिया है लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत कभी-कभी मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में या हमलोगों के पास भी आता है और उनका आग्रह होता है कि हमको मेरे घर तक पहुंचने में निजी जमीन है, इसका भी हमलोग सर्वे कराने का काम शुरूआत किये हैं जिससे कि यह पता चल सके कि हमको उस घर तक जाने की क्या व्यवस्था होगी ? आज लगभग 7 वर्षों से 2016-2022 तक, 2021-22 का भी पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि अभी काम चल रहा है, राशि हमलोगों ने उपलब्ध करा दी है । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार की योजना से, 2014-15 की फाइनेंस योजना से और फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेट फाइनेंस के माध्यम से बिहार सरकार ने लगभग 25 हजार करोड़ से अधिक राशि गांव के विकास में, गलियों के विकास में करने का काम किया है । अब उसी तरह नल-जल योजना, नल-जल योजना में कुछ जगह यह शिकायत आती रहती है कि हमारे गांव में पानी नहीं चल रहा है । अनुरक्षण नीति का हमलोगों ने गठन किया । 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह तय किया गया कि जब शिकायत मिलेगी, यदि कोई माइनर फॉल्ट होगा तो उसको हम 12 घंटे से 24 घंटे में ठीक करने का काम करेंगे और मेजर यदि है तो हम उसको 3 से 5 दिनों के अंदर ठीक करने का काम करेंगे और इसके लिए हमलोगों ने फिफ्टीन्थ फाइनेंस के माध्यम से एक पूरी व्यवस्था खड़ी की है कि हम चार हजार रुपये प्रत्येक पंचायत में जो वार्ड सदस्य हैं उसके माध्यम से अनुरक्षण नीति चलायेंगे । दो हजार रुपये उनको अलग से मानदेय, जो राज्य सरकार पांच सौ रुपया प्रत्येक वार्ड सदस्य को एक मानदेय के तौर पर देती है, भत्ता के तौर पर देती है,

उसके अलग दो हजार रुपये हम अलग से मानदये उनको देंगे जिसके माध्यम से गांव में, वार्ड में जो पानी की व्यवस्था है उसको पूरी तरह, एक पूरी व्यवस्था के साथ मिलता रहे और साथ-ही-साथ दो हजार रुपये, हम यह व्यवस्था करेंगे कि वहां जो माइनर फॉल्ट है यदि नल टूट जाय, पाईप फट जाय या बिजली बिल देना है, उसकी व्यवस्था इसके माध्यम से किया जायेगा और साथ-ही-साथ हमलोगों ने यह भी निर्णय लिया है क्योंकि नल का जल जो प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम हमलोग कर रहे हैं, इसके माध्यम से जो वार्ड सदस्य हैं, डब्लू0आई0एम0सी0 के माध्यम से हम वह व्यवस्था करेंगे कि प्रत्येक हाउसहोल्ड से एक रुपया, मात्र एक रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से उनसे वसूली करने का भी काम किया जायेगा । हम साथियों को यह भी बताना चाहते हैं कि लगभग 68,372 हमारे यहां पंचायती राज के माध्यम से हमलोग नल का जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो इसके लिए हमलोगों ने आई0ओ0टी0 डिवाईस लगाया है और उसमें से 45000 ऐसे डिवाईस हैं जो हमको प्रत्येक दिन रियल टाईम मॉनिटरिंग के माध्यम से हम इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं तो अध्यक्ष जी, अभी तो और कई चीजें थी तो हमलोग इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चय-1 में गली-नाली की पूरी व्यवस्था की थी और निश्चय-2 में एक व्यवस्था किया है कि..

अध्यक्ष : पांच मिनट में खत्म कीजिये ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : महोदय, पांच मिनट में खत्म कर देते हैं । निश्चय-2 में हमलोगों ने तय किया है कि हम स्ट्रीट लाईट प्रत्येक गांव में लगाने का काम करेंगे और जल-जीवन-हरियाली के माध्यम से, यह भी एक काम मैं बता रहा हूँ कि यह जल-जीवन-हरियाली का रास्ता है

क्रमशः....

टर्न-29/संगीता/07.03.2022

...क्रमशः...

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : कार्बन क्रेडिट दुनिया में चर्चा होती है कि कार्बन क्रेडिट कौन कर रहा है, अब देखिए मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि 8 हजार पंचायतों में 1 लाख 13 हजार वार्ड में हम 10-10 स्ट्रीट लाईट लगायेंगे, उस हिसाब से लगभग 14 लाख स्ट्रीट लाईट पूरे बिहार में लगाने का काम किया जायेगा और ये पूरी तरह कार्बन क्रेडिट होगा। ये कोई बिजली से हमलोग नहीं करने जा रहे हैं, हम पूरी तरह सोलर सिस्टम से करेंगे और इसमें हम रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, आर0एम0एस0 सिस्टम के माध्यम से लगायेंगे । मुख्यमंत्री जी जब चाहें पटना में बैठकर देश के प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में

बैठकर बिहार के कोई भी माननीय सदस्य आराम से देख सकते हैं कि रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से कि किस पंचायत में कितने घंटे हमारा बल्ब जला, यह पूरी तरह व्यवस्थित रहेगा । यह कोई हमलोगों को कोई जांच नहीं करानी पड़ेगी, बार-बार यह चिन्ता रहती है कि जांच करायें और बहुत सी चीजें हैं जिसको हम 15th Finance और State Finance के माध्यम से करने जा रहे हैं । एक जो बार-बार चर्चा आती है क्योंकि नगर और ग्रामीण में जब फर्क नहीं रहेगा तभी गांव जायेंगे लोग । हमलोगों ने आगे भी 15th Finance में देश के प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन आया है उसमें हमलोग सी0सी0टी0वी0 कैमरा, मुक्तिधाम, कब्रिस्तान की घेराबंदी उसके बाद ई-ऑफिस अभी तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लोक सेवा केंद्र के तौर पर हमलोगों ने पूरे बिहार के 8 हजार 67 पंचायत में एक पूरी व्यवस्था की है कि हमको अब ब्लॉक जाने की व्यवस्था खत्म करनी है और मुख्यमंत्री जी की सहमति भी हमलोगों को 2 चीजों पर महत्वपूर्ण मिला कि कार्यपालक सहायक एक हम रखे हुए हैं दूसरे के लिए भी इनका सहमति मिला कि आप दूसरा कार्यपालक भी रखें जिससे कि वहां के गरीबों को कोई शिकायत यदि आवेदन देना है तो वे अपने पंचायत के केंद्र पर ही दें और साथ-साथ अभी तक मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था क्योंकि ये लंबे समय से योजना डिपार्टमेंट के माध्यम से पंचायती राज के डिपार्टमेंट से पंचायत सरकार भवन का काम चल रहा है । अभी State Finance में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने सहमति दी है कि अभी तक हम 3200 पंचायत सरकार भवन पर काम कर रहे हैं और अगले वित्तीय वर्ष में हमलोग और सभी माननीय विधायकों से भी हम आग्रह करेंगे हमने पत्र भी सभी को लिखा है कि आपके यहां जो जमीन उपलब्ध है उसको हमलोगों को सूचीबद्ध दें । हमलोग अगले वित्तीय वर्ष में 3 हजार पंचायत सरकार भवन का निर्माण का कार्य शुरू करने जा रहे हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव आदरणीय ललित यादव जी ने दिया है हम तो आग्रह करेंगे कि वे वापस ले लें और क्योंकि बिहार के विकास में पंचायती राज विभाग के साथ सभी विभागों को राशि की जरूरत है और आपके माध्यम से यही मांग करते हुए क्योंकि कई योजना ग्रामीण विकास में आपने देखा कि 11 लाख 49 हजार लोगों को गरीबों को घर मिलेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण योजना है इसमें जो हमलोग इस थर्ड सप्लीमेंट्री में लाने का काम किए हैं तो आपसे आग्रह करेंगे और विरोधी पक्ष से भी आग्रह करेंगे जो कटौती प्रस्ताव लाए हैं उसको वापस करने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

नहीं हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए पंचायती राज विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 के उपबंध के अतिरिक्त 6,44,22,01,000 (छः अरब चौवालीस करोड़ बाईस लाख एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांग गिलोटीन के माध्यम से ली जायेगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए पंचायती राज विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021, बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2021 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2021 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

मांग संख्या-01 कृषि विभाग के संबंध में 3,35,02,99,000 (तीन अरब पैंतीस करोड़ दो लाख निन्यानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 62,59,11,000 (बासठ करोड़ उनसठ लाख ग्यारह हजार) रुपये

मांग संख्या–03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 3,84,17,63,000 (तीन अरब चौरासी करोड़ सत्रह लाख तिरसठ हजार) रुपये,

मांग संख्या–04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 1,33,88,39,000 (एक अरब तैंतीस करोड़ अठासी लाख उनतालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या–07 निगरानी विभाग के संबंध में 33,96,000 (तैंतीस लाख छियानवे हजार) रुपये,

मांग संख्या–08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 1,000 (एक हजार) रुपये,

मांग संख्या–10 उर्जा विभाग के संबंध में 10,24,93,70,000 (दस अरब चौबीस करोड़ तिरानवे लाख सत्तर हजार) रुपये,

मांग संख्या–11 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 20,00,000 (बीस लाख) रुपये,

मांग संख्या–12 वित्त विभाग के संबंध में 90,00,00,000 (नब्बे करोड़) रुपये,

मांग संख्या–17 वाणिज्य–कर विभाग के संबंध में 54,02,000 (चौवन लाख दो हजार) रुपये,

मांग संख्या–18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 27,50,000 (सत्ताईस लाख पचास हजार) रुपये,

मांग संख्या–19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 48,00,000 (अड़तालीस लाख) रुपये,

मांग संख्या–21 शिक्षा विभाग के संबंध में 54,76,54,000 (चौवन करोड़ छिहत्तर लाख चौवन हजार) रुपये,

मांग संख्या–22 गृह विभाग के संबंध में 3,14,03,000 (तीन करोड़ चौदह लाख तीन हजार) रुपये,

मांग संख्या–23 उद्योग विभाग के संबंध में 32,12,18,000 (बत्तीस करोड़ बारह लाख अठारह हजार) रुपये,

मांग संख्या–25 सूचना प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 19,07,00,000 (उन्नीस करोड़ सात लाख) रुपये,

मांग संख्या–26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 30,80,000 (तीस लाख अस्सी हजार) रुपये,

मांग संख्या–29 खान एवं भूतत्व विभाग के संबंध में 2,54,03,000 (दो करोड़ चौवन लाख तीन हजार) रुपये,

मांग संख्या–32 विधान मंडल के संबंध में 1,13,00,000 (एक करोड़ तेरह लाख) रुपये,

मांग संख्या–33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 1,000 (एक हजार) रुपये,

मांग संख्या–37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 4,00,06,00,000 (चार अरब छः लाख) रुपये,

मांग संख्या–38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 14,09,50,000 (चौदह करोड़ नौ लाख पचास हजार) रुपये,

मांग संख्या–39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 3,91,00,01,000 (तीन अरब इक्यानवे करोड़ एक हजार) रुपये,

मांग संख्या–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 9,17,20,000 (नौ करोड़ सत्रह लाख बीस हजार) रुपये,

मांग संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 35,51,00,00,000 (पैंतीस अरब इक्यावन करोड़) रुपये,

मांग संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 13,54,47,000 (तेरह करोड़ चौवन लाख सैंतालीस हजार) रुपये,

मांग संख्या–44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 40,60,00,000 (चालीस करोड़ साठ लाख) रुपये,

मांग संख्या–46 पर्यटन विभाग के संबंध में 12,59,00,000 (बारह करोड़ उनसठ लाख) रुपये,

मांग संख्या–48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 3,20,04,01,000 (तीन अरब बीस करोड़ चार लाख एक हजार) रुपये,

मांग संख्या–49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 2,00,00,00,000 (दो अरब) रुपये,

मांग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 1,52,41,13,000 (एक अरब बावन करोड़ इकतालीस लाख तेरह हजार) रुपये,

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी मांगें स्वीकृत हुईं ।

टर्न–30/सुरज/07.03.2022

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

''बिहार विनियोग विधेयक, 2022''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार विनियोग विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

विचार का प्रस्ताव

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार विनियोग विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक- 03 मार्च, 2022 को उपस्थापित किया गया । तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में 7894,26,24,000 (सात हजार आठ सौ चौरानवे करोड़ छब्बीस लाख चौबीस हजार) रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है । प्रस्तावित राशि में वार्षिक स्कीम मद में 5,802 करोड़ 91 लाख 53 हजार रुपये स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 2,087 करोड़ 97 लाख 91 हजार रुपये एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 3 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपये प्रस्तावित है । कुल प्रस्तावित राशि में बिहार

आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 273.14 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री ने अपने विभाग की मांग पर विस्तार से चर्चा की है । अध्यक्ष महोदय, वार्षिक स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित राशि में मुख्यतः प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत राज्यांश मद में 2 हजार 4 सौ करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत 1 हजार 14 करोड़ रुपये, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष अन्तर्गत 489.93 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजनान्तर्गत 70 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत 4 सौ करोड़ रुपये एवं दरभंगा हवाई अड्डा हेतु 133.34 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में मुख्य प्रस्ताव षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं के लिये 644.22 करोड़ रुपये, ऊर्जा के उपभोक्ता सब्सिडी मद के लिये 535 करोड़ रुपये एवं आपदा प्रबंधन अन्तर्गत 391 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, जो अभी सदन ने विस्तृत चर्चा करके प्रस्ताव पारित किया है । अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग विधेयक, 2022 द्वारा कुल 7,894 करोड़ 26 लाख 24 हजार रुपये की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है । तृतीय अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधित प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग विधेयक, 2022 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सदन से अनुरोध है कि तृतीय अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग विधेयक, 2022 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से पारित किया जाय ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे । जय बिहार, जय भारत ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 07 मार्च, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 43 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 08 मार्च, 2022 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।